मुंबई पत्तन प्राधिकरण

MUMBAI PORT AUTHORITY

वार्षिक लेखा

2023-24

ANNUAL ACCOUNTS

2023-24

उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2023-2024 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED IN THE REPORT FOR THE YEAR 2023-2024

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

MUMBAI PORT AUTHORITY

वार्षिक लेखा

2023-24

ANNUAL ACCOUNTS

2023-24

उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2023-2024 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

WITH ACTION TAKEN NOTES ON AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED IN THE REPORT FOR THE YEAR 2023-2024

विषय सूची
CONTENTS

	३१ मार्च २०२४ का तुलनपत्र Balance Sheet As At 31st March 2024 ……..	1-8
	३१मार्च २०२४ को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी लेखा Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2024….	9-14
	३१ मार्च २०२४ के तुलनपत्र की अनुसूचियाँ Schedules To Balance Sheet As At 31st March 2024	
	नक़दी-प्रवाह / Cash Flow	15
अनुसुचि I Schedule I	आरक्षित और निधि Reserves and Funds ……..	16-19
अनुसुचि II Schedule II	पूंजी परिसंपत्तियाँ Capital Assets ……..	20-21
अनुसुचि III Schedule III	निवेश सूची List of Investments ……	22-23
अनुसुचि IV Schedule IV	फूटकर देनदारी Sundry Debtors ……..	24
अनुसुचि V Schedule V	बैंकों में शेष और हस्ते नक्द Balances at Banks and Cash in Hand ……	25
	३१ मार्च २०२४ को समाप्त वर्ष का लाभ और हानी की अनुसुचियां Schedule to Profit & Loss Account For The Year Ended 31st March 2024	
अनुसुचि VI Schedule VI	जहाजी माल की सम्हलाई और भंडारण प्रभार Cargo Handling and Storage Charges ……	26
अनुसुचि VII Schedule VII	नौवहन के लिए पत्तन और गोदी की सुविधांए Port and Dock Facilities for Shipping ……	27
अनुसुचि VIII Schedule VIII	रेल संचालन Railway workings ……	28
अनुसुचि IX Schedule IX	किराये योग्य भूमि और इमारतें Rentable Lands and Buildings ……..	29
अनुसुचि X Schedule X	प्रवंध और सामान्य प्रशासन Management and General Administration ……	30
अनुसुचि XI Schedule XI	३१ मार्च २०२४ को समाप्त हुए लेखा का प्रकार से प्रचालन व्यय Operating Expenditure by Types for the year ended 31st March 2024	31-32
अनुसुचि XII Schedule XII	वित्त और विविध व्यय Finance and Miscellaneous Expenditure ……	33
31.03.2024 को समाप्त हुए लेखों पर टिप्पणीयां ..		34-43
Notes on accounts for the year ended 31.03.2024		44-53
31.03.2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरन के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट		54-66
Separate Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Authority for the year ended 31.03.2024		67-78
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की पृथक लेखा परीक्षा में उठाए गए लेखों पर की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां।		79-99
Actoion Taken Note on the Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Authority for the year ended 31.03.2024		100-118
परित्याग / Disclaimer		119

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2024
३१.०३.२०२४ का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2023			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2024		
			I. SOURCES OF FUNDS / निधियों के स्त्रोत			
Not Applicable / लागू नही			**1. Shareholders Fund /** भागधारकें के निधी	Not Applicable / लागू नही		
			(Applicable for corporatised ports only) (केवल निगमीकृत पोर्ट्स को ही लागू है)			
			2. Reserves & Surplus (Schedule I)/ आरक्षित और अधिशेष (अनुसूची-I)			
	1,671.67		a. Capital Reserve / पूंजी आरक्षित		1,689.18	
			b. Revenue Reserves / राजस्व आरक्षित			
41.81			i. General Reserve / सामान्य आरक्षित	-460.25		
502.06			Less: Balance of Profit & Loss/ घटायें:लाभ और हानी का शेष	145.31		
-460.25				-314.94		
-			ii. Fire and Motor Insurance Fund /			
140.15			अग्नि और मोटर बीमा निधि	140.15		
0.02			iii. War Memorial Fund / युदध संस्मरण निधि	0.02		
0.01			iv. Employees' Welfare Fund / कर्मचारी कल्याण निधि	0.01		
6.00			v. Centenary Commemoration Fund / शताब्दी स्मारक निधि	6.00		
	-314.07				-168.76	
			c. Statutory Reserves / वैधानिक आरक्षित			
838.97			i. Fund for replacement, rehabilitation and modernisation of capital assets /	882.53		
-			पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकिकरण के लिए निधि	-		
12.79			ii. Fund for development, repayment of loans and contingencies /	12.79		
-			विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिक खर्चो के लिए निधि	-		
10.94			iii. Fund for Corporate Social Responsibility /	17.22		
			कंपनी (पोर्ट) का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निधि			
	862.70				912.54	
			3. Grant-In-Aid/ सहायता अनुदान			
			i) Upgradation/modernisation of International Cruise Terminal at Indira Docks			
			अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, इंदिरा डॉक्स का उन्नयन/आधुनिकीकरण			
125.24			a) Grant Received from Ministry of Shipping (Sagarmala)/ जहाज मंत्रालय से प्राप्त अनदान (सागरमाला)	133.40		
34.34			b) Grant Received from Ministry of Tourism/ पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त अनदान	34.34		
40.63			ii) Grant Recd for Construction of Third Chemical Berth/ तीसरे रासायनिक घाट के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान	133.38		
3.84			iii) Grant received from Ministry Of Shipping for "Development of Tourism Infra alongside KALH/ कान्होजी आंग्रे लाइट हाउस के पर्यटन सुविधाके विकास के लिए जहाज मंत्रालय से प्राप्त अनदान	3.84		
24.40			iv) Grant recd from Ministry of Fisheries for Development of Mallet Bunder Fishing Hourbour, Mazgaon under PMMSY-Scheme Code No.3890/ मैलेट बंदर मत्स्योद्योग के विकास के लिए,PMMSY के तहत, मझगांव-योजना कोड संख्या 3890,मत्स्योद्योग मंत्रालय से प्राप्त अनदान	24.00		
			v) SCADA Project	15.62		
			vi) Interest on Govt. Grant payable to Ministry	1.14		
	228.44				345.72	
		2,448.74	C/F अग्रनीत			2,778.68

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2024
३१.०३.२०२४ का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2023			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2024		
		2,448.74	B/F आगे लाये गये			2,778.68
			4. Loan Funds / ऋण निधि			
			a. Secured Loans / तारणसहित ऋण			
			Debentures / ऋणपत्र			
			Loans and advances from/ निम्न से ऋण तथा पेशगीयां			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances)			
			पत्तन (शेष राशियों केबारे में पत्तनवार सुचित करें)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
			b. Government Loans / सरकार से ऋण			
			c. Loan from International Aid Agencies/आतंरराष्ट्रीय सहायता एजंसियों से ऋण			
			d. Unsecured Loans / तारणरहित ऋण			
			Fixed Deposits / नियत जमा			
			5. Advances from / निम्न से पेशगीयाँ			
			i) Advances received from Oil PSUs towards cost sharing of construction of JD-5 project/ तेल पीएसयू से अग्रिम जेडी -5 परियोजना के निर्माण की लागत साझा करना		6.88	
	60.89		ii) Upfront fees amortised(CoastGuard)/ परिशोधित अग्रिम फीस (तटरक्षक बल)		58.24	
	22.61		iii) Advance received from MMRDA for Reconstruction of STP sheds/ एसटीपी शेडों के पनर्निर्माण के लिए एमएमआरडीए से मिला अग्रिम		22.61	
	64.00		iv) Advance Amount Received From MMRDA for reconstruction of Berth/ घाट के पनर्निर्माण के लिए एमएमआरडीए से मिली अग्रिम राशि		-	
	0.16		v) Upfront fees received from Sri Modern Weigh System T. No.MEED 08/ 2021, To Be Amortised for 10 years/ श्री.मॉडर्न वेट सिस्टम टेंडर नंबर MEED.08/2021 से प्राप्त अग्रिम शल्क 10 वर्षों के लिए परिशोधित किया जाएगा		0.14	
	0.93		vi) Amortised Upfront fees received from Concessionaire in r/o KALH Island/ रियायतग्राही से कान्होजी आंग्रे लाइट हाउसके संबंधमें प्राप्त परिशोधन अग्रिम शुल्क		0.90	
	7.50		vii) Upfront fees received from Ballard Pier Pvt. Ltd. / बॅलॉर्ड पियर प्रा.लि. से प्राप्त परिशोधन अग्रिम शल्क		7.50	
	97.38		viii) Upfront fees amortised(CoastGuard)/ परिशोधित अग्रिम फीस (तटरक्षक बल)- for 13ID Shed		94.12	
			ix) Upfront Fees (Bihar Govt.) allot. of Plot No.136		127.37	
			x) Upfront Fees from HPCL (PirPau) 30 years Tankages		34.50	
			xi) Up Fees-AEGIS Triangular Plot Pirpau-30yr Tankages		4.59	
			xii) Upfront Fees-RBI-Ekta Nagar-60 yrs		333.57	
			xiii) Upfront Fees-Mazgoan Dock Ltd.-29years		265.20	
			6. Loans and advances from:/ से ऋण और अग्रिम			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances)			
			पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
			7. Short term loans and advances from:			
			निम्न से अल्पवधी ऋण तथा पेशगीयां			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances)			
			पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
			8. Other Loans and advances from:/ निम्न से अन्य ऋण तथा पेशगीयां			
			Banks / बैंक			
			Ports (indicate portwise details of balances)			
			पत्तन (शेष राशियों के बारे में पत्तनवार सुचित करे)			
			Financial institutions / वित्तीय संस्था			
			Others / अन्य			
		253.47	Deferred Tax Liability / आस्थगित आयकर देयताएँ			955.62
		2,702.21	TOTAL / कुल योग			3,734.30

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2024
३१.०३.२०२४ का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2023			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2024		
			II. Application of Funds/ निधियों का विनियोग			
			1. Fixed/Capital Assets (Schedule-II)			
			नियत / पूंजि परिसंपत्तियां (अनुसूची)			
7.43			(a) Free hold land / पुर्ण स्वामित्त्व भूमी	7.43		
			(b) Lease hold land / पाट्टेपर दी गयी भूमी	-		
227.18			(c) Capital Dredging / पूंजी निर्क्षण	227.18		
137.74			(d) Building Sheds and other structures/ ईमारतें, शेड, अन्य संरचनाएं	137.11		
206.40			(e) Wharves, Roads, Boundaries/ घाट, सडकें चहारदिवारियाँ	206.40		
79.19			(f) Floatilla and Floating Craft/ फ्लोटिला तथा प्लावी यान	79.19		
47.40			(g) Railway and Rolling Stock/ रेल्वे तथा रेल्वे इंजन, गाडिया, रेल्वे यान आदि	47.40		
920.67			(h) Docks,Sea-Walls,Piers and Navigational Aids/	855.67		
			गोदियाँ , समुद्री दीवारें , स्तंभ एवं दिक्चालन साधन	-		
45.28			(i) Cranes and Vehicles / क्रेन और वाहन	45.27		
66.38			(j) Plant & Machinery / संयंत्र और मशीनें	66.46		
137.85			(k) Installations for Water, Electricity,Telecommunication & Fire Fighting/ जल, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिये संस्थापनाएं	280.41		
505.58			(l) Oil Pipelines Installations / तेल पाईप लाईन संस्थापनाएं	505.58		
	2,381.11		जोड (a) से (l) / Total (a) to (l)		2,458.10	
	1,028.09		Capital Work in Progress / चालू पूँजी कार्य		1,096.36	
	1,423.07	1,986.13	Less : Depreciation / घटाएँ : मूल्य ह्रास		1,491.10	2,063.36
			2. Investments (Schedule III) /			
			निवेश (अनुसूची - III)			
			Government or Trust securities/ सरकारी अथवा न्यास की प्रतिभुतियाँ			
			Shares, Debentures or bonds/ समभाग, ऋणपत्र अथवा बंधपत्र			
0.29			SBI-Life LE Investment/ एस बी आई लाइफ अवकाश नगदीकरण निवेश	0.31		
			Mumbai Port Sustainability Foundation/ मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन	0.15		
4.50			Share Capital (IPRCL) / IPRCL में समभाग	4.50		
			Investment properties / निवेश संपत्ति			
			Others / अन्य			
565.00			Investment against Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of capital assets / पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकिकरण के लिए निधि से किये गये निवेश	987.00		
9.00			Investment against Centenary Commemoration Fund / शताब्दी स्मारक निधि से किये गये निवेश	9.00		
851.27			Investment against Provident Fund / भविष्य निधि से किये गये निवेश	722.76		
-			Investment/Redemption in SBI Overnight Fund/ एस बी आय ओवरनाइट फंड में निवेश / रिडंप्शन	85.00		
	1,430.06				1,808.72	
	1,430.06		C/F अग्रनीत		1,808.72	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2024
३१.०३.२०२४ का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2023			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2024		
	1,430.06		B/F आगे लाये गये		1,808.72	
		1,430.06				1,808.72
			Quoted Investments as at 31st March 2023 दिनांक ३१ मार्च २०२३ को उद्धत निवेश			
			Face Value / अंकित मुल्य			
			Market Value / बाजार मुल्य			
			Include securities maturing within one year of the date of the Balancesheet तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष मे जिनकी अवधि पूरि होनेवाली है न प्रतिभूतियों का समावेश करे			
			3. Current Assets, Loans And Advances/वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ			
			a. Current Assets / वर्तमान परिसंपत्तिया			
			(i) Interest accrued on investments/निवेश पर प्रोदभूत ब्याज			
	14.64		(a) Other Funds / अन्य निधि		31.54	
	32.65		(b) PF investments / भ.नि.निवेश		33.14	
	6.46		(ii) Inventories/ सपंत्तिसूची		6.78	
			(iii) Sundry Debtors (**)(Schedule IV) फुटकर देनदारी (अनुसूची - IV)			
1,018.53			(a) Government dues / सरकारी देयताएँ	1,101.98		
-			(b) Interport dues/ आंतरपत्तन देयताएँ	-		
2,446.85			(c) Non government dues / गैर सरकारी देयताएँ	2,528.66		
20.26			Less : Provision for Doutful debts.	20.26		
1,478.19	1,966.93		Less : Provisions for unrecovered Estate Rentals गैरसरकारी देयताएँ	1,478.19	2,132.19	
			** Particulars to be given separately of : debts considered good and fully secured debts considered good but not secured and debts considered doubtful or bad निम्न विवरण अलग अलग दिया जाए तारणसहित और प्राप्य माने गए ऋण प्राप्य माने गए लेकिन तारणविरहित ऋण संदिग्ध या अप्राप्य माने गए ऋण			
			(iv) Cash & Bank Balances (Schedule V) रोकड तथा बैंकशेष (अनुसूची - V)			
	0.55		Cash balance on hand / हाथ में उपलब्ध रोकड		0.60	
			Bank balances / बैंकों में शेष राशि			
	536.96		With scheduled banks / अनुसूचीत बैंकों में		320.84	
			CLTD Revenu Account	25.46		
			Fixed Deposit-Others	32.73	58.19	
	24.58		With others / अन्य बैंकों में		24.51	
	2,582.77		C/F अग्रनीत		2,607.79	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2024
३१.०३.२०२४ का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2023			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2024		
	2,582.77		B/F आगे लाये गये		2,607.79	
918.12	918.12		**b. Loans & Advances / ऋण तथा पेशगियाँ** (i) Advances and loans to subsidiaries/ports कं. अथवा उसकी सहायककं. भागिदार हो ऐसी भागिदारी फर्म को दि गइ पेशगियाँ तथा ऋण (ii) Bills of Exchange / हुंडी विनिमय पत्र (iii) Advances recoverable in cash or in kind or the value to be received / रोकड अथवा वस्तूरुपमें वसूली योग्य पेशगी अथवा प्राप्य मूल्य Less: Advances considered Doubtful Of the above, Loans and Advances घटाए: उपरोक्तमे से संदेहात्मक समझी गयी ऋण तथा पेशगियाँ a. Fully Secured / तारणसहित b. Unsecured, Considered Good /असुरक्षित, अच्छी मानी गयी c. Considered Doubtful / संदेहात्मकमानी गयी	1,058.22	1,058.22	
	3,500.89		C/F अग्रनीत		3,666.01	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2024
३१.०३.२०२४ का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2023			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2024		
	3,500.89		B/F आगे लाये गये		3,666.01	
			Less: Current Liabilities & Provisions घटाए: वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान			
			a. Current Liabilities / वर्तमान देयताएँ			
231.39			(i) Pension Fund / निवृत्ति वेतन निधि	114.43		
874.65			(ii) Provident Fund / भविष्य निधि	750.61		
-43.72			(iii) Gratuity Fund/ उपदान निधि	-44.73		
2.08			(iv) National Pension Scheme/ राष्ट्रीय पेंशन योजना	2.38		
			(v) Sundry Creditors / विविध लेनदार			
501.32			Salaries & Wages Payable / देय वेतन और मजदूरी	473.50		
55.18			Liability towards Capital Expenses / पुंजीगत व्यय के लिए दायितयें	71.90		
			Unadjusted Sale proceeds of/ असमायोजित विक्री प्राप्तियाँ:			
55.53			Unclaimed goods / अदावी माल	64.63		
1.04			Surplus Material / अतिरिक्त सामग्री	23.09		
4.57			Stores / भंडार	3.38		
191.22			Accrued Expenses / प्रोद्भूत व्यय	219.74		
			Miscellaneous creditors and credit balances Other than interest on port specific investments पत्तन के विशिष्ट निवेशोपर का ब्याज छोडकर प्रकिर्ण लेनदार और जमा शेष			
			Demurrage payable to Railways / रेल को देय विलंबशुल्क			
269.66			Statutory Payments / वैधानिक भुगतन	356.18		
			Others / अन्य			
			Miscellaneous creditors and credit balances Other than interest on port specific investments/ प्राकिर्ण लेनदार और जमा शेष पत्तन के विशिष्ट निवेशोपर ब्याज			
200.00			Provision for Pension/ पेशंन के लिए प्रावधान	400.03		
384.66			Others / अन्य	404.05		
8.78			Centenary Commemoration Fund/ शताब्दी संस्मरण निधी	8.50		
1,705.53			Advances from Merchants, Contractors & others/ व्यापरियों ठेकेदारों तथा अन्यों से अग्रिमप्राप्ती	1,644.21		
			Cash / रोकड			
			Securities / बयाणा जमा			
			Less: Securities at Face Value Held against deposits from Merchants, contractors & others घटाईएँ : व्यापरियों ठेकेदारों तथा अन्यों से प्राप्त जमा के तहत धारण किए प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य			
			(vi) Amounts due to other ports for services सेवा के लिए अन्य पत्तनोंको देय राशि			
			(vii) Other liabilities / अन्य देयताएं (Revenue A/c temporarily overdrawn) राजस्व खाते से कुछ समय के लिए निकली गयी ज्यादा राशि			
	4,441.89		C/F अग्रनीत		4,491.90	

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2024
३१.०३.२०२४ का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2023			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2024		
	4,441.89		B/F आगे लाये गये		4,491.90	
			b. PROVISIONS / प्रावधान			
			(i) For Contingencies / आकस्मिकता के लिए			
	103.26		(ii) For taxation (net of taxes paid) करों के लिए (भुगतन किया वास्तविक कर)		103.26	
			(iii) Other provisions / अन्य प्रावधान Provisions for unrecovered Estate Rentals वसुल न किए संपदा किराया के लिए प्रावधान			
	4,545.15				4,595.16	
		-1,044.26	**Net Current Assets/ कुल वर्तमान परिसंपत्तियां**			-929.15
		323.73	Deferred Tax Asset आस्थागीत कर संपत्ती			783.32
			वास्तविक वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
			Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off) फुटकर खर्च (बट्टे खाते में न डाला हुआ)			
			a) Preliminary expenses / प्रारंभिक खर्च			
			b) Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares or debentures शेअर अथवा ऋणपत्र अंशदान पर दिए कमिशन अथवा ब्रोकरेज पर हुआ खर्च मिलाकर			
			c) Discount allowed on the issue of shares or debentures शेअर अथवा ऋणपत्र जारी करते समय दी गयी छूट			
			d) Interest paid out of capital during construction (also stating the rate of interest) निर्माण के दौरान पूंजी से किया गया ब्याज का भुगतन (ब्याज का दार बताते हुए)			
		-720.53	C/F अग्रनीत			-145.83

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Balance Sheet As At 31st March 2024
३१.०३.२०२४ का तुलन पत्र

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

As at 31st March 2023			Particulars / ब्यौरा	As at 31st March 2024		
		-720.53	B/F आगे लाये गये			-145.83
	6.54		e) Development expenditure not adjusted असमायोजित विकास खर्च f) Other items (Port Property Insurance Premium)/ अन्य मद (पत्तन संपत्ती बीमा किश्त)		8.04	
		6.54				8.04
		2,702.20	Total कुल			3,734.29

तुलनपत्र और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्त्ता / Signatories to Balance Sheet and Schedules thereto

श्रीमती माधुरी अ. वराडे
वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
Madhuri A. Varade
Financial Adviser & Chief Accounts Officer

सुशील कुमार सिंह
अध्यक्ष
Sushil Kumar Singh
Chairperson

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2024

३१.०३.२०२४ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

2022-23		Particulars / ब्यौरा	2023-24	
		OPERATING INCOME /परिचालन आय		
		1. Cargo handling and storage charges पोतभार सम्हलाई तथा भंडारण प्रभार		
295.32		Handling and storage charges (excluding container) सम्हलाई तथा भंडारण प्रभार	329.54	
312.69		P.O.L. Handling Charges पी ओ ल सम्हलाई प्रभार	318.34	
10.78		Charges for container handling(including containerised cargo) कंटेनर सम्हलाई के लिए प्रभार (कंटेनर पोतभार सहित)	6.60	
		Storage fees भंडारण प्रभार		
69.93		Stevedoring Charges / जहाजी कुली प्रभार	79.18	
49.45		Demurrage / विलंब शुल्क	53.10	
36.21		Miscellaneous income / फुटकर आय	35.10	
	774.38			821.86
	774.38	C/F अग्रनीत		821.86

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2024

३१.०३.२०२४ को समाप्त वर्ष केलिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

2022-23		Particulars / ब्यौरा	2023-24	
	774.38	B/F आगे लायेगये		821.86
		2. Port and dock charges पत्तन तथा गोदी प्रभार		
304.35		Fees for pilotage, towage etc. पायलटेज, टोवेज केलिए प्रभार	350.08	
410.30		Berth hire charges, Pier Dues, Anchorage Fees etc. घाट किराया शुल्क	445.93	
177.67		Port dues पत्तन देय	182.47	
16.46		Dry docking charges निर्जल गोदी प्रभार	17.48	
113.78		Miscellaneous income / फुटकर आय	131.80	
	1,022.56			1,127.76
		3. Railway earnings रेल आमदनी		
2.54		Freight and haulage भाडा और कर्षण प्रभार	2.73	
0.25		Siding charges साइडिंग प्रभार	0.44	
2.26		Terminal charges टर्मिनल प्रभार	2.34	
4.42		Miscellaneous income / फुटकर आय	4.15	
	9.47			9.66
	1,806.41	C/F अग्रनीत		1,959.28

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2024

३१.०३.२०२४ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

2022-23		Particulars / ब्यौरा	2023-24	
	1,806.41	B/F आगे लायेगये		1,959.28
		4. Estate Rentals संपदा किराया		
269.88		Rent from land भूमि से किराया	263.00	
15.03		Rent from building, sheds, and Godowns इमारतें शेड तथा गोदामों से किराया	14.52	
7.71		Recoverable property taxes etc. वसूली योग्य सम्पत्ति कर आदि	8.15	
22.12		Miscellaneous income / फुटकर आय	39.39	
	314.74			325.06
	2,121.15	TOTAL OPERATING INCOME (a) / कुल परिचालन आय (अ)		2,284.34
		OPERATING EXPENDITURE / प्रचालन व्यय		
	297.45	1. Cargo handling and storage charges (Schedule VI) पोतभार सम्हलाई और भंडारण प्रभार (अनुसूची - VI)		286.50
	270.65	2. Port and dock facilities for shipping(Schedule VII) नौवहन के लिए पत्तन तथा गोदी सुविधाएँ (अनुसूची - VII)		225.85
	14.12	3. Railway workings (Schedule VIII) रेल संचालन (अनुसूची - VIII)		12.44
	54.62	4. Rentable land and building (Schedule IX) किराये योग्य भूमि और इमारते (अनुसूची - IX)		40.46
	450.96	5. Management and General Administrative Expenses(Schedule X) प्रबंध तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च (अनुसूची - X)		470.27
	1,087.80	(ब)(अनुसूची - XI)		1,035.52
	1,033.35	Operating Profit (a) - (b)/ परिचालन अधिशेष (अ) – (ब)		1,248.82

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2024

३१.०३.२०२४ को समाप्त वर्ष केलिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

2022-23		Particulars / ब्यौरा	2023-24	
	1,033.35	B/F आगे लायेगये		1,248.82
		Add : Finance and Miscellaneous income		
		जोडे : वित्त तथा फुटकर आय		
2.51		Interest on short term deposit/surplus investment/Cash balanaces अल्पावधि जमा / अधिशेष निवेश / नकद शेष पर ब्याज	1.94	
23.92		Interest on investments of Reserves/ भंडार केनिवेश पर ब्याज	57.38	
31.33		Interest on delayed payments and other items/ विलंबित भुगतान और अन्य मदों पर ब्याज	9.21	
0.54		Interest chargeable to Leases/ Tenants for delayed payment of GST by them/ पट्टा / किरायेदारों द्वारा जीएसटी का विलंबित भुगतान के लिए ब्याज प्रभार	0.27	
0.17		Interest on staff advances / कर्मचारियों को दी गयी पेशगी पर ब्याज	0.12	
5.95		Profit on sale/disposal of capital assets / पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री निपटान से लाभ	3.71	
-		Profit on sale/Redemption of investment / निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ	-	
93.38		Prior period income पिछली अवधि की आय	187.90	
16.04		Sundry receipts / फुटकर प्राप्तियाँ	12.65	
	173.84			273.18
	1,019.70	**Less: Finance and Miscellaneous Expenditure (Schedule XII)** घटाइएँ: वित्त तथा फुटकर खर्च (अनुसूची – XII)		1,572.13
	200.00	Provision for pension/ पेंशन केलिए प्रावधान		200.00
	-12.51	Surplus / अधिशेष		-250.13
	-12.51	Profit Before Tax(C/f) / करपूर्व लाभ (अग्रनीत)		-250.13

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2024

३१.०३.२०२४ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

2022-23		Particulars / ब्यौरा	2023-24	
		B/F आगे लाये गये		
	-12.51	**PROFIT BEFORE TAX(b/f)/करपूर्व लाभ (आगे लाया गया)**		-250.13
		Add : Provision of Tax for the year 2008-09 written back / जोड़ें: वर्ष 2008-09 के लिए कर का प्रावधान वापस लिखा गया		
		Less: Provision for taxation/ घटाइएँ: कराधान हेतू प्रावधान		
		(i) Current Tax / चालू कर		
108.79		(ii) Deferred Tax / अस्थगित कर	-459.59	
		(iii) Fringe benefit Tax / नौकरी सुविधा लाभ कर		
	108.79			-459.59
	-121.30	**PROFIT AFTER TAX / कर पश्चात लाभ**		209.46
	38.74	Add : Withdrawal from Employees Welfare Fund जोडे : कर्मचारी कल्याण निधिसे निकासी		44.37
	-82.56	Total Deficit / Surplus कुल घाटा / अधिशेष		253.83
		Less : Appropriations घटाइएँ: विनियोग		
5.95		Profit on Disposal of Capital Asset Trfd. Capital Reserve पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री निपटान से लाभ	3.71	
38.74		Employees Welfare Fund / कर्मचारी कल्याण निधि	44.37	
		Corporate Social Responsibility	3.09	
23.21		Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets पूंजीगत परिसंपत्तियो के बदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकिकरण के लिए निधि	57.36	
-		General Reserve / सामान्य आरक्षित	-	
0.69		Fund for Development, Repayment of Loan & Contingencies विकास, ऋण प्रतिदान तथा अनुषंगिक खर्चो के लिए निधि		
		Other funds (port specific) / अन्य निधि (पोर्ट विशिष्ट)		
		Fire & Motor Insurance Fund / अग्नि तथा मोटार विमा निधि		
	68.59			108.53
	-151.15	**Net Surplus / Deficit Transferred to Balance Sheet** कुल अधिशेष / घाटा तुलन पत्र मे स्थानांतरित किया		145.30

लाभ और हानी लेख और इसकी अनुसूचियों पर हस्ताक्षरकर्ता / Signatories to Profit & Loss A/c. and Schedules thereto

श्रीमती माधुरी अ. वराडे
वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
Smt. Madhuri Varade
Financial Adviser & Chief Accounts Officer

सुशील कुमार सिंह
अध्यक्ष
Sushil Kumar Singh
Chairperson

MUMBAI PORT AUTHORITY
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

Profit And Loss Account For The Year Ended 31st March 2024

३१.०३.२०२४ को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानी लेख

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

Typewise details of Operating Expenditure	2023-24	2022-23
(a) Payment to and provision for employees कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		
i) Salaries, wages, bonus etc. वेतन, मजदूरी, बोनस आदि	577.76	616.36
ii) Companies contribution to provident and other funds भविष्य निर्वाह निधि तथा अन्य निधियों में कंपनी का अंशदान		
iii) Gratuity / उपदान		
iv) Workmen and staff welfare expenses कामगार तथा कर्मचारी कल्याण खर्च	68.52	57.49
(b) Operating expenses / प्रचालत खर्च		
i) Repairs to plant and machinery (showing separately amounts incurred towards vessels/crafts, cranes and general plant and machinery) अलग दर्शाया जाएं)	-	0.55
ii) Repairs to building (including sheds) / इमारतों की मरम्मत (गोदामों सहित)	-	-
iii) Other repairs / अन्य मरम्मत	34.93	60.41
iv) Stores / प्रयोग में लायी गयी सामग्री	41.40	39.22
v) New minor works / नए छोटे कार्य	1.00	1.02
(c) General Expenses / सामान्य खर्च		
i) Rent, rates and taxes / किराया, दर और कर	4.15	3.23
ii) Audit Fees / लेखा परीक्षा शुल्क	0.76	0.60
iii) Water and electricity charges / जल तथा विद्युत प्रभार	33.07	28.19
iv) Communication expenses (including telephone, telex,fax etc. संचार व्यवस्था पर खर्च (दूरभाष, टेलेंक्स, फॅक्स सहित)	0.42	0.44
vi) Other expenses / अन्य खर्च *	273.51	280.29
	1,035.52	1,087.80

CASH FLOW STATEMENT

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	PARTICULARS	For the Year ended As on 31.03.2024	For the Year ended As on 31.03.2023
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	NET SURPLUS BEFORE TAX	(250.12)	(12.50)
	ADJUSTMENTS FOR		
	DEPRECIATION INCL. PRIOR PERIOD	68.13	44.50
	PROFIT/LOSS ON SALE OF ASSETS	(3.71)	(5.95)
	GST-INELIGIBLE	(2.33)	-
	Income/Loss of Material Transfer	(2.18)	-
	Project Expense	(1.14)	-
	PROVISION FOR PENSION	200.00	200.00
	INTEREST/DIVIDEND INCOME	(59.54)	(26.43)
	OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	**(50.89)**	**199.62**
	WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS		
	SUNDRY DEBTORS	(165.24)	(130.25)
	AMORIZATION OF UPFRONT FEES	(11.44)	(2.70)
	INVENTORIES	(0.32)	(2.08)
	ADVANCES/DEBIT BALANCES	(140.09)	(351.45)
	CREDITORS & PAYABLES	(149.96)	511.29
	PREPAID INSURANCE	(1.51)	0.34
	ACCURED INTEREST	(17.37)	(26.31)
	TOTAL WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS	**(485.93)**	**(1.16)**
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES - A	**(536.82)**	**198.46**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	PROFIT ON SALE OF ASSET	3.72	5.95
	ADDITION TO OF FIXED ASSET	(0.08)	-
	SALE OF FIXED ASSET	0.66	30.00
	ADDITION TO CAPITAL WIP	(194.40)	(156.76)
	INTEREST/DIVIDEND RECEIVED	59.54	26.43
	DEBENTURES REDEEMED	-	10.00
	CHANGE IN INVESTMENTS	(436.85)	(30.67)
	TOTAL CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES - B	**(567.41)**	**(115.05)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	GRANT FROM CENTRAL GOVERNMENT	117.30	3.87
	UPFRONT FEES RECEIVED	770.74	102.18
	TOTAL CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES - C	**888.04**	**106.05**
D	**INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES(A+B+C)**	**(216.15)**	**189.37**
E	OPENING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs"	562.09	372.72
	CLOSING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs"	345.94	562.09
	INCREASE/(DECREASE)	**(216.15)**	**189.37**

**Change in investments suggests more investments*

तुलन पत्र
और
लाभ और हानी लेख
की अनुसूचियाँ

Schedules to the
Balance Sheet
And
Profit & Loss Accounts

३१ मार्च २०२४ केतुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची - I

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

आरक्षिता और निधि	पूँजी आरक्षिता	सामान्य आरक्षित निधि	अग्नी और मोटर बीमा निधि
RESERVES AND FUNDS	**Capital Reserve**	**General Reserve Fund**	**Fire & Motor Insurance Fund**
शेष ३१ मार्च २०२३ को			
Balance - 31st March 2023	1,671.67	41.81	140.15
जोडियेः राजस्व लेखे से अंशदान --			
Add: Contribution from Revenue Account --			
राजस्व लेखे से अंतरण			
Transfers from Revenue Accounts.....	3.71	---	---
अन्य आरक्षित और निधियों से अंतरण			
Transfers from Other Reserves & Funds			
पूंजी आरक्षित			
(i) Capital Reserve.....		---	---
सामान्य आरक्षित निधि			
(ii) General Reserve Fund.....	---	---	---
पूंजी परिसंपत्तियों केबदलाव, पुनःस्थापन और आधुनिकीकरण केलिये निधि			
(iii) Fund for Replacement, Rehabilitation and	13.80		
Modernisation of Capital Assets.....	---	---	---
विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता केलिये निधि			
(iv) Fund for Development, Repayment of Loans & contingencies	---	---	---
(v) शोधन निधी / Sinking Fund...	---	---	---
अन्य अंतरण ---			
Other Transfers ---			
कर्मचारी / भूतपूर्व कर्मचारियों से प्राप्त आय			
Repceipts from Employees/Ex-employees.....	---	---	---
भूतपूर्व कर्मचारियों से बाहय चिकित्सा सुविधा केलिये प्राप्त आय			
Receipts from ex-employees towards Medical treatment	---	---	---
अन्य Misc./Other	-	---	---
उपभोक्ता सहकारी भंडारो को ऋण			
Loans granted to Consumers' Co-operative Stores			
अर्धवार्षिककिस्तों और बकया शेषपर ब्याज की वसूली			
Recovery of half-yearly instalments together with	---	---	---
interest on the outstanding balances.....	---	---	---
निवेशों पर ब्याज			
Interest on Investments.....	---	---	---
अग्रेनीत			
Carried forward	1,689.18	41.81	140.15

ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31st March 2024

SCHEDULE - I

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

युद्ध स्मारक निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थाप्न और आधुनिकीकरण के लिये निधि	विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि	शतब्दि स्मारक निधि	कंपनी (पोर्ट) का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिऐ निधि
War Memorial Fund	Employees' Welfare Fund	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	Centenary Commemoration Fund	Fund for Corporate Social Responsibility
0.02	0.01	838.97	12.79	6.00	10.94
---	44.37	57.36	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	6.53
---	---		---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---			---	---
0.02	44.38	896.33	12.79	6.00	17.47

३१ मार्च २०२४ के तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची - I

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

आरक्षिता और निधि	पूँजी आरक्षिता	सामान्य आरक्षित निधि	अग्नी और मोटर बीमा निधि
RESERVES AND FUNDS	**Capital Reserve**	**General Reserve Fund**	**Fire & Motor Insurance Fund**
Brought forward	1,689.18	41.81	140.15
घटाईये : (i) के अंतरण ---			
Less: Transfers to --			
(अ) राजस्व लेख			
(a) Revenue Account.....	---		---
(ब) घाटा			
(b) Deficit	---	---	---
(क) अन्य आरक्षित और निधि			
(c) Other Reserves & Funds (Capital Reservers).....	---	41.81	---
(ii) भुगतान			
Payments.....	---	---	---
(iii) अन्य अंतरण			
Other Transfers.....	---	---	---
	-	41.81	-
Balance - 31st March 2024 / शेष – ३१ मार्च २०२४	1,689.18	-	140.15

ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31st March 2024

SCHEDULE - I

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

युद्ध स्मारक निधि	कर्मचारी कल्याण निधि	पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव,पुनःस्थाप्न और आधुनिकीकरण केलिये निधि	विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता केलिये निधि	शतब्दि स्मारक निधि	कंपनी (पोर्ट) का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिऐ निधि
War Memorial Fund	Employees' Welfare Fund	Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies	Centenary Commemoration Fund	Fund for Corporate Social Responsibility
0.02	44.38	896.33	12.79	6.00	17.47
---	44.37	---	---	---	0.25
---	---	---	---	---	---
---	---	13.80	---	---	---
---	-		---	---	---
---	---	---	---	---	---
-	44.37	13.80	-	-	0.25
0.02	0.01	882.53	12.79	6.00	17.22

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

३१ मार्च २०२४ के तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची - II

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	पूँजी परीसंपत्तियाँ CAPITAL ASSETS	कुल ब्लॉक GROSS BLOCK				
	परीसंपत्तियो का विवरण Particulars of Assets	१ अप्रैल २०२३ संचय As at 1st April'2023	वर्ष में परिवर्धन Additions during the year	वर्ष में विलोपन Deletions during the year	वर्ष में की गयी समायोजन Adjustment during the year	३१ मार्च २०२४ को कुल As at 31st March'2024
I.	भूमी LAND..... FreeHold Lease Hold	7.43	0.00	0.00	0.00	7.43
II.	पूँजी निकर्षण CAPITAL DREDGING.....	227.18	0.00	0.00	0.00	227.18
III.	ईमारते, शेड अन्य संरचनाएं BUILDINGS, SHEDS, OTHER STRUCTURE	137.74	0.00	0.64	0.00	137.10
IV.	घाट, सडके, चहारदिवारियाँ WHARVES, ROADS, BOUNDARIES..	206.40	0.00	0.00	0.00	206.40
V.	प्लावी यान FLOATING CRAFTS.....	79.19	0.00	0.00	0.00	79.19
VI.	रेल्वे और चल स्टाक RAILWAY & ROLLING STOCK.....	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40
VII.	गोदियां, समुद्री दीवारें, स्तंभ, दिक्चालन साधन DOCKS, SEA-WALLS, PIERS AND NAVIGATIONAL AIDS.....	920.67	-64.00	1.00	0.00	855.67
VIII.	क्रेन और वाहन CRANES AND VEHICLES.....	45.28	0.00	0.01	0.00	45.27
IX.	संयंत्र और मशीने PLANT AND MACHINERY.....	66.38	0.08	0.00	0.00	66.46
X.	जल, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन केलिये संस्थाएं INSTALLATIONS FOR WATER, ELECTRICITY, TELECOMMUNICATION AND FIRE-FIGHTING.....	137.85	292.16	149.60	0.00	280.41
XI.	तेल पाईप लाईन संस्थाप्नाएं OIL PIPE LINE INSTALLATIONS.....	505.58	0.00	0.00	0.00	505.58
	जोड I से XI / Total I to XI	**2381.10**	**228.24**	**151.25**	**0.00**	**2458.09**
XII.	चालू पूँजी कार्य CAPITAL WORKS IN PROGRESS					
	PLAN WORKS	1020.06	349.95	291.21		1078.80
	NON-PLAN WORKS	8.03	14.69	5.16		17.56
		1028.09	**364.64**	**296.37**	**0.00**	**1096.36**
	कुल जोड Grand Total	**3409.19**	**592.88**	**447.62**	**0.00**	**3554.45**

ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2024

SCHEDULE - II

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

मूल्यह्रास DEPRECIATION				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
१ अप्रैल २०२३ संचय Accumulation as at 1st April'2023	वर्ष में की गयी प्रावधान Provision made during the year	वर्ष में विलोपन आदि से समायोजन Adjustment on deletions, etc., during the year	३१ मार्च २०२४ को कुल Total as at 31st March 2024	३१ मार्च २०२४ को As at 31st March 2024	३१ मार्च २०२३ को As at 31st March 2023
0.00	0.00		0.00	7.43	7.43
57.36	4.43	0.00	61.79	165.39	169.82
105.42	3.32	0.64	108.10	29.00	32.32
171.09	7.76	0.00	178.85	27.55	35.31
65.69	3.13	0.00	68.82	10.37	13.50
17.51	0.77	0.00	18.28	29.12	29.89
436.74	28.15	0.76	464.13	391.54	483.93
35.16	1.73	0.01	36.88	8.39	10.12
47.26	2.38	0.00	49.64	16.82	19.12
112.05	12.97	6.52	118.50	161.91	25.80
374.80	11.30	0.00	386.10	119.48	130.78
1423.08	**75.94**	**7.93**	**1491.09**	**967.00**	**958.02**
				1078.80	1020.06
				17.56	8.03
				1096.36	**1028.09**
1423.08	**75.94**	**7.93**	**1491.09**	**2063.36**	**1986.11**

चालू वर्ष के लिए	75.94
पिछले वर्ष के लिए	0.00
Total	**75.94**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

३१ मार्च २०२४ के तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची - III

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

३१.०३.२०२३ तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2023		वित्तिय संस्थाएं Financial Institutions	सामान्य आरक्षित निधि General Reserve Fund		अग्नी और मोटर बीमा निधि और युद्ध स्मारक निधि Fire & Motor Insurance Fund and War Memorial Fund		पूंजी परिसंपत्तियों के बदलाव, पुनःस्थाप्न और आधुनिकीकरण के लिये निधि Fund for Replacement, Rehabilitation and Modernisation of Capital Assets	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value		प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
4.50	4.50	आय पी आर सी एल मे समभाग Share Capital in IPRCL						
4.50	4.50	(अ) / (a)	-	-	-	-	-	-
-	-	एम पी ई बी बंधपत्र Bonds of MPEB						
-	-	यू पी सी एस एम एफ बंधपत्र Bonds of UPCSMF						
-	-	एम एस आर डी सी बंधपत्र Bonds of MSRDC						
-	-	एनौर पत्तन बंधपत्र Bond of Ennore Port						
-	-	केबी जे एन एल बंधपत्र Bond of KBJNL						
0.29	0.29	एस बी आय लाईफ़ SBI Life						
-	-	पी एस यू के बंधपत्र Bonds of PSUs						
		Mumbai Port Sustainability Foundation	0.15	0.15				
		SBI Overnight Fund						
0.29	0.29	(ब) / (b)	0.15	0.15	-	-	-	-
		DEPOSITS - जमा राशि						
1,425.27	1,425.27	बैंकों में with Banks					987.00	987.00
1,425.27	1,425.27	(क) / (c)	-	-	-	-	987.00	987.00
1,430.06	1,430.06	जोड (अ) से (क) Total (a) to (c)	0.15	0.15	-	-	987.00	987.00
---	---	टिप्पणी / Note : उद्धत निवेश Quoted Investments	---	---	---	---	---	---
1,430.06	1,430.06	अर्नउद्धत निवेश Unquoted Investments	0.15	0.15	-	-	987.00	987.00

कर्मचारी कल्याण निधि के लिए कोई निवेश नही है.

Employees' Welfare Fund has no investments.

ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31ST March 2024

SCHEDULE - III

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

विकास, ऋणों की अदायगी और अनुषंगिकता के लिये निधि Fund for Development, Repayment of Loans and Contingencies		शतब्दि स्मारक निधि Centenary Commemoration Fund		भविष्य निर्वाह निधि Provident Fund		अवकाश नकदिकरण निधी Leave Encashment Fund		३१.०३.२०२३ तक कि कुल निवेश Total investment as on 31.03.2023	
प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value	प्रत्यक्ष मूल्य Face Value	लागत मूल्य Cost Value
4.50	4.50							4.50	4.50
4.50	4.50	-	-	-	-	-	-	4.50	4.50
-	-					0.31	0.31	- - - - - 0.31 - 0.15	- - - - - 0.31 - 0.15
-	-	-	-	-	-	0.31	0.31	0.46	0.46
		9.00	9.00	722.76	722.76			1,718.76	1,718.76
-	-	9.00	9.00	722.76	722.76	-	-	1,718.76	1,718.76
4.50	4.50	9.00	9.00	722.76	722.76	0.31	0.31	1,723.72	1,723.72
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4.50	4.50	9.00	9.00	722.76	722.76	0.31	0.31	1,723.72	1,723.72

शतब्दि स्मारक निधि की निवेश ₹.६.०० करोड निधि संचय केलिए और ₹.३.०० करोड वैकशेष केलिए हुई हैं.

Investment of CCF includes ₹.6.00 crore on account of Corpus Fund and ₹.3.00 crore on account of Cash Balance.

कुल निवेश में से ₹३३९.०६ करोड़ अल्पावधि निवेश में रखे गए हैं

Out of the total Investments, ₹.339.06crore have been held in Short Term Investment

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२३-२४

ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

३१ मार्च २०२४ के तुलन पत्र की अनुसूचियां

Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

अनुसूची IV

SCHEDULE IV

दी गई सेवाओं के कारण विविध देनदारी की दि. ३१ मार्च २०२४ की स्थिती

Sundry Debtors As On 31st March 2024 For Different Services Rendered

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

विवरण / Particulars	2023-24	2022-23
Docks	308.45	321.78
Stevedoring	6.56	4.86
Port	173.84	151.31
Bunder	28.36	28.64
Estate & Railway Estate	2,637.83	2,561.72
Workshops	1.23	1.23
Chief Engineer	9.06	3.46
Pay & Park	4.93	4.27
Rent	0.78	0.78
Chief Mech. Engineering	52.91	43.26
Water Front	0.01	-0.02
BDLB transferred due to merger	0.03	-20.95
Railway Estate(Operation & Demurrage)	7.43	7.43
Service Tax	160.99	161.72
GST	238.24	195.90
	3,630.65	**3,465.39**

* अन्य शेष राशि के संबध मे ₹.११३१.९० करोड डुप्यों की पट्टेदारो/किराएदारों से वसूल कि गयी राशि संपदा विभाग के फुटकर जमाखते में पडी है. (31.03.2024 को ₹.1131.90 करोड).

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२३-२४

ANNUAL ACCOUNTS 2023-24

३१ मार्च २०२४ के तुलन पत्र की अनुसूचियां

Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

SCHEDULE V / अनुसूची V

बैंकों में शेष और हस्ते नकद

BALANCE AT BANKS AND CASH IN HAND

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

विवरण / Particulars	2023-24		2022-23	
बैंकों में जमा राशी				
Deposits with Banks.....		5.23		165.94
बैंकों में जमा राशी (व्यापरियों, ठेकेदारों और अन्य की ओरसे)				
Deposits with Banks (on behalf of Merchants, Contractors and Others)		-88.48		18.27
बैंकों में शेष (अन्य विभाग)				
Balances with Banks (Other Departments)		9.84		-1.71
चालू खाता / Current Accounts				
पत्तन समुदाय प्रणाली / Port Community System				
स्टेट बैंकआफइंडिया				
State Bank Of India				
राजस्व खाता / Revenue Account	15.90		7.82	
कंपनी (पोर्ट) केउत्तरदायित्व केलिए खाता				
CorporateSocial Responsibility Account	0.01		0.01	
भविष्य निधि खाता				
Provident Fund Account	145.78		111.99	
निवृत्ति वेतन निधि				
Pension Fund Trust			-	
युनियन बैंकआफइंडिया / Union Bank of India	300.94		294.45	
इंडियन बैकखाता / Indian Bank Account	-3.98	458.65	-3.70	410.57
स्टेट बैंकआफइंडिया / STATE BANK OF INDIA				
JD-5 Project Escrow Account	0.43		1.92	
विभिन्न बैंक- पीसीएस खाते / Various Banks-PCS accounts			-	
ईडियन ओव्हरसिज बैक / INDIAN OVERSEAS BANK				
वेतन खाता / Salary Account.....	-6.63	-6.20	-58.03	-56.11
Banks- Sagarmala & Other Grants		24.51		24.58
		403.55		**561.54**
हस्ते नकद				
Cash In Hand				
वित्त विभाग के पास				
With Finance Department.....*		-		-0.34
अन्य विभागों केपास				
With Other Departments		0.60		0.89
		0.60		**0.55**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२३-२४

Annual Accounts 2023-24

३१ मार्च २०२४ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

अनुसूची 6 / Schedule VI

जहाजी माल की सम्हलाई और भंडारण / Cargo Handling And Storage

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2023-24	2022-23
शेडों और घाटों में सामान्य जहाजी मालकी सम्हलाई और भंडारण Handling & Storage of General Cargo at Sheds and Wharves...	167.77	176.54
माल को गोदाम में रखना Warehousing.....	0.32	0.05
कंटेनर निपटानेवाली क्रेनो और अन्य क्रेनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of Container Handling Cranes and other cranes...	3.60	3.56
पेट्रोलियम, तेल, स्नेहक सम्हलाई Handling of Petroleum, Oil and Lubricants.....	36.88	33.80
गोदियों और बंदरगाहों में सामान्य सुविधाओं पर व्यय Expenditure on general facilities at Docks & Bunders.....	0.10	4.13
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	53.38	47.11
मूल्यह्रास Depreciation.....	24.45	32.26
कुल / Total	**286.50**	**297.44**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२३-२४

Annual Accounts 2023-24

३१ मार्च २०२४ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

अनुसूची 7 / Schedule VII

नौवहन के लिये पत्तन और गोदी की सुविधाएं / Port And Dock Facilities For Shipping

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2023-24	2022-23
नौकर्षण, घाट व लंगर Towing berthing and Mooring.....	91.40	82.62
प्रदुषण नियंत्रण Pollution Control.....	17.46	6.57
पायलट कार्य Pilotage.....	14.37	17.02
शुष्क गोदी व्यय Dry Docking Expenses.....	-	-
नौवहन के लिए पानी की आपूर्ती Water Supply to Shipping.....	4.79	11.85
अग्निशमन Fire Fighting.....		18.42
निकर्षण और समुद्री सर्वेक्षण Dredging and Marine Survey.....	10.13	32.00
बंदरगाह गश्त Harbour Patrol.....	0.86	2.73
दिक्चालन साधनों का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintainance of navigational aids.....	1.13	0.70
उबार कार्य और जलगत मरम्मत Salvage and underwater repairs.....	0.78	1.11
गोदियो और बंदरगाहों की दिवारों, समुद्र संरचनाओं आदि का अनुरक्षण Maintanace of dock and harbour walls & marine structure, etc.	1.75	5.50
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	38.46	57.05
मूल्यह्रास Depreciation.....	44.72	35.08
कुल / Total	**225.85**	**270.65**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२३-२४

Annual Accounts 2023-24

३१ मार्च २०२४ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

अनुसूची 8 / Schedule VIII

रेल्वे संचालन / Railway Working

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2023-24	2022-23
रेल्वे माल डिब्बों आदि का परिचालन और अनुरक्षण Operation and maintenance of locomotives,wagons,etc.....	8.17	10.03
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration & General Expenses.....	3.45	3.25
मूल्य ह्रास Depreciation.....	0.83	0.85
कुल / Total	**12.45**	**14.13**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२३-२४

Annual Accounts 2023-24

३१ मार्च २०२४ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

अनुसूची 9 / Schedule IX

किराये योग्य भुमि एवं इमारतें /Rentable Lands And Buildings

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2023-24	2022-23
आस्ति अनुरक्षण Estate Maintenance		
कर्मचारी निवास Staff Quarters.....	10.39	21.98
सामान्य सुविधाएं इमारते शेड और गोदाम General Facilities including maintenance of roads & other Buildings, Sheds & Godowns	10.44	14.53
प्रशासन और सामान्य व्यय Administration and General Expenses.....	18.16	16.59
मूल्य ह्रास Depreciation.....	1.47	1.52
कुल / Total	**40.46**	**54.61**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२३-२४

Annual Accounts 2023-24

३१ मार्च २०२४ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

अनुसूची 10 / Schedule X

प्रबंध और सामान्य प्रशासन / Management and General Administration

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2023-24	2022-23
प्रबंधकीय और सचिविक व्यय Management and Secretarial expenses.....	123.73	127.30
लेख विधि और लेखा परीक्षा Accounting and Auditing.....	52.31	43.98
कानूनी व्यय Legal expenses.....	3.61	10.60
चिकित्सा व्यय Medical expenses.....	132.14	118.11
भंडार रक्षण Store-keeping.....	14.85	16.37
प्रधान कार्यालय की इमारत पर व्यय Expenditure on Head Office building.....	6.30	0.81
टेलिफोन Telephone.....		
इंजिनियरी और कारखना प्रशासन और उपरी खर्च Engineering and Workshop administration and overheads	132.91	128.98
मूल्य ह्रास Depreciation.....	4.41	4.79
कुल / Total	**470.26**	**450.94**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२३-२४

Annual Accounts 2023-24

३१ मार्च २०२४ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

अनुसूची 11 / Schedule XI

प्रचालन व्यय प्रकार / Operating Expenditure By Type

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2023-24	2022-23
वेतन और मजदूरी / Salaries and Wages		
सामान्य / General	355.45	384.06
वेतन और मजदुरी (परिचालन) / Salaries & Wages (Operational)	36.25	39.09
वेतन और मजदुरी (मरम्मत और रखरखाव) /Salaries & Wages (Repairs & Maintenance)	31.57	40.60
वेतन और मजदुरी(सडकें नालियां, सफाई) / Salaries & Wages(Roads,Drains,Cleaning,Scavenging)	5.37	-
वेतन और मजदुरी (चिकित्सा) /Salaries & Wages (Medical)	45.11	43.78
वेतन और मजदुरी (सुरक्षा) /Salaries & Wages (Security)	6.58	8.93
पीस रेट प्रीमियम / Piece Rate Premium	0.15	18.12
पीस रेट भुगतान / Piece Rate Payment	1.27	0.16
ओवरटाईम / Overtime	27.97	24.93
पी.एल.आर / Productivity Linked Reward	4.23	6.00
छुट्टी की यात्र रिआयते / Leave Travel Concessions	0.49	0.29
कर्मचारी सुविधाएं और कल्याण उपाय /Staff Amenities & Welfare Measures	0.37	0.41
अवकाश नकदीकरण (सेवारत कर्मचारी) /Leave Encashment (in-service employees)	14.00	4.27
अप्रयुक्त छुट्टी का नकदीकरण (सेवानिवृत्त) / Encahsment of unutilised Leave (Retired)	32.40	31.34
हमालेज लेबर /Hamallage Labour	13.19	10.70
मानदेय / Honorarium	0.08	0.10
प्रशिक्षुओं को स्टाईपेंड /Stipend to Apprentices	1.79	1.74
नाइट वेटेज / Night Weightage	1.46	1.77
कोविड प्रोत्साहन राशि/ Covid Incentives	0.04	0.07
	577.77	**616.36**
भंडार / Stores		
सामान्य / General	3.71	0.30
संयत्र परिचालन, आदि / Operation of Plant, etc.(fuel expenditure)	35.23	38.85
मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs & Maintenance	0.28	0.07
सामग्री हस्तांतरण की आय हानी Income/Loss of Material Transfer	2.22	-
भौतिक सूची अंतर / Physical Inventory Difference	-0.04	-
	41.40	**39.22**
कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय / Office and Administrative Expenses		
पोस्टेज,तर फैक्स और कुरिअर / Postage, Telegraphs, Fax & Courier etc	0.07	0.02
टेलिफोन / Telephone Charges	0.42	0.44
यात्रा व्यय / Travelling Expenses	0.59	0.46
स्टोर्स स्टेशनरी / Stores Stationery	0.23	0.53
मुद्रण और प्रकाशन / Printing & publishing	0.04	0.02
प्रचार और विज्ञापन / Advertisement & publicity	0.97	0.50
कानुनी तथा व्यवसायिकप्रभार / Legal & Professional Charges	3.75	3.80
दर और कर / Rates & Taxes	4.14	3.23
लेख परिक्षा और लेखा विधि शुल्क / Audit fees & Accountancy	0.76	0.60
कामगार क्षतिपुर्ती अधिनियम केअनुसार अदायगी / Payments under Workmen's Compensation Act	7.19	0.55
किताबें तथा नियतकालिक/ Books & Periodicals	-	-
प्रशिक्षण और सेमिनार शुल्क / Training and seminars subscriptions	0.56	1.54
गॅस / Gas	0.17	0.19
फर्निचर और कार्यालयीन सामग्री / Furniture & Office Equipment	0.24	0.02
छोटे निमाण कार्य / Minor works	1.00	1.02
लाइसेन्स शुल्कऔर रॉयल्टी / License fees & Royalty		
खाद्य पदार्थ की खरीदी / Purchase of Food stuff	1.12	1.06
परिचालन की सहमती केलिए / fees for consent to operate	0.17	-
कार्यालयीन मशीन किराया शुल्क / Office machine hire charges	0.22	0.27
खेलकुद / Sports & Games	1.96	-
संयत्र और गिअर किराया / Hire of plant & gear	1.43	0.90
आईपीए शेयर अंशदान / IPA Share Contribution	3.90	-
व्यवसाय शुल्क / Profession Fees	1.47	0.83
किराया / Rent	0.01	
अन्य व्यय / Misc.Expenses	1.51	1.03
स्पोर्टस् क्लब वगैरा को अनुदान / Grants to Sports clubs etc.	0.48	1.75
अपात्र आई.टी.सी / Ineligible ITC	2.33	4.24
	34.73	**23.00**
	653.90	**678.58**

वार्षिक लेखा २०२३-२४

Annual Accounts 2023-24

३१ मार्च २०२४ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

अनुसूची 11 (समाप्त) / Schedule XI (concld.)

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2023-24	2022-23
आगे लाया गये / Brought forward	653.90	678.58
प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय / Operation and Maintenance Expenses		
गाडीयों का किराया शुल्क/ Hire charges of vehicle	6.27	6.94
बोट और लॉचेस का किराया / Hire of Boats, Tugs and Launches	6.41	6.74
टोवेज के लिए टग्स का किराया / Hire of Tugs for towage	31.05	36.59
पानी प्रभार / Water charges	15.33	28.19
बिमा / Insurance	-	0.01
विद्युत शक्ती / Electricity Power	17.75	18.93
ठेके के व्दारा निकर्षण / Maintenance dredging through contract	7.79	36.77
जहाज मालिकों और मजदूरों के ठेकेदारों को भुगतन /Payments to Shippers & Contractors for labour	18.81	13.94
सफाई और हाउसकीपिंग / Cleaning & Housekeeping	0.46	
मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and Maintenance- Normal repairs	41.68	14.27
विशेष मरम्मत और अनुरक्षण आर एण्ड आर / Special Repairs and Maintenance- R & R works	34.89	60.41
मरम्मत और अनुरक्षण (फ्लोटिंग क्राफ्ट, वाहन आदि) R&M - Floating craft,Vehicles etc.	0.04	-
मरम्मत और अनुरक्षण (इमारतों) R&M - Buildings	-	-
मरम्मत और अनुरक्षण (डॉक, समुद्री दीवारें, पियर्स आदि) R&M - Docks,Sea walls ,Piers etc.	-	0.55
उपकर अधिनियम,१९७७ के तहत उपकर का भुगतान /Payment of cess under cess Act,1977		
चल स्टाक को हानी देय / Payments for damage to rolling stock & trunk		
सर्वेक्षण शुल्क-स्टीवडोरिंग / Survey Fees-Stevedoring		
ड्राई डॉकिंग चार्ज बीपीटी वेसल / Dry Docking Charges BPT Vessel	-	0.51
आई एस ओ प्रमाणन के लिए खर्च / Expenditure incurred on ISO certification	0.01	
परियोजना व्यय / Project Expenses		1.15
	180.49	225.00
सुरक्षा व्यय / Security Expenses		
केंद्रिय औदयोगिक सुरक्षा बल का खर्च / Expenditure of CISF	46.44	44.81
अन्य सुरक्षा संस्था / Other security agencies	9.32	7.28
गश्त के लिए नावों का किराया / Hire of Boats for Patrolling	1.00	0.14
	56.76	52.23
वैदयकिय व्यय / Medical Expenses		
वैदयकिय भंडार / Stores- Medical	13.86	12.90
बाहरी अस्पतलों को शुल्क देय(कर्मचारी) / Charges paid to outside Hospitals (Employees)	7.64	9.19
बाहरी अस्पतलों को शुल्क देय(निवृत्त कर्मचारी) / Charges paid to outside Hospitals (Pensioner)	45.36	31.10
अन्य व्यर्य चिकित्सा भत्ता / Other expenses- medical allowance to pensioners residing outside port city limit	-	2.61
स्टाइपेंड / Stipend	0.54	0.56
नविनीकरण शुल्क / Renewal charges for accrediation	-	0.06
वैदयकिय खर्चो की देयपूर्ती / Reimbursement of medical expenditure	0.13	0.23
निवृत्त कर्मचारीयों को वैदयकिय सेवा / Medical treatment given to retired employees	0.04	0.07
Dialysis Expenses	0.94	0.70
बाहरी डॉक्टरों को दी जाने वाली फीस और मानदेय / Fees and Honorarium paid to Outside Doctors	-	-
Provision for Medical	-	0.07
	68.51	57.49
मूल्य ह्रास / Depreciation		
मूल्य ह्रास , डएपरएबीतिंे	75.87	74.50
कुल / Total	**1,035.53**	**1,087.80**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

वार्षिक लेखा २०२३-२४

Annual Accounts 2023-24

३१ मार्च २०२४ को समाप्त लाभ और हानी लेख की अनुसूचियाँ / Schedules To Balance Sheet as at 31st March 2024

अनुसूची १२ / SCHEDULE XII

वित्त और विविध व्यय /FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE

(₹. करोड में / ₹. In Crore)

	2023-24	2022-23
सेवा निवृत्ति उपदान, सानुग्रह भुगतान और अन्य लाभ		
Retirement gratuities, ex-gratia payments and other benefits		
अनुमानित प्रोद्भूत दायिता केआधार पर पेंशन निधि में अंशदान		
Contribution to Pension Fund	1,579.30	1,025.00
पेंशन और मृत्यू एवं सेवा निवृत्ति उपदान		
Contribution to Group Gratuity Fund	121.75	129.00
पूंजीगत परिसंपत्तियो की विक्री / निपटान से लाभ		
Profit on disposal of capital asset trfd. To Capital Reserve	3.71	
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के लिए निधि में योगदान		
Contribution to fund for Corporate Sociai Responsibility (CSR)		-
ऐच्छिक सेवानिवृत्ती केअंतर्गत प्रातिपूर्ती		
Compensation payment under Special Voluntary Retirement Scheme		
बैंक कमिशन और प्रभार		
Bank Commission & Charges.....	0.01	-
अन्य (पोर्ट संपत्ति बीमा प्रीमियम)		
Others (Port Property Insurance Premium).....	13.60	14.33
पूंजीपरिसंपतियों केनिपटान से हुआ नुकसान		
Loss on Disposal of Capital Assets/Sale redemtion of Investment		-
पिछले वर्ष से संबंधित मद		
Items relating to previous years -		
मूल्य ह्रास	0.09	
Depreciation.....		-
प्रविष्टियों का सुधार / Rectification of Entries	39.69	45.00
राजस्व में से वापसी		
Refund out of Revenue	1.29	0.21
वेतन और मजदूरी		
Salaries and Wages (includes Arrears on account of Wage Revision)	10.65	4.21
अन्य		
Others.....	2.06	1.95
कुल / Total	**1,772.15**	**1,219.70**

Financial Adviser &
Chief Accounts Officer

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियाँ ।

I	केंद्र सरकार ने महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को लागू करके महापत्तनों को अधिक स्वायत्तता, लचीलापन प्रदान करने और उनके प्रशासन को व्यवसायिक बनाने हेतु महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को प्रतिस्थापित कर दिया है। तदनुसार, मुंबई पत्तन न्यास ने दिनांक 31.01.2022 से अपना नाम बदलकर "मुंबई पत्तन प्राधिकरण" कर लिया है। ईस संबंध मैं क्रमांक जीएडी/जी/एमपीए/1204 दिनांक 25.03.2022 द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। (दिनांक 15.02.2022 की न्यासी संकल्प संख्या 2)

II		**महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**
	1.	लेखांकन प्रणाली को पत्तन की प्रमुख गतिविधियों के संदर्भ में, वित्तीय खातों की प्रस्तुति उचित रूप से करने की दृष्टि से तैयार किया गया है।
	2.	वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत और लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए जाते हैं।
	3.	मुं.प.प्रा. भूमि को छोड़कर परिसंपत्ति की प्रत्येक श्रेणी के लिए सकल वहन राशि निर्धारित करने हेतु ऐतिहासिक लागत मॉडल का पालन कर रहा है। बड़ी परियोजनाओं के विभिन्न घटकों को पूरी परियोजना के पूरा होने के बाद ही उपयोग में लाया जाना माना जाएगा और उपयोग में लाने की तारीख परियोजना के सभी घटकों के लिए एक समान होगी। पूंजीगत परिसंपत्तियों को लागत से संचित मूल्यह्रास घटाकर बताया गया है। लागत में माल ढुलाई, शुल्क, कर और अधिग्रहण/निर्माण के समय होने वाले प्रासंगिक खर्च शामिल हैं।
	4.	वस्तुसूची का मूल्यांकन खपत के लिए भारित चल औसत पर किया जाता है | खपत को 'प्रथम आया, प्रथम गया' के आधार पर दर्ज किया जाता है| वस्तुसूचियों का अंतिम शेष वास्तविक रूपसे बताया जाता है |
	5.	आईपीआरसीएल शेयरों को छोड़कर मुं.प.प्रा. का निवेश सावधि जमा रसीदों के रूप में है। पोर्ट इन सावधि जमा रसीदों या बॉण्ड्स के संचालन में शामिल नहीं है, इसलिए, निवेश का मूल्य लागत पर लिया जाता है।
	6.	मूल्यह्रास की गणना स्ट्रेट लाइन पद्धति से की जाती है। परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया गया है।
	7.	**राजस्व मान्यता:** ए) राजस्व का हिसाब लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है। कार्गो गतिविधियों से उत्पन्न आय का हिसाब सेवा पूर्ण होने के आधार पर किया जाता है। बी) चल और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में, आय का लेखाकरण बिक्री मूल्य की प्राप्ति पर किया जाता है। सी) अदावाकृत माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री होने पर माल की निकासी के बाद हिसाब में लिया जाता है| केवल ₹5 करोड़ से अधिक की लागत वाली प्रमुख वस्तुओं को बिक्री आय की सुनिश्चिति होने पर आय के रूप में लेखांकित किया जाता है। डी) मूल राशि की अंतिम प्राप्ति में शामिल अनिश्चितता को देखते हुए, विलंबित भुगतान और विवादित दावों पर ब्याज का लेखांकन मूल राशि की प्राप्ति पर किया जाता है। ई) भूमि भूखंडों के पट्टे से प्राप्त अग्रिम भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है। भूमि के पट्टे से प्राप्त एकमुश्त प्रीमियम को राजस्व खाते में लिया जाता है।
	8.	भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंको या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो एसओआर के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, द्वारा अधिसूचित भुगतान तिथि पर बाजार खरीद दर पर डॉलर में निर्धारित शुल्क को उसके समकक्ष भारतीय रुपए में परिवर्तित करने के बाद सभी डॉलर मूल्यवर्ग टैरिफ भारतीय रुपये में वसूल किए जाते हैं।

	9.	सीएफएफआर में दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, पोर्ट ने वित्तीय विवरणों में सरकारी अनुदान की प्रस्तुति की निम्नलिखित पद्धति अपनाई है: "विशिष्ट नियत परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को उस परिसंपत्ति का खाता मूल्य आँकने के लिए विचारित सकल मूल्य से कटौती के रूप में दिखाया जाए।" वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त अनुदानोंका अनुदान का विवरण खातों पर टिप्पणियाँ में क्र.सं.9 पर दिया गया है।
	10.	वर्ष 1979 के टी.आर. संख्या 173 द्वारा, पत्तन ने वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारों के 5% की दर से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने की नीति अपनाई है।

III		**खातों पर टिप्पणियाँ**
	1.	न्या.सं.सं. संख्या 18/06.04.2021 के पैरा (iii) के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि- यह संपदा किराए के मामलों में न्यासी संकल्प में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। “वित्त वर्ष 2021-22 और भविष्य के वर्षों के लिए: कर चालान- केवल राजस्व की मान्यता की सीमा तक उगाहे जा सकते हैं और तदनुसार जीएसटी का भुगतान किया जा सकता है और कर के अनंतिम मूल्यांकन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन कर सकते हैं और निचली सीमातक अनंतिम कर का भुगतान कर सकते हैं तथा कानूनी सलाह के अनुसार उल्लिखित चालान की शर्तों का पालन करें।
	2.	ऑफशोअर कन्टैनर टर्मिनल (ओसीटी) परियोजना की पुनर्संरचना के बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने तक कार वाहकों (न्यासी संकल्प 26 दिनांक 30.03.2015 द्वारा अनुमत) को संभालने के लिए ओसीटी का वैकल्पिक उपयोग जारी रखने के लिए 28.09.2016 के न्यासी संकल्प संख्या 59 के माध्यम से अनुमति दी गई है। जब तक बोर्ड द्वारा 28.10.2015 के न्यासी संकल्प संख्या 104 द्वारा अनुमोदित राजस्व हिस्सेदारी के साथ मौजूदा व्यवस्था जारी रहती है, यानि अगर आईसीटीपीएल मुं.प.प्रा. दरमानों पर टैरिफ लगाता है तो, मुं.प.प्रा. को 72% और लाइसेंसधारी को 28%, और अगर आईसीटीपीएल मुं.प.प्रा. के टैरिफ के 130% पर टैरिफ लगाता है, तो राजस्व हिस्सेदारी 55:45 होगी यानि मुं.प.प्रा. को 55% और आईसीटीपीएल को 45% होगी। हालांकि आईसीटीपीएल मुं.प.प्रा. दरमानों के 130% की दर से घाट किराया शुल्क और मुं.प.प्रा. दरमानों के 100% की दर से घाट शुल्क वसूल रहा है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनके द्वारा भुगतान किया जाने वाला राजस्व हिस्सा 55% है। ओसीटी घाट पर आयात और निर्यात घाट शुल्क के लिए राजस्व हिस्सेदारी के रूप में ₹44.93 करोड़ और घाट किराया शुल्क के रूप में ₹11.39 करोड़ की राशि वसूल की गई है। इन राशियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान क्रमशः कार्गो से संबंधित आय और बंदरगाह और गोदी शुल्क में शामिल किया गया है।
	3.	भारत सरकार द्वारा मुं.प.प्रा. की संपत्तियों के मूल्यांकन योग्य मूल्य का निर्धारण वर्ष 1964-1969 से लंबित है। मुं.प.प्रा. ने मूल्यांकन योग्य मुं.प.प्रा. संपत्तियों के आकलन के लिए जनवरी 2008 और अप्रैल 2016 में मंत्रालय से अनुरोध किया था। इस बारे मैं अक्टूबर 2018 में अवस्मारक दिया गया था, पर यह मुद्दा अभी भी मंत्रालय के पास लंबित है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्यों के आधार पर मुं.प.प्रा. की संपत्ति पर संपत्ति कर के बदले में बृहन्मुंबई महानगर पालिका सामान्य कर वसूलती है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका 4.87 करोड़ प्रति वर्ष की दर से मुं.प.प्रा. से संपत्ति कर वसुलती है और मुं.प.प्रा. बृहन्मुंबई महानगर पालिका पर अपनी संपत्तियों के लिए प्रति वर्ष 1.46 करोड़ की रखरखाव लागत प्रभारित करता है । मुं.प.प्रा. ने रखरखाव लागत ₹.1.46 करोड़ की दर से कटौती के बाद ₹.3.91 करोड़ संपत्ति कर का वार्षिक भुगतान किया है।

वर्ष1995-96 में बृहन्मुंबई महानगर पालिका` ने मुं.प.प्रा. से उन्हें देय संपत्ति कर से रखरखाव लागत में कटौती को अलग करने का अनुरोध किया, जिसे मुं.प.प्रा. ने स्वीकार कर लिया। हालाँकि, तब उनके द्वारा बृहन्मुंबई महानगर पालिका से संपत्ति कर वसूलने का कोई विकल्प नहीं सुझाया गया था। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के साथ मामले को आगे बढ़ाने पर यह बताया गया कि संपत्ति कर से रखरखाव लागत की वसूली/समायोजन के लिए कोई दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं और मुं.प.प्रा. को वसूली के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका के संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। दि. 21.01.2024 तक, एमबीपीए द्वारा देय संपत्ति कर ₹44.63 करोड़ है और रखरखाव लागत के लिए मुं.प.प्रा. का 31.03.2024 तक दावा ₹48.69 (लगभग) करोड़ था।

4. वर्ष 2023-24 की शुरुआत में और अंत में नियत परिसंपत्तियों के सकल और निवल खंड, जिसमें परिवर्धन, विलोपन, निपटान, समायोजन आदि को दर्शाया गया है, को दि.31.03.2024 का तुलन पत्र की अनुसूची II में लेखांकन मानक 10 के अनुसार प्रकट किया गया है। । वर्ष के दौरान, किसी भी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

5. निवेश से संबंधित जानकारी जैसे उद्धृत और अन-उद्धृत निवेश की कुल राशि का खुलासा दि.31.03.2024 के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची III में किया गया है।

6. पूंजीगत परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ के बराबर राशि विनियोजन के माध्यम से पूंजीगत रिजर्व में अंतरित कर दी गई है।

7. जैसा कि लेखापरीक्षा में बताया गया है कि विशिष्ट निधियों के विरुद्ध निवेश के संबंध में यह कहा गया है कि निवेश योग्य अधिशेष की उपलब्धता पर इसे विशिष्ट निधियों में अंतरित कर दिया जाएगा। निधियों और निवेशों में कमी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्धारित निधियों का शेष	उससे किया गया निवेश	कमी
सामान्य आरक्षित निधि	0.00	0.00	0.00
अग्नि एवं मोटर बीमा निधि	140.15	0.00	140.15
युद्ध स्मारक निधि	0.02	0.00	0.00
पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण हेतु निधि	882.53	882.53	0.00
विकास, ऋणों की अदायगी तथा आकस्मिकताओं हेतु निधि	12.79	4.50	8.29
शताब्दी संस्मरण निधि (सीसीएफ)	6.00	6.00	0.00
अवकाश नकदीकरण निधि	0.00	0.31	-0.31
सीएसआर निधि	17.21	0.00	17.21
कर्मचारी कल्याण निधि	0.01	0.01	0.00
कुल	**1058.71**	**893.35**	**165.34**

104.47 करोड़ रुपये की राशि आबंटित नहीं की गई है। न्यासी संकल्प संख्या 218 दिनांक 22.02.2024 के कारण 3.08 करोड़ रुपए की राशि सीएसआर फंड खाते में हस्तांतरित की गई है। चूंकि हस्तांतरण 31.03.2024 को किया गया था, इसलिए इस राशि के विरुद्ध निवेश वित्त वर्ष 2024-25 में किया जाएगा।

8. दिनांक 23.04.2018 की महाराष्ट्र सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या टीपीबी-4317/492/सीआर-289/2017/यूडी-11 अनुसार अधिसूचित किया गया है कि मुंबई पत्तन प्राधिकरण भूमि का स्वामित्व 930.90 हेक्टेयर है। इस 930.90 हेक्टेयर में से, 726.72 हेक्टेयर तक के संपत्ति कार्ड पहले से ही मुंबई पत्तन प्राधिकरण के नाम पर पंजीकृत हैं। शेष भूमि के संबंध में प्राधिकरण, मुं.प.प्रा. के नाम पर संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए जिलाधिकारी, मुंबई शहर के साथ बातचीत जारी है।

9. **परियोजना का वित्त पोषण:**

ए) विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2023-24 के दौरान प्राप्त पूंजीगत अनुदान नीचे सारणीबद्ध हैं:

परियोजना	**से प्राप्त अनुदान**	**प्राप्त अनुदान (रु. करोड़ में)**
मुंबई अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का आधुनिकीकरण	पर्यटन मंत्रालय	8.16
तृतीय रसायन घाट	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	92.75
स्काडा परियोजना	सागरमाला (पोत परिवहन मंत्रालय)	15.62
	कुल	**116.53**

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई राशियाँ एक अलग बैंक खाते में जमा की जाती हैं।

10. सभी विविध अग्रदायों को एसबीआई-ईझी कार्ड के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। दि.31.3.2024 तक संबंधित विभागों के कर्मचारियों को उनके दैनिक लेनदेन के लिए 43 एसबीआई- ईझी कार्ड जारी किए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, सामग्री प्रबंधक और मुख्य यांत्रिक अभियंता द्वारा ईंधन और उपभोग की अन्य वस्तुओं की तत्काल खरीद की व्यवस्था के उद्देश्य से एसबीआई, मझगांव शाखा में तीन अग्रदाय खाते हैं।

11. भूमि मुद्रीकरण के पश्चात पर्याप्त धनराशि प्राप्त होने पर पीएफटी और जीजीएफटी की देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति का विवरण नोट संख्या 14 में दिया गया है।

12. **आकस्मिक देयताएं-**

(ए) मुं.प.प्रा. के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न विषयों पर ₹.52.87 करोड़ की राशि के कानूनी मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।

(बी) हालांकि पत्तन ने महाराष्ट्र पुलिस को बकाया 65.83 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए प्रोद्भूत देनदारी का प्रावधान किया है, पर महाराष्ट्र पुलिस ने ₹.129.58 करोड़ रुपए का दावा किया है। हालाँकि, सटीक दायित्व अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है।

• महाराष्ट्र पुलिस ने जनवरी 1996 से अप्रैल 2010 की अवधि के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए ₹129.58 करोड़ का दावा किया था और पत्तन ने ₹57.08 करोड़ गणना की है, जिसमें से ₹32 करोड़ का भुगतान उन्होंने पहले ही कर दिया था।

• पत्तन ने महाराष्ट्र पुलिस से संपत्ति किराए के संबंध में अप्रैल 2021 में ₹67.91 करोड़ का दावा किया।

• बकाया राशि के स्वतंत्र सत्यापन के लिए एक संयुक्त ऑडिट किया जा रहा है जिसके लिए एक प्रतिष्ठित ऑडिट फर्म की नियुक्ति की जा रही है।

• वसूली की कार्यवाही जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, मुंबई शहर के समक्ष लंबित है।

(सी) बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए जल शुल्क के ₹9.71 करोड़ के 17 बिलों को मुं.प.प्रा. द्वारा विवादित माना गया है क्योंकि इसमें मल-जल निस्सारण शुल्क भी शामिल है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका से संशोधित बिल जारी करने का अनुरोध किया गया है।

(डी) सेवा कर

1. चुंगी वसूली के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका से वसूले गए कमीशन पर सेवा कर के लिए सहायक आयुक्त, एसटी-1 मुंबई द्वारा अक्टूबर 2007 से जनवरी 2013 की अवधि के लिए ₹21.19 करोड़ और उस पर जुर्माने की मांग लंबित थी।

सेवा कर की इस मांग के खिलाफ मुं.प.प्रा. द्वारा दि.19.06.2015 को एक अपील दायर की गई थी।

		मामला सुनवाई के लिए आया था। इसके अलावा, इसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका की जमा राशि से सेवा कर अधिकारियों को ₹7,33,29,267/- का भुगतान करके "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान योजना") के लिए प्रस्तुत किया गया था। सबका विश्वास के तहत मामले का समाधान होने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने दि.23.7.2020 को मुं.प.प्रा./बृ.म.पा. के पक्ष में एक आदेश पारित किया है। मामले में भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी का दावा करने/कैविएट दाखिल करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुधारात्मक उपाय के तौर पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की गई है। 2. अतिरिक्त आयुक्त, सेवा कर, मुंबई से प्राप्त संपदा किरायों पर सेवा कर के लिए ₹31.88 लाख और ₹31.88 लाख जुर्माने की मांग लंबित है। इस पर अपील दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई। अपील को अपील आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस अपील आदेश के विरुद्ध सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) के समक्ष अपील दायर की गई है। मामला सुनवाई के लिए नहीं आया है। 3. टर्मिनल प्रभारों पर सेवा कर के लिए आयुक्त (अपील)-I, मुंबई से प्राप्त ₹41.08 लाख और ₹1.05 लाख की मांग लंबित है। 4. सेवा कर विवरणों में पाई गई विसंगतियों के लिए सीजीएसटी के उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित मांग मुख्य निधि अधिकारी, मुं.प.प्रा. के खिलाफ ₹28,41,864/- और उस पर जुर्माने सहित मांग की गई है। हालांकि, उपर्युक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है। 5. सेवा कर विवरणियों में पाई गई विसंगतियों के लिए सीजीएसटी के उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित मांग मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मुं.प.प्रा. के खिलाफ ₹25,00,589/- और उस पर जुर्माने सहित की गई है। हालांकि, उपर्युक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है। 6. सेवा कर रिटर्न में पाई गई विसंगतियों के लिए सीजीएसटी के उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित मांग उप प्रबंधक, संपदा, मुं.प.प्रा. के खिलाफ ₹41,11,247/- और उस पर जुर्माने सहित की गई है। हालाँकि, उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है। **(ई) एफकॉन्स मामला:** यह अधिनियम की धारा 34 के स्तर पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील का मामला है जिसमै एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी। वर्तमान स्थिति मामला अंतिम बहस के चरण में है। मामला आखिरी बार 18 अप्रैल, 2024 को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और अब 20 जून, 2024 को मामला सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। **(एफ) न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय (एमजीटी) मामले:** न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय की प्राप्ति न होने के कारण वसूले जाने वाले प्रभारों के मुद्दे पर विवाद। वर्तमान स्थिति: मंत्रालय की दिनांक 09.12.2020 की मंजूरी के मद्देनजर अधिवक्ताओं से एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, केमिकल टर्मिनल ट्रॉम्बे लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही वापस लेने का अनुरोध किया गया। बीपीसीएल के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) के समक्ष निवारण के लिए दायर ।

		(जी) आईसीटीपीएल और एमबीपीए के बीच मध्यस्थता: यह विवाद (i) बैलार्ड पियर स्टेशन के प्रबंधन और संचालन और (ii) ऑफशोर कंटेनर टर्मिनल विकास, निर्माण, संचालन और रखरखाव से संबंधित परियोजना के लिए दावेदार आई.सी.टी.पी.एल. और प्रतिवादी मुं.प.न्या. के बीच दिनांक 03.12.2007 को निष्पादित लाइसेंस समझौते के संबंध में उत्पन्न हुआ है। दावेदार ने विभिन्न दावे किए हैं और राहतें मांगी हैं और आरोप लगाया है कि प्रतिवादी लाइसेंस समझौते की आवश्यकताओं का पालन करने और उसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप दावेदार को नुकसान हुआ है। मुं.प.प्रा. ने भी प्रतिदावा किया है। वर्तमान स्थिति दिनांक 02.04.2024 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार न्यायाधिकरण ने अंतिम अवसर के रूप में निपटान के परिणाम का पता लगाने के लिए मामले की सुनवाई 20.08.2024 को तय की है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि यदि निपटान संभव नहीं है, तो मामला आगे बढ़ेगा। उपरोक्त के अलावा, ऋणदाता ने एनसीएलटी से संपर्क किया है और मामला फिलहाल स्थगित है। **(एच) आरकेईसी और मुं.प.प्रा. के बीच मध्यस्थता** यह मामला पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक सहित तरल रासायनिक कार्गो को संभालने के लिए एक विशेष घाट के निर्माण के लिए दावेदार और प्रतिवादी के बीच हुए एक अनुबंध से उत्पन्न हुआ है। द्वीतीय रसायन घाट (एससीबी) के निर्माण का टेंडर आरकेईसी को दिया गया था, क्योंकि वह न्यूनतम बोलिकार था और इसने अन्य बोलीदाताओं की तुलना में बहुत कम बोली लगाई थी। विभिन्न परिस्थितियों के कारण कार्य का दायरा बढ़ाया गया और कार्य के बढ़े हुए दायरे के लिए किए गए भुगतान को लेकर विवाद है। आरकेईसी का दावा है कि अतिरिक्त काम के लिए मुं.प.न्यास द्वारा किया गया भुगतान कम है और इसलिए दावा किया गया है। वर्तमान स्थिति मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 6 अगस्त, 2022 को अपना निर्णय पारित किया। मुं.प.प्रा. ने माननीय उच्च न्यायालय में मध्यस्थता याचिका (एल) संख्या 3434/2023 दाखिल करके 6 अगस्त, 2022 के निर्णय को चुनौती दी है। आरकेईसी ने भी कॉम्प (एल) 5963/2023 दाखिल करके निर्णय को चुनौती दी है। दोनों याचिकाएं फिलहाल लंबित हैं। अगली तारीख तय नहीं की गई है। **(आई) मुं.प.प्रा. और सोंगा टोपाज के बीच मध्यस्थता** : मामला मुं.प.न्यास को हुए व्यावसायिक नुकसान के लिए एमटी सोंगा टोपाज के जहाज मालिक के खिलाफ मुं.प.न्यास द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित मध्यस्थता से संबंधित है। 2013 के दौरान, उक्त जहाज पीर-पाउ में निर्माणाधीन द्वितीय रसायन घाट से टकरा गया। उक्त टक्कर से जेटी को संरचनात्मक क्षति हुई और टक्कर के क्षेत्र में पुनर्निर्माण करना पड़ा। इस पुनर्निर्माण के कारण, जेट्टी के चालू होने में देर हुई और मुं.प.न्यास को व्यापार का नुकसान हुआ। यह मुं.प.न्यास द्वारा किए गए वास्तविक व्यवसाय के आधार पर दावा किया गया है और इसलिए मुं.प.न्यास ने जहाज मालिक और बीमा एजेंसी के एजेंटों को मुं.पो.ट्र. को ₹15 करोड़ की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह बैंक गारंटी बीमा एजेंट यानि मेसर्स गार्ड मरीन एंड एनर्जी, नॉर्वे द्वारा मुं.प.न्यास के पक्ष में जारी की गई है। वर्तमान स्थिति 1. इस मामले में, मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने 17 अप्रैल, 2023 को अपना निर्णय पारित किया है कि (ए) दावेदार (मुं.प.प्रा.) का दावा खारिज किया जाता है। (बी) प्रतिवादी के लागत के दावे को खारिज किया जाता है। (सी) तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, प्रत्येक पक्ष अपनी लागत स्वयं वहन करेगा।

		2. अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद लॉ प्वाइंट की टिप्पणियों के साथ मध्यस्थता निर्णय बोर्ड के समक्ष रखा गया। दि. 6.7.2023 के संकल्प संख्या 63 के अनुसार, बोर्ड ने वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी कि 17.4.2023 के मध्यस्थता निर्णय को स्वीकार किया जा सकता है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील स्वीकार न किए जाने के कारण नहीं की जा सकती है। **(जे) उच्च न्यायालय मामला - धारा** 34 - **यूनाइटेड शिपर्स बनाम मुं.प.प्रा. - कम. आर्बी. याचिका संख्या 2019 की 946 :** यह याचिका यूनाइटेड शिपर्स द्वारा मुं.प.न्यास के पक्ष में पारित एकमात्र मध्यस्थता के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। मामला मुंबई पोर्ट की जल सीमा में पोर्ट लाइटरेज एरिया (पीएलए) में स्वामित्व वाली/किराए की फ्लोटिंग क्रेन की तैनाती के लिए निविदा का और याचिकाकर्ता की इसे तैनात करने में असमर्थता के संबंध में है। वर्तमान स्थिति मामले को आखिरी बार दि. 25 फरवरी, 2020 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, चूंकि अदालत विभिन्न मामलों में व्यस्त थी, इसलिए मामले को 12 मार्च, 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मामला तब से सूचीबद्ध नहीं हुआ है और अंतिम तिथि (सीएमआईएस) है 9 जुलाई, 2020 के रूप में दिखाया गया है। अगली तारीख तय नहीं की गई है। **(के) जेएनपीए को देय/प्राप्ति योग्य बकाया:** निकर्षण लागत के हिस्से के रूप में जेएनपीए को ₹97.10 करोड़ की राशि देय है, जिस पर एमबीपीए द्वारा विवाद किया गया है क्योंकि यह सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार नहीं है। दिसंबर 2022 से मार्च 2024 तक की अवधि के लिए साझा चैनल के उपयोग के लिए पोर्ट बकाया के भुगतान के लिए प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार जेएनपीए से ₹.107.87 करोड़ की राशि प्राप्त होने योग्य है।
	13.	**कर देयताएँ:** **(ए) वस्तु एवं सेवा कर** (i) मुंबई पत्तन न्यास ने नियत तिथि के भीतर अपने सभी वैधानिक बकायों और शुल्कों को जमा कर दिया हैं। (ii) उन पट्टेदारों/किरायेदारों के लिए संपत्ति किराए पर जीएसटी रिफंड दाखिल किया गया है, जिनका बिल वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए टीआर-127 के अनुसार किया गया है और बिलिंग के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। (iii) उप आयुक्त राज्य कर द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए ₹1,37,49,97,325 करोड़ की कर मांग तथा उस पर ब्याज और जुर्माना लगाया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई है। (iv) एडीटी-02 में संप्रेषित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 14,69,17,009/- की कर मांग तथा उस पर ब्याज और जुर्माना के साथ कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। **बी) आयकर:** पत्तन ने पिछली अवधि में भारी घाटा दर्ज किया है, इस वर्ष आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (i) वित्त वर्ष 2018-19 से 'आस्थगित कर प्रावधान' के लिए लेखांकन नीति में बदलाव हुआ है। मुं.प.न्यास द्वारा लगातार हो रहे घाटे को देखते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब में आस्थगित कर का लेखा-जोखा

		बंद कर दिया गया था। चालू वर्ष के दौरान लाभ हुआ है, संचित व्यावसायिक हानि/अनवशोषित मूल्यह्रास, मूल्यह्रास में अंतर और अग्रिम प्रीमियम शुल्क के कारण ₹459.58 करोड़ का आस्थगित कर प्रावधान किया गया है। (ii) यह कहा गया है कि एओ (कर निर्धारण अधिकारी) के समक्ष कोई मूल्यांकन लंबित नहीं है। (iii) वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 10(20) में संशोधन के साथ पत्तनों को 'स्थानीय प्राधिकरण' के रूप में दी गई आयकर की छूट वापस ले ली गई और पत्तन वित्तीय वर्ष 2002-03 से आयकर अधिनियम, 1961 के दायरे में आ गए अग्रिम कर का भुगतान, कर लेखा परीक्षा, टीडीएस आदि द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करना मुं.प.न्या. पर लागू हो गया और समय-समय पर इसका अनुपालन किया गया। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए (1)(बी) (I) के तहत जारी दिनांक 08/09/2009 के पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अनुसरण में, मुं.प.न्या को 1/04/2002 से 'धर्मार्थ संस्थान' का दर्जा प्राप्त हुआ। हालाँकि, निदेशक आयकर (छूट) ने अपने आदेश दि. 22/12/2011 द्वारा उक्त पंजीकरण को कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से वापस ले लिया था। आदेश के विरुद्ध आईटीएटी में दायर अपील के प्रत्युत्तर में, आईटीएटी ने 8/9/2009 को दिए गए पंजीकरण को बहाल करने का आदेश जारी किया है। आयकर अधिनियम की धारा 12एबी के संशोधित प्रावधानों के आलोक में, मुं.प.प्रा. को 'धर्मार्थ संस्थान' के रूप में पुनः पंजीकृत करने के लिए 13.09.2021 को आयकर विभाग में आवेदन किया गया है। मुं.प.प्रा. को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए (1)(एसी)(I) के तहत 01.10.2021 को 'धर्मार्थ संस्थान' के रूप में अनंतिम पंजीकरण मिला है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक की अवधि के लिए है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, वित्तीय वर्ष 2022-23 (वित्त वर्ष 2021-22) तक के आकलन पूरे हो चुके हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017-18 (वित्त वर्ष 2008-09 को छोड़कर) और वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के सभी मामले विभिन्न अपीलीय मंचों पर हैं। इनका विवरण संलग्न है। (iv) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, मुं.प.प्रा. को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जो पत्तन उपयोगकर्ताओं, पट्टों और किरायेदारों और बैंकों/वित्तीय संस्थानों को 25 अगस्त 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू 0.35% की दर से कर काटने के लिए अधिकृत करते हैं। (v) मुंबई पत्तन ने आयकर अधिनियम के तहत धारा 10(46ए) के तहत आवेदन किया है। धारा 10(46ए) के अनुसार, किसी कंपनी के अलावा किसी निकाय या प्राधिकरण, बोर्ड, ट्रस्ट या आयोग द्वारा निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए केंद्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित की गई आय: i) आवास की आवश्यकता पर ध्यान देना और उसे पूरा करना; (ii) शहर, कस्बे या गांव की योजना बनाना, विकास करना या सुधार करना; (iii) आम जनता के लाभ के लिए किसी गतिविधि को विनियमित करना, या विनियमित करना और विकसित करना; या (iv) ऐसी किसी भी चीज़ को विनियमित करना जिसका संबंध आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया हो, छूट प्राप्त होगी, इस प्रकार मुंबई पोर्ट द्वारा अर्जित आय छूट प्राप्त होगी।

14. **सेवानिवृत्ति लाभ:**

पेंशन निधि, उपदान निधि और अवकाश नकदीकरण निधि के बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दि. 31.03.2024 को प्रोद्भूत देयता इस प्रकार थी:

(₹ करोड़ में)

	दि. 31.03.2024 के अनुसार बिमांकिक मूल्यांकन	**दि. 31.03.2024 के अनुसार निवेश**	**शेष (लघु-वित्तपोषण)**
पेंशन निधि	11447.74	10311.91	1135.83
उपदान निधि#	404.13	111.01	293.12
अवकाश नकदीकरण निधि*	230.28	0.31	229.97
कुल	**12082.15**	**10423.23**	**1658.92**

चूंकि आईसीआईसी प्रूडेंशियल को छोड़कर उपदान निधि निवेश के लिए ब्याज दर घोषित नहीं की गई है, इसलिए निवेश का मूल्यांकन 0.20% आरओआई मानकर किया गया है।

*****अंतिम रूप देने के समय अवकाश नकदीकरण के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए पिछले वर्ष के बीमांकिक मूल्य को रूढ़िवादी आधार पर माना गया है।

लेखांकन मानक 15 के अनुसार और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए सेवानिवृत्ति लाभ वित्तीय विवरणों में अलग से दिखाए जाते हैं।

ए. दि. 14.01.2004 को एक अपरिवर्तनीय पेंशन निधि न्यास बनाया गया है और इसे आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया है। दि.31.3.2024 को पेंशन निधि निवेश में शेष राशि ₹10311.91 करोड़ थी, जबकि बीमांकिक मूल्यांकन ₹.11447.74 करोड़ था। लेन-देन के लिए खातों की पुस्तकें रखी जाती हैं और अलग से अंतिम लेखे तैयार किए जाते हैं।

बी. उपदान देयताओ को प्रबंधित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय उपदान निधि न्यास बनाया गया है और दि.31.3.2024 को निधि निवेश शेष ₹111.01 करोड़ था। एलआईसी के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, दि.31.03.2024 तक कर्मचारी समूह उपदान निधि की आवश्यकता ₹404.13 करोड़ है। लेन-देन के लिए खातों की पुस्तकें रखी जाती हैं और अलग से अंतिम लेखे तैयार किए जाते हैं।

सी. दि.01.01.2004 से पहले बनाए गए कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि का प्रबंधन पत्तन द्वारा किया जाता है और दि.31.03.2024 तक निधि शेष ₹631.32 करोड़ था।

डी. एसबीआई लाइफ द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अवकाश नकदीकरण निधि की देयता ₹.230.28 करोड़ है। अवकाश नकदीकरण निधि का पूरा उपयोग किया जा चुका है और निधि के निवेश में ₹0.31 करोड़ शेष है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान फंड में कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी गई है और अवकाश नकदीकरण निधि पर व्यय मुं.प.प्रा. के राजस्व खाते से पूरा किया जाता है।

15. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:**

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू है, जिनकी भर्ती 01.1.2004 को या उसके बाद हुई है। न्या.सं.सं.134/29.09.2022 के अनुसार, बोर्ड ने 01.04.2019 से पत्तन द्वारा भुगतान किए जाने वाले मासिक अंशदान को मूल वेतन + डीए के 10% से बढ़ाकर 14% करने की स्वीकृति दी। इस प्रकार, मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किए जाने वाले वेतन + डीए का 10% और मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा देय मूल वेतन + डीए का 14% है।

16. पत्तन ने वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹.17.83 करोड़ (जीएसटी सहित) के बीमा प्रीमियम के लिए 12.10.2023 से 11.10.2024 तक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ पत्तन परिसंपत्तियों की अपनी बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया है। जीएसटी पर उचित आईटीसी (₹2.71 करोड़) का दावा

		किया गया है। 01.04.2024 से 11.10.2024 तक की अवधि के लिए भुगतान किए गए ₹8.04 करोड़ के आनुपातिक बीमा प्रीमियम की राशि को पूर्व अदा (प्री-पेड) खर्चों में प्रभारित किया गया है।
	17.	मुं.प.प्रा द्वारा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के पक्ष में ₹3.50 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की गई है।
	18.	**वडाला-कुर्ला समर्पित माल लाइन परियोजना-** मुं.प.प्रा ने एमएमआरडीए के माध्यम से झोपड़ियों को हटाने और पुनर्वास तथा मध्य रेलवे द्वारा रेलवे लाइन बिछाने से संबंधित कार्यों के लिए मध्य रेलवे को ₹77.38 करोड़ की राशि का भुगतान किया है। यह परियोजना पत्तन के कार्गो की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करेगी। समझोता न्यापन के खंड-1(I) में कहा गया है कि मध्य रेलवे उक्त समर्पित लाइन के उपयोग के लिए मुं.प.प्रा के यातायात को प्राथमिकता देगा। चूंकि पिछले कुछ वर्षों में कार्गो यातायात में कमी आई है, इसलिए परियोजना को स्थगित रखा गया है। हालांकि, परियोजना को अभी तक रद्द नहीं गया है। कार्गो यातायात बढ़ने पर परियोजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। पत्तन ने विषय कार्य की स्थिति को प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में बनाए रखा है।
	19.	**संबंधित पार्टी प्रकटीकरण-** 1) <u>इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल)</u> - मुं.प.प्रा इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) में एक इक्विटी हिस्सेदार है, जिसमें ₹4.50 करोड़ का इक्विटी शेयर है, जिसमें ₹10/- प्रत्येक के 45,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। आईपीआरसीएल 11 प्रमुख पत्तनों और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के बीच गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे 10 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 2) <u>मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन</u>:- मुं.प.प्रा के बोर्ड ने न्यासी संकल्प सं. 45 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से मुंबई पोर्ट सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के गठन के लिए ₹15,00,000/- के इक्विटी योगदान के साथ रु.10 प्रत्येक के समसंख्या समभाग (इक्विटी समभाग) का अनुमोदन प्रदान किया है। स्थापना व्यय के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। कार्यालय स्थान के लिए जगह 5 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क प्रदान कि जाएगी।
	20.	पिछले वर्ष और चालू वर्ष के आंकड़ों के संबंध में प्रस्तुति में परिवर्तन के साथ-साथ लेखों पर टिप्पणियों में परिवर्तन दि. 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन पत्र में लेखापरीक्षा द्वारा जारी टिप्पणियों और दि. 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लेखा-परीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा जारी टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए किए गये हैं।
	21.	अनुसूचियाँ तुलन-पत्र और राजस्व खाते का एक अभिन्न अंग हैं।
		हस्ता/- (श्रीमती माधुरी अ. वराडे) वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी 13 दिसम्बर 2024

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2024.

I	The Central Govt. vide enactment of the Major Port Authorities Act, 2021 has replaced the Major Port Trusts Act, 1963 to provide greater autonomy, flexibility to the major ports and to professionalize their governance. Accordingly, the Mumbai Port Trust has changed its name to "MUMBAI PORT AUTHORITY" w.e.f 31.01.2022. A gazette notification has been issued vide No. GAD/G/MPA/1204 dated 25.03.2022. (TR No.2 of 15.02.2022)

II		**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**
	1.	The accounting system has been devised with a view to enabling presentation of financial accounts, in terms of the principal activities of the Port.
	2.	The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of accounting.
	3.	MbPA is following historical cost model for determining the gross carrying amount for each class of asset except land. The different components of the big projects are deemed to be put in use only after the completion of the entire project and date of put to use will be uniform for all the components of the project. Capital Assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost is inclusive of freight, duties, taxes and incidental expenses incurred at the time of acquisition/construction.
	4.	The inventory is valued at weighted moving average for consumption. The consumption is booked by FIFO method. The Closing balance of inventory are valued at actuals.
	5.	Investments of MbPA except IPRCL shares are in the form of FDRs. Port is not involved in treading of these FDRs or bonds, hence, investments are valued at cost.
	6.	Depreciation is calculated on straight-line method. The useful lives of the assets have been fixed in terms of guidelines issued by Government from time to time.
	7.	Revenue recognition: a) Revenue is accounted by following accrual basis of accounting. Income arising from Cargo activities is accounted on completed service basis. b) In case of sale of movable and immoveable Assets, the income is accounted on receipt of sale price. c) Revenue from sale of unclaimed goods is accounted after clearance of goods on sale except major items costing above ₹.5 crore is accounted as income on attaining certainty of realization of sale proceeds. d) In view of the uncertainty involved in ultimate realization of principle amount, interest on delayed payment and disputed claims are accounted for on receipt of principle amount. e) Upfront payment received on leasing of land plots are being amortized over the lease period. One time premium if any received on leasing of land will be taken to revenue account.
	8.	All Dollar denominated tariff is recovered in Indian Rupees after conversion of charges prescribed in dollar into its equivalent Indian Rupees at the market buying rate on the date of payment notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its associates or any other Public Sector banks as may be specified from time to time as per provisions of SOR.
	9.	Based on the guidelines given in the CFFR, Port has adopted the following method of presentation of government grants in the financial statements: "Grants related to specific fixed assets, may be shown as a deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value." Details of the grants received during the year 2023-24 are disclosed at sr. No.9 in Notes to Accounts.
	10.	By TR No.173 of 1979, the Port has adopted a policy to create provision for bad and doubtful debts @ 5% of the total outstanding debtors at the year end.

III		NOTES TO ACCOUNTS
	1	As per para (iii) of TR No.18/06.04.2021, it was decided that- This will be done in case of Estate Rentals as per the criteria specified in TR. *"For FY 2021-22 and for future years: the tax invoices- may be raised only to the extent of the recognition of the revenue and pay GST accordingly and to apply to concerned authorities for provisional assessment of tax and pay provisional tax at the lower rental amount and follow the conditions of invoicing mentioned as per legal advice."*
	2.	Permission is granted vide TR No.59 of 28.09.2016 for continuing alternate use of the OCT for handling of Car Carriers (allowed vide TR 26 of 30.03.2015) till final decision is taken about re-structuring of OCT Project. Till such time existing arrangement with revenue share as approved by the Board by TR 104 of 28.10.2015 is continuing i.e. 72% to MbPA and 28% to the Licensee, if ICTPL levies tariff @ MbPA SOR and if ICTPL levies tariff @ 130% of tariff of MbPA, revenue share would be 55:45 i.e. 55% to MbPA and 45% to ICTPL. Though ICTPL is levying Berth Hire charges @ 130% of MbPA SOR and Wharfage @100% of MbPA SOR, the revenue share paid by them under both the scenario is 55%. An amount of ₹.44.93 crore is realized as revenue share towards Import and Export Wharfage at OCT berths and ₹. 11.39 Crore towards berth hire charges. The amounts are accounted for in cargo related income and Port & Dock charges respectively during the year F.Y.2023-24.
	3.	The fixation of rateable value of MbPA properties by Govt. of India is pending since 1964-1969. MbPA requested Ministry in January 2008 and April 2016 for valuation of rateable MbPA properties. The same was reminded in October 2018, however the issue is still pending with Ministry. MCGM charge General Tax in lieu of Property Tax on the Assets of MbPA based on its rateable values determined by Government. MCGM charges property tax @4.87 cr. per annum to MbPA and MbPA charges @1.46 Cr. per annum maintenance cost for its properties to MCGM. MbPA has effected annual payments of ₹.3.91 cr of property tax after deducting maintenance cost @₹.1.46 cr. In 1995-96 MCGM requested MbPA to delink reduction of Maintenance cost from the Property tax payable to them which was accepted by MbPA. However, alternative to recover the property tax from MCGM was not suggested then by them. On pursuing the matter with MCGM it was conveyed that there exists no guidelines for recovering/ adjustment of maintenance cost from property tax and MbPA has to approach concern department of MCGM for recovery. As on 21.01.2024, Property tax payable by MbPA is ₹.44.63 cr. and MbPA's claim towards maintenance cost as on 31.03.2024 was ₹.48.69 Cr.(approx.)
	4.	Gross and net block of fixed assets at the beginning of the year and at the end of the year 2023-24 showing additions, deletions, disposals, adjustments etc. have been disclosed in the Schedule II to Balance Sheet as on 31.03.2024 in terms of Accounting Standard 10. During the year, no asset has been revalued.
	5.	Information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investment has been disclosed in the Schedule III to Balance Sheet as on 31.03.2024.
	6.	Amount equivalent to profit on disposal of Capital Assets has been transferred to Capital Reserve through appropriation.
	7.	As pointed out in audit as regards the investments against the specific funds it is stated

that on availability of investible surplus it will be transferred to the specific funds. There is shortfall in fund and investments as detailed below:

(₹. in crore)

Particulars	Balance of the earmarked funds	Investment made thereof	Shortfall
General Reserve Fund	0.00	0.00	0.00
Fire & Motor Insurance Fund	140.15	0.00	140.15
War Memorial Fund	0.02	0.00	0.00
Fund for RRM of Capital Assets	882.53	882.53	0.00
Fund for DRLC	12.79	4.50	8.29
Centenary Commemoration Fund (CCF)	6.00	6.00	0.00
Leave Encashment Fund	0.00	0.31	-0.31
CSR Fund	17.21	0.0	17.21
Employees Welfare Fund	0.01	0.01	0.00
Total	**1058.71**	**893.35**	**165.34**

An amount of Rs.104.47 crores has kept unallocated. An amount of Rs. 3.08 crores has been transferred to CSR fund account on account of TR no. 218 dated 22.02.2024. Since the transfer was made on 31.03.2024, investments against this amount will be made in FY 2024-25

8. As per the Government of Maharashtra's Gazette Notification No.TPB-4317/492/CR-289/2017/UD-11 dated 23.04.2018 has notified that the ownership of Mumbai Port Authority land is to the tune of 930.90 Hectors. Out of the 930.90 Hectors, Property Cards are already registered in the name of Mumbai Port Authority to extent of 726.72 Hectors. As regards the balance land the authority is following with the Collector Mumbai City to issue Property Card in the name of MbPA.

9. Project Financing:

a) Capital Grants received during 2023-24 towards various projects are tabulated below:

Project	Grant Received from	Grant Received (₹. in Cr.)
Modernization of Mumbai International Cruise Terminal	Ministry of Tourism	8.16
Third Chemical Berth	Sagarmala (Ministry of Shipping)	92.75
SCADA Project	Sagarmala (Ministry of Shipping)	15.62
	TOTAL	**116.53**

As per new guidelines, amounts received as grants are parked in a separate Bank account.

III	NOTES TO ACCOUNTS	
	10.	All petty Imprest are managed through SBI EZ Cards 43 SBI-EZ Cards have been issued to the concerned department's staff to carry out their day to day transactions as on 31.3.2024. In addition to above, there are three imprest accounts with SBI, Mazgaon Branch for the purpose of urgent purchase of fuel and other items of consumption managed by the Materials Manager and the Chief Mechanical Engineer.
	11.	The liabilities of PFT and GGFT will be discharged fully after receipt of sufficient funds realised after land monetization. The present status is further elaborated at Note No.14.
	12.	**Contingent liabilities** **(a)** Law suits amounting to ₹.52.87 crore on various subject matters for and against MbPA are pending in various courts. **(b)** Though the Port has provided for the accrued liability of ₹.65.83 crore towards payment due to Maharashtra Police, the Maharashtra Police has raised the claim for Rs.129.58 crore. However, the exact liability is not yet crystalized. • Maharashtra Police claimed ₹.129.58 crores for deployment of Police personnel for the period from January 1996 to April 2010 and the Port had arrived the liability for ₹.57.08 crore of which ₹.32 crore already settled by them. • Port further claimed April 2021 ₹.67.91 crore in respect of Estate Rental from Maharashtra Police. • For independent verification of outstanding dues, a joint audit is being conducted for which a reputed Audit Firm is being appointed. • Recovery proceedings is pending before Collector and District Magistrate, Mumbai City. **(c)** 17 Bills amounting to ₹.9.71 crores towards water charges raised by MCGM are disputed by MbPA due to inclusion of sewerage charges. MCGM has been requested to issue revised bills. **(d) Service Tax** 1. A Demand of ₹.21.19 crore plus penalty thereon for the period from Oct 2007 to Jan 2013 raised by Asstt commissioner, ST-1 Mumbai for service tax on commission recovered from MCGM for collection of octroi was pending. An appeal was filed by MbPA against this Service Tax demand on 19.06.2015. The matter had come up for hearing. Further, the same had been submitted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution Scheme") by making a payment of ₹.7,33,29,267/- to Service Tax Authorities from deposits retained of MCGM. After resolution of matter under Sabka Vishwas, ***The Appellate Tribunal has passed an order in favour of MbPA/MCGM on 23.7.2020. Further action for claiming refund for Service tax paid/ caveat filing in the matter is being taken.*** As a corrective measure caveat has been filed in High Court and Supreme Court. 2. A demand of ₹.31.88 lakh plus penalty of ₹.31.88 lakh for Service Tax on Estate rentals received from Addl. Commissioner, Service Tax, Mumbai is pending. Appeal is filed and came up for hearing. The appeal was rejected by an order-in-appeal. Appeal has been filed before CESTAT against this order-in-appeal. The matter has not come up for hearing. 3. Demand of ₹.41.08 lakhs and ₹.1.05 lakhs for service tax on Terminal charges received from Commissioner (Appeals)-I for service tax, Mumbai are pending. 4. A demand of Rs.28,41,864/- plus penalty thereon is raised against M/s Chief Law Officer, MBPT pertaining to FY 2016-17 passed by Deputy Commissioner of CGST for

discrepancies found in Service tax returns. However, an appeal is filed against the above-said order.

5. A demand of Rs.25,00,589/- plus penalty thereon is raised against M/s Chief Security Officer, MBPT pertaining to FY 2016-17 passed by Deputy Commissioner of CGST for discrepancies found in Service tax returns. However, an appeal is filed against the above-said order.

6. A demand of Rs.41,11,247/- plus penalty thereon is raised against M/s Dy. Manager, ET, MBPT pertaining to FY 2016-17 passed by Deputy Commissioner of CGST for discrepancies found in Service tax returns. However, an appeal is filed against the above-said order.

(e) AFCONS matters:

This is an appeal matter filed against order of the High Court at the stage of Section 34 of the Act and the order of single judge was challenged.

Present Status

The matter is at the stage of final argument. Matter was last listed on April 18, 2024 but did not reach due to paucity of time and is now posted for hearing on June 20, 2024.

(f) MGT matters

Dispute on the issue of charges recoverable on account of non-achievement of MGT.

Present status:

Requested the solicitors to withdraw arbitration proceedings against Aegis Logistics Ltd., Chemical Terminal Trombay Ltd., Tata Power Co. Ltd. and Hindustan Petrolium Corporation Ltd. in view of approval of Ministry dated 09.12.2020.

Against BPCL for redressal before the Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD) set up by Central Government.

(g) Arbitration between ICTPL and MbPA

The dispute arises in connection with the License Agreement dated 03.12.2007 executed between the Claimant [ICTPL] and the Respondent [MbPT] for the project related to (i) Management and operation of Ballard Pier Station and (ii) Development, construction, operation and maintenance of the Offshore Container Terminal. The Claimant has raised various claims and reliefs alleging that the Respondent has failed to comply with the requirements of the License Agreement and to perform its obligations thereunder, which consequently caused losses to the Claimant.

MbPT has also raised a counter claim.

Present Status

As per the Minutes of the Meeting dated 02.04.2024 the Tribunal has fixed the matter on 20.08.2024 to ascertain outcome of settlement as and by way of last chance. The Tribunal has stated that if settlement is not possible, the matter will proceed further. Apart from above, the lender have approached NCLT and matter is presently stayed.

(h) Arbitration between RKEC and MbPA

The matter arises out of a contract entered into between the Claimant and Respondent for the construction of a specialized berth for handling liquid chemical cargo including petroleum, oil, and lubricants. The Tender for the construction of the Second Chemical Berth (SCB) was awarded to RKEC, as it was L1 and had quoted a much lower price than other bidders.

The scope of the work was increased due to various circumstances and the dispute is regarding the payment made for the increased scope of work. RKEC

claims that the payment made by MbPT for the extra work is less and therefore the claim.

Present Status

The Arbitral Tribunal passed its Award on August 6, 2022. MbPT has challenged the Award dated August 6, 2022 by filling Arbitration Petition (L) No. 3434 of 2023 in the Hon'ble Bombay High Court. Even RKEC has challenged the award by filing COMAP (L) 5963 of 2023. Both the Petitions pending at present. No next date is assigned

(i) Arbitration between MbPA and Songa Topaz

The case relates to a proposed arbitration to be initiated by MbPT against the vessel owner of MT Songa Topaz for business loss caused to MbPT. During 2013, the said vessel collided with under-construction Second Chemical Berth at Pir-Pau. The said collision caused structural damages to the jetty and the same had to be reconstructed at the collision area. Due to this reconstruction, the commissioning of the jetty was delayed and MbPT suffered loss of business. This is claimed on the basis of the actual business done by MbPT and therefore MbPT directed the agents of the vessel owner and the insurance agency to furnish MbPT a bank guarantee of ₹. 15 crores. This bank guarantee is issued in favour of MbPT by the insurance agent i.e. M/s. GARD Marine and Energy, Norway

Present Status

1. In this matter, the Arbitral Tribunal has passed its Award on April 17, 2023 that (a) The Claimant's (MbPA) claim is dismissed. (b) The Respondent's claim for costs is dismissed. (c) On the facts and circumstances, each party to bear their own costs.

2. The Arbitral Award with comments from The Law Point was placed before the Board after obtaining Chairperson's approval. Vide Resolution No.63 of 6.7.2023, Board accorded approval to the Financial Adviser & Chief Accounts Officer's proposal that the Arbitral award dated 17.4.2023 may be accepted and appeal under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 may not be preferred due to non-maintainability.

(j) High Court matter – Section 34 – United Shippers v MbPA – Comm. Arb. Petition No. 946 of 2019

This Petition was filed by United Shippers against the order of the Sole Arbitrator passed in favour of MbPT. The matter is regarding the Tender for deployment of Owned/ Hired Floating Cranes at Port Lighterage Area (PLA) in Mumbai Port water limits and the inability of the Petitioner to deploy the same.

Present Status

The matter was last listed on February 25, 2020 for final hearing, however, since the Court was occupied with different matters, the matter was adjourned to

March 12, 2020.The matter has not listed since then and the last date (CMIS) is shown as July 9, 2020. No next date is shown.

(k) **Dues payable to / receivable from JNPA:**

An amount of ₹.97.10 crores is payable to JNPA towards share of dredging cost which is disputed by MbPA as the same is not as per agreed terms and conditions.

An amount of ₹.107.87 crores is receivable from JNPA as per Protocol Agreement towards payment of Port Dues for use of common channel for the period from December 2022 to March 2024.

13. Taxation:

Goods and Services Tax

(i) Mumbai Port Trust has remitted all its statutory dues and duties within due date

(ii) GST Refund has been filed on Estate Rentals for those lessees/tenants who are billed as per TR-127 for F.Y. 2019-20 and payment is not received as per billing.

(iii) A tax Demand of ₹ 1,37,49,97,325 crore plus interest and penalty thereon was raised in the order for the period 2017-18 raised by Dy. Commissioner of State Tax for the Audit observations made thereon. Writ petition is filed in High Court against the above said order.

(iv) A Show Cause notice with a tax demand of ₹. 14,69,17,009/- plus interest and penalty thereon is received for the FY 2019-20 based on the audit observations communicated in ADT-02.

(a) **Income Tax:**

The Port has reported huge losses for the previous period, no provision has been made for Income Tax this year.

(i) Since FY 2018-19 there was change in accounting policy for 'Provision for Deferred Tax'. The accounting of deferred tax was discontinued in response to the Audit objection raised considering the continuous losses incurred by MbPT. During the current year there is profit deferred tax of ₹. 459.58 crores is provided for on account of accumulated business loss/ unabsorbed depreciation, difference in depreciation and upfront premium fees

(ii) It is stated that no assessment is pending before AO

(iii) With amendment in section 10(20) in Finance Act,2002 exemption of Income Tax allowed to Ports as 'Local Authority' was withdrawn and Ports came under the purview of Income Tax Act,1961 from the financial year 2002-03. As such the provisions of Income Tax Act viz. payment of Advance Tax, filing of return of Income by conducting Tax Audit, TDS, etc. became applicable to MbPT and duly complied with from time to time.

Pursuant to obtaining the registration certificate dated 08/09/2009 issued u/s 12AA (1)(b) (i) of I.T. Act, 1961, MbPT got the status as a 'Charitable Institution' w.e.f. 1/04/2002. However, the Director of Income Tax (Exemp.) by his order dated

22/12/2011 had withdrawn the said registration w.e.f. A.Y.2009-10. In response to the appeal filed with ITAT against the order, ITAT has issued an order restoring the registration granted on 8/9/2009.

In light of amended provisions of section 12AB of Income Tax Act, An application has been made with Income Tax Department on 13.09.2021 for re-registration MbPA as 'Charitable Institution'. MbPA got the provisional registration as a 'Charitable Institution' u/s 12A (1)(ac)(i) of I.T. Act, 1961 on 01.10.2021 for the period AY 2022-23 to AY 2026-27.

Till F.Y.2023-24, the assessments upto AY 2022-23 (F.Y 2021-22) have been completed. However, all the cases upto AY 2017-18 (except A.Y.2008-09) & AY 2022-23 are at the various appellate forums. The details of the same are enclosed.

(iv) For the F.Y. 2023-24, MbPA has received certificates u/s 197 of Income-Tax Act, 1961 authorising the Port users, leases and tenants and Banks/ Financial Institutes to deduce Tax @0.35% applicable w.e.f. 25th August 2023 to 31st March 2024.

(v) Mumbai Port has made application u/s 10(46A) under the income tax act. As per section 10(46A), any income derived by a body or authority, board, trust, or commission, other than a company, established or constituted by or under a central or state act for one or more of the following purposes:

(i) addressing and meeting the need for housing accommodations;
(ii) city, town, or village planning, development, or improvement;
(iii) regulating, or regulating and developing, any activity for the general public's benefit; or
(iv) regulating anything that has to do with the reason it was made for the good of the general public shall be exempt, thus making income earned by Mumbai Port exempt.

14. Retirement Benefits:

(a) Based on actuarial valuation of Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund, the accrued liability as on 31.03.2024 stood as follows:

(₹ In Crores)

	Actuarial Valuation as on 31.3.2024	Investment as on 31.3.2024	Balance (Short –Funding)
Pension Fund	11447.74	10311.91	1135.83
Gratuity Fund#	404.13	111.01	293.12
Leave Encashment *	230.28	0.31	229.97
Total	**12082.15**	**10423.23**	**1658.92**

Since the interest rate is not declared for Gratuity fund investment except by ICIC Prudential, the investment valuation is done assuming ROI @0.20%.

*The actuarial valuation for Leave Encashment was not received at the time of finalisation, hence, the actuarial value for previous year has been considered on conservative basis.

In accordance with Accounting Standard 15 and complying with the provisions of Income

Tax Act the retirement benefits are separately shown in the financial statements.

a. An irrevocable Pension Fund Trust has been created on 14.1.2004 and is approved by the Income Tax Commissioner. The balance in Pension Fund Investment as on 31.3.2024 stood at ₹.10311.91 Crore as against the actuarial valuation of ₹.11447.74 Crore. Books of accounts are maintained for the transactions and separate final accounts are prepared.

b. An irrevocable Gratuity Fund Trust has been created to manage the gratuity liability and the fund Investment balance as on 31.3.2024 stood at ₹.111.01 Crore. As per actuarial valuation from LIC, the requirement of Employees Group Gratuity Fund amounts to ₹.404.13 Crore as on 31.03.2024. Books of accounts are maintained for the transactions and separate final accounts are prepared.

c. The General Provident Fund of the employees created before 01.01.2004 is managed by the Port and the fund balance stood at ₹.631.32 Crore as on 31.03.2024.

d. As per the actuarial valuation done by SBI Life the liability of Leave Encashment Fund amounts to ₹.230.28 Cr. Leave Encashment Fund has been fully utilised and there is balance of ₹.0.31 Cr. in investment of the fund. No further funding has been made to the fund during the current financial year and the expenditure on leave encashment fund is met from Revenue Account of MbPA.

15. National Pension System:

National Pension System (NPS) introduced by the Central Govt. is made applicable to the employees who have been recruited on or after 01.1.2004. Vide TR No. 134/29.09.2022, the Board accorded approval for enhancement of monthly contribution to be paid by the Port from 10% to 14% of the Basic + DA w.e.f. 01.04.2019. As such, the monthly contribution is 10% of the salary + DA to be paid by the employee and 14% of the Basic + DA payable by the Mumbai Port Authority.

16. The Port has renewed its insurance policy of port properties with The New India Assurance Co. Ltd. from 12.10.2023 till 11.10.2024 for an insurance premium of ₹.17.83 crore (including GST) paid during the year. Appropriate ITC on GST (₹.2.71 Crore) has been claimed. Amount of proportionate insurance premium of ₹.8.04 crore paid for the period from 01.04.2024 to 11.10.2024 has been charged to the pre-paid expenses.

17. Bank Guarantees amounting to ₹3.50 crore have been issued by MbPA in favour of Maharashtra Pollution Control Board (MPCB).

18. Wadala-Kurla dedicated goods line Project-

MbPA has paid an amount of ₹77.38 Cr. to the Central Railway towards removal and rehabilitation of hutments through MMRDA and for works related to laying of railway lines by Central railway. This project will ensure speedy clearance of Cargo of the Port. The MOU in clause-1(I) states that Central Railway will give precedence to traffic of MbPA for the use of the said dedicated line. As over the years, the cargo traffic has come down, the project is kept in abeyance. However, the project is not abandoned yet. The project will be revived once the cargo traffic increases. The Port has retained the status of the subject work as CWIP.

III	NOTES TO ACCOUNTS	
	19.	**Related Party Disclosure**: 1) Indian Port Rail Corporation Ltd. (IPRCL) – MbPA is an Equity Partner in the Indian Port Rail Corporation Ltd. (IPRCL) with an equity share of ₹4.50 Crore comprising of 45,00,000 equity shares of ₹ 10/- each. IPRCL is a Joint Venture Company formed between 11 Major Ports and Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) established on 10th July 2015 by GOI. 2) Mumbai Port Sustainability Foundation:- The Board of MbPA vide BR No. 45 dated 26.06.2023 has accorded approval for the formation of Mumbai Port Sustainability Foundation with an equity contribution of ₹15,00,000/- comprising of 1,50,000 equity shares of ₹10/- each. The initial budget provision of ₹1 Cr. with corpus of ₹5 Crore towards establishment expenses is approved. The office space will be provided free of cost for a period of 5 years.
	20.	The changes in presentation in respect of previous year and current year figures as well as changes in Notes to Accounts are made to comply with the observations issued by the Audit in Management Letter for the year ended 31.03.2023 and the observations issued by the Audit during the audit of Financial Statements for the year ended 31.03.2024.
	21.	The schedules form an integral part of the Balance Sheet and Revenue Account.

(Smt. Madhuri A. Varade)
Financial Adviser And
Chief Accounts Officer
13 December 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(2) के तहत 31 मार्च 2024 तक मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) के संलग्न तुलन पत्रों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खातों की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण पत्तन के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं । हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।.

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के साथ वर्गीकरण अनुरूपता के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) आदि के अनुपालन और दक्षता-सह-प्रदर्शन के पहलुओं के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से इंगित की जाती हैं।

3. हमने अपना लेखापरीक्षण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षण की योजना इस प्रकार बनानी होती है और उसे निष्पादित करना होता है , कि हमें इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

(i) हमें वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किए गए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे जैसा कि टिप्पणी संख्या ए.1, ए.2, ए.3, ए.5 और बी.2 (राय के अस्वीकरण का आधार) में उल्लिखित है;

(ii) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के तहत न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किये गये है;

(iii) हमारी राय में, मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के तहत आवश्यक उचित लेखा बहियाँ और अन्य प्रासंगिक अभिलेख नहीं रखें गए हैं, जैसा कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से पता चलता है।

(iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि:

ए. तुलन पत्र

निधियों का उपयोग

ए.1 नियत संपत्ति/पूंजीगत संपत्ति: कार्य प्रगति पर - ₹1096.36 करोड़

चल रहें पूंजी कार्यों के संबंध मैं परियोजनाओं के विवरण, प्रारंभ की तिथि, उनकी भौतिक प्रगति आदि के अभाव में, लेखापरीक्षा चल रहें कार्यों के तहत दर्ज की गई राशि की सत्यता पर कोई राय नहीं बना सकी। इसलिए, लेखापरीक्षा इनसे पत्तन की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने की स्थिति में भी नहीं है। इस मुद्दे को 2022-23 के दौरान भी उठाया गया था, लेकिन प्रबंधन द्वारा न तो सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और न ही समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

ए.2 विविध देनदार- ₹2132.19 करोड़ (अनुसूची IV)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खातों में दर्शाए गए देनदारों और संबंधित विभागों द्वारा दर्शाए गए देनदारों में अंतर है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	विभागवार देनदार	खातों के अनुसार देनदार	अंतर
i.	संपदा विभाग	1954.04	2636.69	682.65
ii.	सिविल अभियांत्रिकी विभाग	45.89	13.99	(31.90)
iii.	यातायात विभाग	198.88	341.10	142.22

वित्त विभाग और उपर्युक्त संबंधित विभागों के विविध देनदारों के आंकड़ों के मिलान के अभाव में, लेखापरीक्षा विविध देनदारों के अंतर्गत दर्ज आंकड़ों की सत्यता पर कोई राय बनाने की स्थिति में नहीं है।

वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

ए.3 नकदी एवं बैंक शेष: ₹404.15 करोड़ (अनुसूची-V)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण 23 बैंक खाते संचालित करता है। नीचे उल्लिखित सात बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण पत्तन द्वारा तैयार नहीं किए गए थे:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बैंक	बही शेष	शेष पुष्टि प्रमाण पत्र के अनुसार बैंक शेष	अंतर
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 31790101 101 1787	300.94	₹18,450 केवल	(300.94)
2	एसबीआई भविष्य निधि खाता 10996687335	145.78	₹5,000 केवल	(145.78)
3	एसबीआई यातायात नीलामी बिक्री 10996683283	6.06	9.07	3.01
4	आईडीबीआई जेम पूल 726102000012254	0.35	1.69	1.34
5	एसबीआई सीएमई I 10005255202	0.09	0.76	0.67
6	एसबीआई एमएम फ्यूल 10005255553	9.64	2.05	7.59
7	एसबीआई सीएमई II (10005255053)	0.11	शेष राशि की पुष्टि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया	

उपरोक्त के मद्देनजर निम्नलिखित बातें देखी गईं:

ए) निम्नलिखित दो बैंक खातों में बैंक द्वारा बताए गए शेष और लेखा पुस्तकों में दर्ज शेष के बीच भारी विसंगतियां देखी गईं:

(i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: बही शेष राशि ₹300.94 करोड़ दिखाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में केवल ₹18,450 का शेष दर्शाया गया था।

(ii) एसबीआई भविष्य निधि खाता: बही शेष में ₹145.78 करोड़ की राशि दर्शाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में केवल ₹5,000 का शेष दर्शाया गया।

बी) उपरोक्त के अतिरिक्त, चार बैंक खातों में बैंक मिलान विवरण को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है और बैंक शेष और बही शेष के बीच ₹(-)7.59 करोड़ से 3.01 करोड़ का अंतर था।

सी) एक बैंक खाते (क्रम संख्या 7) के संबंध में न तो बैंक मिलान विवरण और न ही बैंक पुष्टि प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

बैंक मिलान विवरण रखने या नियमित रूप से मिलान करने में विफल रहने पर, खासकर जब बैंक शेष और परीक्षिती के खातों के बीच बड़ी विसंगतियां होती हैं, तो धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ सकता है, वित्तीय स्थिति का गलत विवरण, वित्तीय रिपोर्टिंग में त्रुटि, लेखापरीक्षा जोखिम में वृद्धि और संस्था की क्रेडिट योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, बैंक मिलान विवरण की अनुपस्थिति में, लेखा परीक्षा नकद और बैंक शेष शीर्ष के तहत दिखाई गई राशि की शुद्धता को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था।

नौ बैंक खातों के लिए बैंक मिलान विवरण प्रस्तुत न करने के संबंध में वर्ष 2022-23 में भी टिप्पणी की गई थी। किंतु , प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ए.4 नियत/पूंजीगत परिसंपत्तियां- ₹2458.10 करोड़ (अनुसूची II)

ए) उपरोक्त में ₹82.74 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो दूसरे केमिकल बर्थ तक पहुंच चैनल को गहरा और चौड़ा करने के लिए पूंजीगत निकर्षण कार्य और इसके लिए परामर्श शुल्क (₹0.14 करोड़) का मूल्य है (₹82.60 करोड़) । यह कार्य मार्च 2022 में पूरा हो गया था, हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था।

लेखांकन मानक 10 स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को मान्यता दी जानी चाहिए । लेखांकन मानक यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, यानि, जब वह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है।

पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न होने के परिणामस्वरूप नियत परिसम्पत्तियों को ₹82.74 करोड़ बढ़ाकर, चल रहें पूंजीगत कार्यों को ₹82.74 करोड़ बढ़ाकर, पूर्व अवधि प्रभारों को ₹1.65 करोड़ कम करके , मूल्यह्रास ₹1.65 करोड़ कम करके तथा लाभ ₹3.30 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है।

बी) उपरोक्त में एक 14 टन क्षमता की मोबाइल कोल क्रेन और दो इलेक्ट्रिक लेवी लफिंग पोर्टल व्हार्फ क्रेन का सकल खंड शामिल है, जिसकी कीमत ₹6.24 करोड़ है, जिनका मुंबई पोर्ट प्राधिकरण द्वारा ₹1 के नाममात्र मूल्य पर मूल्यह्रास करके निपटारा कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) को बढ़ाकर दिखाया गया और संचित मूल्यह्रास को ₹6.24 करोड़ से अधिक दिखाया गया।

ए.5 चालू देयताएं और प्रावधान: ₹4595.16 करोड़

विविध लेनदार

व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से अग्रिम राशि: ₹1644.21 करोड़

इसमें ₹1131.90 करोड़ रुपए पट्टेदारों/किराएदारों से वसूले गए संपत्ति किराये शामिल हैं- (संपदा विभाग विविध अग्रिम खाता) जिसे अंतिम रूप से खाता शीर्ष 'देनदार' के विरुद्ध समायोजि त किया जाना चाहिए। यद्यपि शेष राशि की पहचान और समाधान करने के लिए वर्ष 2017 में तीन सीए फर्मों की एक टीम को लगाया गया था, लेकिन उनके कार्यकाल तक समाधान पूरा नहीं हुआ। शेष राशि की पहचान करने और उसका समाधान करने के लिए अक्टूबर 2023 में फिर से सीए फर्मों को लगाया गया। किंतु समाधान अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा इस खाता शीर्ष की सटीकता का पता नहीं लगाया जा सका।

उपरोक्त टिप्पणियाँ लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2015-16 से की जा रही हैं। यद्यपि, समाधान प्रक्रिया वर्ष 2017 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है।

बी. लाभ - हानि खाता

बी.1 प्रावधान: ₹ 103.26 करोड़

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा ढांचे के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता को ट्रस्ट के निर्माण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, तो वर्ष के लिए किए गए खर्च का पता बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा लगाया जाएगा। एमबीपीए ने पेंशन निधि , उपदान निधि और अवकाश नकदीकरण निधि के लिए देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(₹. करोड़ में)

निधि का नाम	31 मार्च 2024 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार देयता प्रदान की जाए	31 मार्च 2024 को निधि शेष	31 मार्च 2024 तक प्रावधान	कमी
1	2	3	4	5 (2-3-4)
पेंशन निधि	11447.74	10320.41	400.00	727.33
उपदान निधि	404.13	56.02	0	348.11
अवकाश नकदीकरण निधि	230.28	0.31	0	229.97
कुल	**12082.15**	**10376.74**	**400.00**	**1305.41**

उपरोक्त अल्प प्रावधान (₹1305.41 करोड़) की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकरण के कर पश्चात लाभ (₹209.46 करोड़) के 623 प्रतिशत के बराबर है। यदि खातों में पूर्ण प्रावधान किया जाता है, तो प्राधिकरण की निवल संपत्ति ₹2432.96 करोड़ से घटकर ₹1127.55 करोड़ हो जाएगी और वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ ₹1095.95 करोड़ के घाटे/हानि में परिवर्तित हो जाएगा।

इस देयता के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को ₹1305.41 करोड़ कम दर्शाया गया है तथा उसी सीमा तक लाभ को भी अधिक दर्शाया गया है।

उपरोक्त कमियों को लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2012-13 से इंगित किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन ने पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है।

बी.2 प्रावधान: अन्य प्रावधान

वसूल न किए गए संपदा किराये के लिए प्रावधान: ₹1478.19 करोड़

उपरोक्त राशि पिछले कई वर्षों से प्राधिकरण द्वारा वसूल न किए गए पुराने संपदा किराये को दर्शाता है जिसके लिए प्रावधान किया गया था। हालाँकि, पार्टी-वार विवरण मुं.प.प्रा. के पास उपलब्ध नहीं थे। पार्टी-वार बकाया विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा ₹1478.19 करोड़ के वसूल न किए गए संपदा किराये के विरुद्ध बनाए गए प्रावधान की सटीकता पर्याप्तता पर कोई राय बनाने में असमर्थ है।

सी) लेखों पर टिप्पणियां

सी.1 मुंबई पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में प्रकटीकरण (नोट 8)

संपदा विभाग से प्राप्त पुष्टि के अनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के पास 944 हेक्टेयर भूमि है। हालांकि, राज्य सरकार ने मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कब्जे में 930.90 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित की है। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना (अप्रैल 2018) के माध्यम से मुंबई पत्तन प्राधिकरण के नाम पर 930.90 हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व को अधिसूचित किया है, जिसका खुलासा लेखों पर टिप्पणियां में किया गया है। शेष 13.10 हेक्टेयर भूमि (944 हेक्टेयर - 930.90 हेक्टेयर) की अवस्थिति, मूल्याँकन कए भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है।

सी.2 मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) को मांडा, टिटवाला में 15260 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरित की है और 30520 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र का हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) (मई 2023) प्राप्त किया है। चूंकि बाजार दरें उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी रेडी रेकनर दर ₹8600/वर्ग मीटर) (मई 2023) को ध्यान में रखते हुए टीडीआर का मूल्य ₹26.25 करोड़ आता है।

न तो हस्तांतरित भूमि (₹1,248) के बही मूल्य को नियत परिसंपत्तियों से हटाया गया है, न ही वित्तीय विवरणों में टी.डी.आर. की प्राप्ति का लेखा-जोखा रखा गया है, और एम.बी.पी.ए. ने टी.डी.आर. को दर्ज करने के लिए कोई लेखांकन नीति भी स्थापित नहीं की है।

इस तथ्य का वित्तीय विवरणों में उचित रूप से खुलासा किया जाना चाहिए था।

डी) लेखांकन नीतियां

वस्तुसूची - ₹6.78 करोड़

ए. खातों में बताई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (मद संख्या 4) के अनुसार बहियों में वस्तुसूची को लागत पर लिया जाता है। यह नीति सीएफएफआर से भिन्न है, जो निर्धारित करती है कि वस्तुसूची

का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, लेखापरीक्षा वस्तुसूची के मूल्य की सटीकता (₹6.78 करोड़) और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए लाभ पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

बी. सीएफएफआर के अनुसार, वस्तुसूची की कम /उपयोग मैं न आने वाली वस्तुओं के मूल्यह्रास के लिए एक नीति तैयार की जानी चाहिए। किंतु, मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने वस्तुसूची की कम /उपयोग मैं न आने वाली वस्तुओं के मूल्यह्रास के लिए कोई नीति तैयार नहीं की है और न ही इसका खुलासा किया है, जिसके परिणामस्वरूप सीएफएफआर प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षा द्वारा यह टिप्पणी उठाए जाने के बावजूद 2017-18 से पत्तन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ई) सहायता अनुदान

31 मार्च 2024 तक मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति:

(₹ करोड़ में)

विवरण		1 अप्रैल 2023 तक प्राप्त हुआ अनुदान	प्राप्ति		आज तक उपयोग किया गया	उपयोग न किया गया
			अनुदान प्राप्त हुआ	ब्याज अर्जित किया लेकिन वापस नहीं किया गया		
इंदिरा गोदी पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल का उन्नयन / आधुनिकीकरण	पत्तन , पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	125.24	0.00	0.00	125.24	0.00
	पर्यटन मंत्रालय	34.34	8.16	0.00	42.50	0.00
तीसरे रासायनिक घाट के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ अनुदान।	पत्तन , पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	40.25	93.13	0.00	133.38	0.00
केएएलएच पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए प्राप्त हुआ अनुदान	पत्तन , पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00
मैलेट बंदर फिशिंग हार्बर, माज़गाँव के विकास के लिए प्राप्त हुआ अनुदान	मत्स्य मंत्रालय	24.00	0.00	1.14	0.64	24.50
स्काडा परियोजना	पत्तन , पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	0.00	18.05	0.00	15.64	2.41
कुल		**227.67**	**119.34**	**1.14**	**321.24**	**26.91**

एफ) प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है।

v) टिप्पणी क्रमांक **ए**.1, **ए**.2, **ए**.3, **ए**.5 और बी.2 में उल्लेखित मामलों के महत्व के कारण, हम वर्ष 2023-24 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के वित्तीय विवरण पर कोई राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं।

vi) अन्य मामले और खातों की समीक्षा, 31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम क्रमशः **अनुबंध- I और II** में दिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(के लिए और उन की ओर से)

(संदीप रॉय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन),मुंबई
स्थान: मुंबई
दिनांक: 04 दिसंबर 2024

अनुलग्नक I

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए एमबीपीए का आंतरिक ऑडिट मार्च 2023 में मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स को सौंपा गया था। वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक ऑडिट प्रगति पर था और रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**

पत्तन के आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए सुधार की आवश्यकता है:

ए) 31 मार्च 2024 तक बैंक मिलान विवरण

मुंबई पत्तन प्राधिकरण 23 बैंक खाते संचालित करता है। 5 बैंक खातों के लिए मिलान विवरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन बैंक खातों में बही शेष और बैंक शेष मेल खाते हैं। प्रबंधन द्वारा 10 बैंक खातों के लिए मिलान विवरण प्रस्तुत किए गए।.

(**ए**) इन 10 बैंक खातों में से 3 बैंक खातों के मामले में खातों में दर्शाए गए बही शेष और प्रस्तुत मिलान विवरण में दर्शाए गए बही शेष में अंतर था। इसलिए बैंक शेष की सत्यता की पुष्टि लेखा परीक्षा द्वारा नहीं की जा सकती।

(बी) एक बैंक खाते के संबंध में अर्थात बैंक खाता संख्या 10996687573 (एसबीआई पेंशन फंड) जिसका बही शेष 0.00 है, वह मुंबई पत्तन प्राधिकरण पीएफटी से संबंधित है जो एमबीपीए बही में गलत तरीके से प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन उससे बैंक शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

(सी) शेष 7 बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण की जांच से निम्नलिखित कमियाँ सामने आईं:

(i) बहियों में डेबिट किया गया लेकिन बैंकों में जमा होना बाकी है:
अप्रैल 2006 से पत्तन की बहियों में 993 करोड़ रुपए बैंक में जमा दिखाए गए हैं, लेकिन बैंक विवरण में नहीं दिखाए गए हैं।

(ii) बहियों में क्रेडिट किया गया लेकिन बैंकों से कटना बाकी है:
वित्तीय विवरण में दर्शाया गया बैंक शेष 31 मार्च 2024 को, ₹ 1132 करोड़ की कटौती की बाद, अप्रैल 2006 से जारी किए गए चेकों के संबंध में, जो 4 तक 3 महीने से अधिक पुराने थे घटाने के बाद है।
इन्हें न ही रद्द किया गया है और न ही बट्टे मैं लिखा गया है।

(iii) **मुं.प.प्रा. द्वारा बैंक डेबिट अलेखित:**
बैंक द्वारा ₹1065 करोड़ रुपए डेबिट किए गए लेकिन मुं.प.प्रा. द्वारा कोई प्रविष्टि पारित नहीं की गयी।

(iv) **मुं.प.प्रा. द्वारा बैंक क्रेडिट अलेखित:**
बैंक द्वारा ₹947 करोड़ रुपए जमा किए गए लेकिन एमबीपीए द्वारा इसका लेखांकन नहीं किया गया।

बी) नकदी और बैंक शेष - अनुसूची 5

(i) उपर्युक्त में ₹53.31 करोड़ रुपए का क्रेडिट शेष (जीएल संख्या 23110250) शामिल है, जो एकत्रित राजस्व से संबंधित असंबद्ध और अज्ञात क्रेडिट को दर्शाता है, लेकिन संबंधित पक्षों को अभी तक आबंटित नहीं किया गया है।

उपरोक्त ऋण शेष को चालू देयता के रूप में मानने के बजाय नकदी और बैंक शेष के विरुद्ध समायोजित करने के परिणामस्वरूप 'व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से अग्रिम' (चालू देयताओं के अंतर्गत) को कम दर्शाया गया और इसके फलस्वरूप नकदी और बैंक शेष को कम दर्शाया गया।

(ii) इसमें व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य लोगों की ओर से 1985 से 2022 के दौरान परिपक्व हुए सावधि जमा के संबंध में ₹32.73 करोड़ रुपये भी शामिल हैं, जिन्हें न तो पार्टियों को वापस किया गया और न ही भुनाया गया।

ग) विविध देनदारों से 31 मार्च 2024 तक बकाया शेष राशि की पुष्टि पत्तन द्वारा प्राप्त नहीं की गई है;

घ) यह भी पाया गया कि मुं.प.प्रा. के पास 217.28 हेक्टेयर (944 हेक्टेयर - 726.72 हेक्टेयर) की अपनी भूमि के लिए संपत्ति कार्ड नहीं है;

च) यह पाया गया कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग और वित्त विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण परिसंपत्तियों का समय पर पूंजीकरण नहीं किया गया।

छ) छ) यह भी पाया गया कि समन्वय की कमी के कारण वित्त विभाग और अन्य विभागों के साथ खाता शेष में अंतर था।

3. नियत संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

ए मुं.प.प्रा. के लेखा मैनुअल के अनुसार, अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन हर पांच साल में एक बार किया जाना चाहिए। पिछला भौतिक सत्यापन वित्त वर्ष 2017-18 में किया गया था। वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, लेखापरीक्षा खातों में दिखाए गए नियत परिसंपत्तियों के शेष को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं है। इससे गलत संपत्ति रिकॉर्ड रखे जाने और वित्तीय विवरण में संभावित गलत बयानी का जोखिम बढ़ जाता है।

बी यह भी पाया गया कि हालांकि वित्त विभाग के परिसंपत्ति रजिस्टर में भूमि का स्थान दर्शाया गया है, लेकिन प्रत्येक पहचाने गए भूमि के क्षेत्र के विरुद्ध संपत्ति रजिस्टर में भूमि का क्षेत्रफल नहीं दर्शाया गया है, जिसके कारण (क) आकार में हेराफेरी का जोखिम, (ख) सही भौतिक सत्यापन में कठिनाई और (ग) अतिक्रमण के कारण नुकसान की पहचान नही हो पाया है। इस प्रकार, संपत्ति रजिस्टर उस सीमा तक अपूर्ण है।

---

[1] 5 बैंक खातों के लिए मिलान विवरण की आवश्यकता नहीं: 32138880140, 120002656570, 110055201238, 40963947469, 40963947991

[2] बैंक मिलान विवरण दिया गया : 10 बैंक खातें -10996685430, 1099661184, 32262159985, 36964578808, 700776645,1402000007788, 10996687471, 10996683272, 10996683421, 39184151789

[3] बैंक खाते जहां बही शेष अलग था। 10996683272, 10996683421, 39184151789

4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए, लेखा परीक्षा खातों में दिखाए गए वस्तुसूची के शेष की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है।

5. वैधानिक बकाया

पत्तनने निर्विवाद वैधानिक बकायों का भुगतान नियमित रूप से किया था।

उप निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक: 4 दिसंबर 2024

अनुलग्नक - II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के खातों की समीक्षा

(खातों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों/टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार की गई है)

1. वित्तीय स्थिति

31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए व्यापक शीर्षकों के अंतर्गत मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपये में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
देयताएं			
राजस्व रिज़र्व	1592.68	1671.67	1689.18
अन्य रिजर्व	1088.89	1008.88	1058.72
उधार लेना	375.86	481.91	1301.33
आस्थगित कर देयताएं	0	0	0
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	5312.05	4545.14	4595.16
कुल	**8369.48**	**7707.60**	**8644.39**
संपत्ति			
शुद्ध अचल संपत्ति	1032.53	958.04	967.00
निर्माणाधीन कार्य	871.33	1028.09	1096.36
निवेश	1407.08	1430.06	1808.72
वर्तमान परिसंपत्तियां और ऋण एवं अग्रिम	4268.22	3500.89	3666.01
आस्थगित कर परिसंपत्ति	432.52	323.73	783.32
अन्य परिसंपत्तियाँ विविध परिसंपत्तियाँ:			
शेड बीओटी संचालक को सौंपे गए	0.00	0.00	0.00
एसवीआरएस व्यय	0.00	0.00	0.00
विविध व्यय	6.88	6.54	8.04
संचित हानि	350.92	460.25	314.94
कुल	**8369.48**	**7707.60**	**8644.39**
कार्यशील पूंजी *	-1043.83	-1044.25	-929.15
निवल मूल्य **	2330.65	2220.30	2432.96
नियोजित पूंजी ***	-11.30	-86.21	37.85
विनियोग से पहले निवल अधिशेष	49.67	-82.55	253.83
नियोजित पूंजी पर रिटर्न **** (प्रतिशत)	-439.56	95.75	670.62
नियोजित पूंजी (कार्य-प्रगति पर सहित)	860.03	941.88	1134.21
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (कार्य-प्रगति पर सहित) (प्रतिशत)	5.78	-8.76	22.38

*कार्यशील पूंजी वर्तमान परिसंपत्तियों में से वर्तमान देनदारियों को घटाकर प्राप्त की जाती है;

** निवल मूल्य पूंजी भंडार और अन्य भंडारों के साथ-साथ अधिशेष/हानि को दर्शाता है;
***नियोजित पूंजी शुद्ध अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है;
****नियोजित पूंजी पर रिटर्न, नियोजित पूंजी पर शुद्ध अधिशेष (विनियोजन से पूर्व) का प्रतिशत दर्शाता है।

2. कार्य परिणाम

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के कार्य परिणाम नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

(रु करोड़ मैं)

विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
आय			
परिचालन आय	1896.96	2121.16	2284.34
गैर परिचालन आय	82.41	173.84	273.18
कुल	**1979.37**	**2295.00**	**2557.52**
व्यय			
परिचालन व्यय	1110.57	1087.8	1035.52
गैर परिचालन व्यय	926.57	1219.7	1772.13
कुल	**2037.14**	**2307.50**	**2807.65**
असाधारण वस्तुएं	0	0	0
पूर्व अवधि शुल्क	0	0	0
कर पूर्व निवल अधिशेष/ (घाटा)	-57.77	-12.50	-250.13
घटाएँ; कर के लिए प्रावधान या कर जोड़ने का प्रावधान वापस लिखा गया	41.00	0	
घटाएँ जोड़ें: आस्थगित कर देयता/संपत्ति	0	-108.79	459.59
जोड़ें; कल्याण निधि और इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व से वापस ले लिया गया	66.44	38.74	44.37
पुनर्मूल्यांकन से पहले शुद्ध सकल अधिशेष/(घाटा)	49.67	-82.55	253.83
कम:अनिवार्य विनियोजन, आरक्षित निधि में स्थानान्तरण, आदि।	78.36	68.59	108.53
अधिशेष/घाटा सामान्य को हस्तांतरित संरक्षित	-28.69	-151.14	145.30
शुद्ध लाभ / घाटा का प्रतिशत			
i परिचालन आय	2.62	-3.89	11.11
ii शुद्ध अचल संपत्ति	4.81	-8.62	26.25
iii कुल मूल्य	2,13	-3.72	10.43

3. अनुपात विश्लेषण (तरलता और शोधन क्षमता)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण की तरलता और शोधन क्षमता तथा वित्तीय स्वास्थ्य पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं:

विवरण		**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
ए.	वर्तमान परिसंपत्तियों का वर्तमान से प्रतिशत प्रावधान सहित देयताएं	80.35	77.02	79.78
बी.	चालू परिसंपत्तियों में त्वरित परिसंपत्तियों का प्रतिशत देयताएं	99.32	58.00	57.90
सी.	परिचालन में विविध देनदारों का प्रतिशत आय	174.57	92.73	93.34
डी.	पूंजी रिजर्व में ऋण का प्रतिशत सामान्य रिजर्व	23.00	28.83	77.04
ई.	**कर से पहले लाभ का प्रतिशत:**			
	ए) निवल मूल्य	-2.48	-0.56	-10.28
	बी) नियोजित पूंजी	511.24	14.50	-660.85
	सी) परिचालन आय	-3.05	-0.59	-10.95

उप निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक:4 दिसंबर 2024

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE MUMBAI PORT AUTHORITY, MUMBAI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

We have audited the attached Balance Sheet of the Mumbai Port Authority (MbPA) as at 31 March 2024 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19(2) of theComptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act 1971, read with Section 44 (2) of Major Port Authority Act, 2021. These financial statements are the responsibility of the Port's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have not been furnished all the information and explanations which were necessary for the purpose of our audit as mentioned in Comment No.A.1, A.2, A.3, A.5 and B-2 ***(Basis of Disclaimer of opinion)***;

(ii) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustees under Section 44*(1)* of the Major Port Authority Act, 2021;

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have not been maintained by the Mumbai Port Authority required under Section 44*(1)* of the Major Port Authority Act,2021 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

Application of Funds

A.1 Fixed Assets/Capital Assets: Work in Progress - ₹1096.36 crore

In the absence of details of projects, date of commencement, their physical progress, etc. which are included in the Capital Work in Progress (CWIP), Audit could not form an opinion on the correctness of the amount accounted under CWIP. Hence, Audit is also not in position to comment on the impact on the financials of the Port. The issue was also highlighted during 2022-23, however, neither corrective action has been taken by Management nor complete details were furnished to audit for review.

Current Assets, Loans and Advances

A.2 Sundry Debtors- ₹2132.19 crore (Schedule IV)

Audit observed that there is a difference in respect of the Debtors shown in the Accounts and that shown by the concerned departments as given below: -

(₹ In crore)

Sr. No.	Name of the Department	Debtors as per the Department	Debtors as per the Accounts	Difference
i.	Estate Department	1954.04	2636.69	682.65
ii.	Civil Engg Department	45.89	13.99	(31.90)
iii.	Traffic Department	198.88	341.10	142.22

In the absence of reconciliation of the Sundry Debtors' figures of the Finance department and theabove-mentioned concerned departments, audit is not in a position to form an opinion on the correctness of the figures booked under Sundry Debtors.

Current Assets, Loans and Advances

A.3 Cash & Bank Balances: ₹404.15 Crore (Schedule-V)

MbPA operated 23 Bank Accounts. Bank Reconciliation statements of the following seven Bank Accounts as mentioned below were not prepared by the Port.

(₹ In Crore)

Sl. No.	Bank	Book Balance	Bank Balanceas per balance confirmation certificate	Difference
1	Union Bank of India (317901011011787)	300.94	₹18,450 only	(300.94)
2	SBI Provident Fund Account (10996687335)	145.78	₹5,000 only	(145.78)
3	SBI Traffic Auction Sales (10996683283)	6.06	9.07	3.01
4	IDBI GEM Pool (726102000012254)	0.35	1.69	1.34
5	SBI CME I (10005255202)	0.09	0.76	0.67
6	SBI MM Fuel (10005255553)	9.64	2.05	(7.59)

7	SBI CME II (10005255053)	0.11	Balance confirmation certificate not furnished	

In view of the above the following were observed:

a) Huge discrepancies between the bank balances reported by the bank and those recorded in the Books of Accounts were observed in the following two bank accounts:

(i) **Union Bank of India:** The book balance showed an amount of ₹300.94 crore, whereas the bank confirmation certificate indicated a balance of only ₹18,450.

(ii) **SBI Provident Fund Account:** The book balance showed an amount of ₹145.78 crore, whereas the bank confirmation certificate indicated a balance of only ₹5,000.

b) In addition to the above, in four bank accounts BRS has not been furnished to audit and the difference between bank balance and book balance was ranging between
₹ (-)7.59 crore to ₹3.01 crore.

c) In respect of one bank account (Srl No.7) neither the BRS nor bank confirmation certificate has been provided.

Failing to maintain or regularly reconcile Bank Reconciliation Statements, especially when there are significant discrepancies between the bank balance and the Auditee's accounts, may result in increased fraud risk, misstatement of financial position, error in financial reporting, increased audit risk and adverse impact on credit worthiness of the entity. Thus, in the absence of Bank Reconciliation Statements, Audit was not in a position to verify the correctness of the amount shown under the head Cash and Bank Balance.

The comment regarding non-production of BRS in respect of nine bank accounts was also raised in the year 2022-23. However, corrective action has not been taken by the Management.

A.4 Fixed/ Capital Assets- ₹2458.10 crore (Schedule II)

a) The above does not include an amount of ₹82.74 crore being the value of CapitalDredging work for Deepening and Widening of Approach Channel to Second Chemical Berth (₹82.60 crore) and consultancy charges (₹0.14 crore) for the same. The work was completed in March 2022, however, the same was not capitalized.

Accounting Standard 10 categorically states that the cost of an item of property, plant and equipment should be recognized if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably. The Accounting Standard also specifies that Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e., when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Non-capitalization of completed work has resulted in understatement of Gross

Fixed Assets by ₹82.74 crore, overstatement of Capital Work in Progress by ₹82.74 crore, understatement of prior period charges by ₹1.65 crore, understatement of depreciation by ₹1.65 crore, and overstatement of Profit by ₹3.30 crore.

b) The above includes a Gross Block of one Mobile Cole Cranes 14 Ton Capacity and two Electric Levey Luffing Portal Wharf Cranes amounting to ₹6.24 crore, which were disposed off by MbPA and depreciated to a nominal value of ₹1. This has resulted in overstatement of fixed assets (Gross Block) and overstatement of Accumulated Depreciation by ₹6.24 crore.

A.5 Current Liabilities and Provisions: ₹4595.16 crore
Sundry Creditors
Advances from Merchants, Contractors and Others: ₹1644.21 crore

This includes ₹1131.90 crore being estate rentals recovered from the lessees/tenants-(Estate Departments Miscellaneous Advance Account) which needs to be finally adjusted against the head of account 'Debtors'. Though a team of three CA firms have been engaged in the year 2017to identify and reconcile the balances, the reconciliation was not completed till their term. Further,CA firms were again engaged in October 2023 to identify and reconcile the balances. However, thereconciliation has still not been completed. Hence, the accuracy of this head of account could notbe ascertained by audit.

The above observations is being raised by audit since 2015-16. Though, the reconciliation process had started long back in the year 2017, the same is yet to be completed.

B. Profit and Loss Account
B.1 Provisions: ₹103.26 crore

As per the Common Framework for Financial Reporting, if the liability for retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation. MbPA has not made adequate provisions towards liability to the Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund as given below:

(₹ in crore)

Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31 Mar 2024	Balance in the Fund as on 31 Mar 2024	Provision as on 31 Mar 2024	Shortfall
1	2	3	4	5 (2-3-4)
Pension Fund	11447.74	10320.41	400.00	727.33
Gratuity Fund	404.13	56.02	0	348.11
Leave Encashment Fund	230.28	0.31	0	229.97
Total	**12082.15**	**10376.74**	**400.00**	**1305.41**

The above short provision amounting to ₹1305.41 crore is equal to 623 per cent of the Profit after tax (₹209.46 crore) of MbPA for Financial Year 2023-24. In case the full provision is made in accounts, the net worth of MbPA would

decreased from ₹2432.96 crore to ₹1127.55 crore and profit after tax for the year would be converted into deficit/loss to ₹1095.95 crore.

Non-provision for this liability has resulted in understatement of Current Liabilities by ₹1305.41 crore and corresponding overstatement of Profit to the same extent.

The above deficiencies are being pointed out by Audit since 2012-13 but the management has not made adequate provision.

B.2 Provisions: Other Provisions
Provisions for unrecovered Estate Rentals: ₹1478.19 crore

The above represents old estate rentals not recovered by MbPA for the past many years for which provision was made. However, the party-wise details were not available with MbPA. In absence ofparty-wise outstanding details Audit is unable to form an opinion on the correctness, adequacy of provision created against unrecovered Estate Rentals of ₹1478.19 crore.

C. Notes to Accounts

C.1 Disclosure regarding Land owned by MbPA (Note 8)

As per the confirmation received from Estate Department, MPBA has 944 hectares of land in its ownership. However, the State Government has notified 930.90 hectares of land in possession of MbPA. The Government of Maharashtra vide its Gazette Notification (April 2018) notified ownership of 930.90 hectares of land in name of MBPA which has been disclosed in Notes to Accounts. Thematerial fact of the details of location, valuation of the remaining 13.10 hectares of land (944 hectares - 930.90 hectares) has not been disclosed.

C.2 MbPA has transferred land measuring 15260 sq. mtr at Manda, Titwala to Kalyan Dombivili Municipal Corporation (KDMC) and received Transferable Development Right (TDR) (May 2023) of 30520 sqm buildup area. Since Market rates were not available, considering Stamp Duty Ready Reckoner Rate (₹8600/sq mtr) (May 2023) value of TDR comes to ₹26.25 crore.

Neither the book value of the land transferred (₹1,248) has been removed from fixed assets, nor has the receipt of TDR been accounted for in the Financial Statements, and MbPA has also not established any accounting policy for the treatment of TDRs.

The fact should have been appropriately disclosed in the financial statements.

D. Accounting Policies
Inventories - ₹6.78 Crore

a) As per the Significant Accounting Policy disclosed in the Accounts (item no.4) the inventory is taken at cost in the books. This policy is in variance with CFFR, which stipulates that inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value. As such, Audit is unable to comment on the correctness of value of Inventories (₹6.78 crore) and consequent impact on the profit shown in the Profit and Loss Account.

b) As per CFFR, a policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory needs tobe formulated. However, MbPA has not framed and disclosed any policy for the depreciationof slow/non-moving items of inventory resulting in the non-

compliance with CFFR provisions.

Despite this observation being raised by Audit since 2017-18 corrective action is yet to be taken by the Port.

E. Grant in Aid

Position of Grant in Aid received by MbPA as on 31 March 2024:

(₹in crore)

Particulars		Grant received till 1 April 2023	Receipt		Utilised till date	Unspent
			Grant received	Interest earned but not returned		
Upgradation/ Modernisation of International Cruise Terminal at Indira Docks	Ministry of Ports, Shipping and waterways	125.24	0.00	0.00	125.24	0.00
	Ministry of Tourism	34.34	8.16	0.00	42.50	0.00
Grant received for construction of Third Chemical Berth	Ministry of Ports, Shipping and waterways	40.25	93.13	0.00	133.38	0.00
Grant received for Development of Tourism infra alongside KALH	Ministry of Ports, Shipping and waterways	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00
Grant received for Development of Mallet Bunder Fishing Harbour, Mazgaon	Ministry of Fisheries	24.00	0.00	1.14	0.64	24.50
SCADA Project	Ministry of Ports, Shipping and Waterways	0.00	18.05	0.00	15.64	2.41
Total		**227.67**	**119.34**	**1.14**	**321.24**	**26.91**

F. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Authority through a Management Letter issued separately for remedial/ correctiveaction.

v) Because of the significance of the matters discussed in the comment No. A1, A2, A3, A5 and B-2, we are not able to express an opinion on the financial statement of Mumbai Port Authority for the year 2023-24.

vi) Other matters and a review of Accounts, showing the summarized financial results

of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2024, are given in **Annexure-I and II** respectively.

For and on behalf of the

Comptroller and Auditor General of India

(Sandip Roy)
Director General of Audit (Shipping),
Mumbai

Place: Mumbai

Date: 04 December 2024

Annexure I

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit of MbPA for the years 2022-23 to 2024-25 was entrusted to M/s. SCM Associates in March 2023. Internal Audit for the year 2023-24 was in progress and the report has not been finalized so far.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal control of the Port needs to be improved considering the following:

A. Bank Reconciliation Statement as on 31 March 2024

Mumbai Port Authority operates 23 Bank Accounts .BRS for 5 Bank Accounts[1] is not required as Book Balances and Bank Balances are matching in these bank accounts. BRS for 10 Bank Accounts[2] were furnished by Management .

(a) Out of these 10 Bank accounts, in the case of 3 Bank Accounts[3] the Book Balance appearing in the Accounts and Book Balance as shown in the BRS furnished was different. Hence the correctness of the Bank balances cannot be confirmed by audit.

(b) In respect of one Bank account i.e., Bank A/c.No.10996687573 (SBI Pension Fund) with book balance of ₹0.00 pertains to MbPA PFT wrongly appearing in the MbPA books but not affecting Bank Balance.

(c) Scrutiny of the Bank Reconciliation Statement of the remaining 7 bank accounts revealed the following deficiencies:

(i) **Debited in books but credit awaited in banks** :
₹993 crore shown as deposited in the bank in the books of the Port since April 2006 but not appearing in the Bank statement.

(ii) **Credited in Books but debit awaited in Banks** :
The bank balance reflecting in Financial Statements is after deducting ₹1132 Crore in respect of Cheques which were issued from April 2006 and were more than 3 months old as on 31 March 2024.
The same have not been cancelled and written back.

(iii) **Bank Debit not accounted by MbPA** :
₹1065 crore debited by Bank but no entries were passed by MbPA.

(iv) **Bank Credit not accounted by MbPA** :
₹947 crore credited by Bank but not accounted by MbPA.

B. Cash and Bank Balances – Schedule 5

(i) The above includes a credit balance of ₹53.31 crore (GL No. 23110250) representing the unallocated and unidentified credits relating to revenue collected but not yet allocated to the parties concerned.

---

[1] ***BRS not required for 5 bank accounts:*** *32138880140, 120002656570, 110055201238, 40963947469, 40963947991*

[2] ***BRS Furnished: 10 A/cs*** *10996685430, 1099661184, 32262159985, 36964578808, 700776645, 1402000007788, 10996687471, 10996683272, 10996683421, 39184151789*

[3] ***3 bank accounts where Book balance was different.*** *10996683272, 10996683421, 39184151789*

Setting off of the above credit balances against cash and bank balances instead of treating it as current liability resulted in understatement of 'Advances from Merchants, Contractors and Others" (Under current liabilities) and consequent understatement of Cash and Bank balances.

(ii) This also includes ₹32.73 crore in respect of FDs on behalf of Merchants, contractors and others which has matured during 1985 to 2022 which were neither returned back to the parties nor encashed.

C. Confirmation of balances outstanding as on 31 March 2024 from sundry debtors have not been obtained by the Port;

D. It was also noticed that MbPA does not have Property Cards for their own land of 217.28 Hectares (944 ha. less 726.72 ha.);

E. It was noticed that Assets were not capitalized on time due to lack of co-ordination between the Civil Engineering department and Finance Department.

F. It was also noticed that there were differences in ledger balances with Finance departments and other departments due to lack of co-ordination.

3. System of physical verification of Fixed Assets

a) As per Accounts Manual of MbPA, Physical Verification of fixed assets needs to be done once in every five years. The last Physical Verification was done in FY 2017-18. In absence of Physical Verification of Fixed Assets during the year, Audit is not in the position to vouch safe the balance of Fixed Assets shown in the Accounts. It increases the risk of inaccurate asset records and potential misstatement in the financial statement.

b) It was further observed that though the Asset Register of Finance Department shows location of land, the area of land has not been mentioned in the Asset Register against each identified piece of land, leading to (a) risk of manipulation in size, (b) difficulty in correct physical verification and (c) non-identification of loss due to encroachments. Thus, the Assets Register is deficient to that extent.

4. System of physical verification of Inventory

The report on Physical Verification of Inventory has not been furnished to Audit. Hence, Audit is not in a position to vouch safe the balance of inventory shown in the Accounts.

5. Statutory Dues

The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.

Deputy Director

Place: Mumbai

Date: 4 December 2024

ANNEXURE – II

Review of accounts of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2024 by the Comptroller and Auditor General of India

(The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)

1. Financial Position

The Financial Position of Mumbai Port Authority under the broad headings for three years ended 31 March 2024 is given below:

			Rs. in crore
Particulars	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
LIABILITIES			
Capital Reserves	1592.68	1671.67	1689.18
Other Reserves	1088.89	1008.88	1058.72
Borrowings	375.86	481.91	1301.33
Deferred Tax Libilities	0	0	0
Current Liabilities & Provisions	5312.05	4545.14	4595.16
Total	**8369.48**	**7707.60**	**8644.39**
ASSETS			
Net Fixed Assets	1032.53	958.04	967.00
Works-in-Progress	871.33	1028.09	1096.36
Investments	1407.08	1430.06	1808.72
Current Assets and Loans and Advances	4268.22	3500.89	3666.01
Deferred Tax Asset	432.52	323.73	783.32
Other Assets/Misc. Expenditure:			
Sheds handed over to BOT operator	0.00	0	0
SVRS Expenditure	0.00	0	0
Misc. Expenditure	6.88	6.54	8.04
Accumulated Loss	350.92	460.25	314.94
Total	**8369.48**	**7707.60**	**8644.39**
Working Capital *	-1043.83	-1044.25	-929.15
Net Worth **	2330.65	2220.30	2432.96
Capital Employed ***	-11.30	-86.21	37.85
Net Surplus (before appropriation)	49.67	-82.55	253.83
Return on Capital Employed **** (percentage	-439.56	95.75	670.62
Capital Employed (including Work -in-Progress)	860.03	941.88	1134.21
Return on Capital Employed (including Work -in- Progress) (percentage)	5.78	-8.76	22.38

*Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities;
**Net worth represents Capital Reserves and other reserves plus surplus/loss;
***Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Capital;
****Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed.

2. Working Results

The working results of the Mumbai Port Authority for the last three years ending 31 March 2024 are summarized below:

			Rs. in crore
Particulars	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
Revenue			
Operating Income	1896.96	2121.16	2284.34
Non operating income	82.41	173.84	273.18
Total	**1979.37**	**2295.00**	**2557.52**
Expenditure			
Operating expenditure	1110.57	1087.8	1035.52
Non operating expenditure	926.57	1219.7	1772.13
Total	**2037.14**	**2307.50**	**2807.65**
Extra ordinary items	0	0	0
Prior period charges	0	0	0
Net surplus/(deficit) before tax	**-57.77**	**-12.50**	**-250.13**
Less: Provision for Tax or Add tax writte back	41.00	0	
Add/Less: Deferred tax liability/ assets	0	-108.79	459.59
Add: Withdrawn from Welfare Fund and Infrastructure Reserve	66.44	38.74	44.37
Net surplus/ (deficit) before appropriation	**49.67**	**-82.55**	**253.83**
Less: Mandatory Appropriations, Transfers to Reserve Funds, etc.	78.36	68.59	108.53
Surplus/Deficit transferred to General Reserve	-28.69	-151.14	145.30
Percentage of net surplus/deficit to			
(i) Operating Income	2.62	-3.89	11.11
(ii) Net Fixed Assets	4.81	-8.62	26.25
(iii) Net Worth	2.13	-3.72	10.43

3. Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)

Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Mumbai Port Authority are shown below:

	Particulars	2021-22	2022-23	2023-24
a.	Percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	80.35	77.02	79.78
b.	Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	99.32	58.00	57.90
c.	Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	174.57	92.73	93.34
d.	Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	23.00	28.83	77.04
e.	**Percentage of profit before tax to:**			
	a) Net Worth	-2.48	-0.56	-10.28
	b) Capital Employed	511.24	14.50	-660.85
	c) Operating Income	-3.05	-0.59	-10.95

V Padlale

Deputy Director

Place: Mumbai

Date: 4 December 2024

दि. 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की पृथक लेखा परीक्षा में उठाए गए लेखों पर की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां।

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
1	हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(2) के तहत 31 मार्च 2024 तक मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) के संलग्न तुलन पत्रों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खातों की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण पत्तन के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं । हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।	कोई टिप्पणी नहीं
2	इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के साथ वर्गीकरण अनुरूपता के संबंध में लेखांकन उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) आदि के अनुपालन और दक्षता-सह-प्रदर्शन के पहलुओं के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हों, तो निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से इंगित की जाती हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
3	हमने अपना लेखापरीक्षण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार हमें लेखापरीक्षण की योजना इस प्रकार बनानी होती है और उसे निष्पादित करना होता है , कि हमें इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखापरीक्षण हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।	कोई टिप्पणी नहीं
4(आई)	हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि: (i) हमें वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किए गए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे जैसा कि टिप्पणी संख्या ए.1, ए.2, ए.3, ए.5 और बी.2 (राय के अस्वीकरण का आधार) में उल्लिखित है;	ए.1) यानी की पूंजीगत कार्य प्रगति पर है से संबंधित जानकारी 05 जुलाई 2024 को ईमेल द्वारा पहले ही भेज दी गई थी। मूल रूप से, यह मुद्दा लीगेसी सिस्टम से ईबीएस में परिवर्तन (माइग्रेशन) से संबंधित है। परिवर्तन (माइग्रेशन) के कारण,

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
		प्रोजेक्ट बनाते समय सिस्टम में बहुत सारी जानकारी फीड करने की आवश्यकता होती है। इसमें सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग जैसे कई विभाग शामिल हैं। यह गतिविधि 2025 के मध्य तक पूरी होने की संभावना है। ए1 के लिए विस्तृत प्रतिक्रिया भी नीचे दिए गए सबमिशन में दी गई है। उपरोक्त के अलावा, ईबीएस तक संपूर्ण दृश्य पहुंच (व्यू एक्सेस) लेखा परीक्षकों (दो उपयोगकर्ताओं) को प्रदान की गई थी। चूंकि, संपूर्ण आँकड़े (डेटा) ईबीएस में उपलब्ध है, इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। ए.2) के संबंध में, विभागों द्वारा बताए गए विविध देनदारों का संतुलन और पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में उल्लिखित शेषराशि अलग-अलग है। फिर भी, समाधान एक सतत प्रक्रिया है और पत्तन ने आईपोर्टमैन और एसडी मॉड्यूल को लागू किया है, जहां सीई विभाग और यातायात विभाग से संबंधित मुद्दों का निकट भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। जहां तक संपदा विभाग का सवाल है, संपदा बिलिंग मॉड्यूल परीक्षण के अधीन है और सहायक खाता बही और मुख्य खाता बही के बीच अंतर पर भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से होगा। ए2 के लिए विस्तृत प्रतिक्रिया भी नीचे दिए गए अनुवर्ती प्रस्तुति में दी गई है। ए.3) विभिन्न बैंकों के बैंक समाधान से संबंधित है। सूचना/बैंक समाधान विवरण प्रदान किया गया है। विवरण इस प्रकार है:-

क्र	बैंक खाता संख्या	बीआरएस भेजा गया
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया317901011011787	दि. 6 अगस्त 2024 को जानकारी प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात ड्राफ्ट एसएआर के प्रत्युत्तर में अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई।
2	एसबीआई पीएफ खाता – 10996687335	दि. 3 सितम्बर 2024 जानकारी प्रस्तुत की गई।, तत्पश्चात् मसौदा एसएआर के प्रत्युत्तर में स्थिति प्रस्तुत की गई।
3	एसबीआई ट्रैफिक नीलामी बिक्री – 10996683283	इस खाते का पूर्ण रूप से मिलान किया गया तथा मसौदा एसएआर के जवाब में लेखापरीक्षा को सूचित किया गया। इसका संज्ञान नहीं लिया गया।
4	आईडीबीआई जीईएम पूल खाता - 726102000012254	मूल रूप से यह खाता एक अग्रदाय खाता है। परिचालन तंत्र में की गई खरीद पर ग्रहणाधिकार शामिल है। माल की स्वीकृति के बाद ही भुगतान जारी

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट</th><th>की गई कार्रवाई की टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>किया जाता है। इसलिए, शेष राशि, ग्रहणाधिकार राशि और बही शेष में हमेशा अंतर रहेगा। इस पहलू पर लेखापरीक्षा द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>एसबीआई सीएमई – 10005255202</td><td>यह एक अग्रदाय बैंक खाता है जिसमें समय-समय पर प्रतिपूर्ति की जाती है। इस पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>एसबीआई एमएम फ्यूल – 10005255553</td><td>यह एक अग्रदाय बैंक खाता है जिसमें समय-समय पर प्रतिपूर्ति की जाती है। इस पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
हालाँकि, पत्तन इस खाते को बंद करने की योजना बना रहा है क्योंकि खरीद की प्रणाली और भुगतान के तौर-तरीकों में बदलाव हुए हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में यह समस्या नहीं आएगी।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>एसबीआई सीएमई II - 1000525053</td><td>यह खाता जनवरी 2023 में बंद कर दिया गया था, इसलिए बैंक द्वारा शेष राशि की पुष्टि देने का कोई सवाल ही नहीं था। मसौदा एसएआर के जवाब में इस तथ्य को उजागर किया गया था।</td></tr>
</table>
A3 का विस्तृत उत्तर भी नीचे प्रस्तुत किया गया है।

ए.5 और बी.2 यानी संपदा गतिविधियों के संबंध में, यह कहा गया है कि ये विरासत के मुद्दे हैं। बंदरगाह ने सीए फर्म की नियुक्ति करके बाहरी सहायता की मदद से इस मुद्दे को सुलझाने की योजना बनाई थी। पत्तन इस मुद्दे को सुलझाने की प्रक्रिया में है। इस तथ्य की जानकारी मसौदा एसएआर के जवाब में दी गई थी। इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है।

निष्कर्ष के रूप में, यह देखा जा सकता है कि पत्तन ने समय-समय पर जानकारी प्रदान की थी, साथ ही लेखापरीक्षा के लिए ईबीएस तक पूर्ण पहुंच उपलब्ध थी।
</td></tr>
<tr><td>4(ii)</td><td>ii) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के तहत न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किये गये है;</td><td>पत्तन वर्तमान में पुराने प्रारूपों का पालन कर रहा है। महापत्तन अधिनियम 2021 की धारा 44(1) के अनुसार नए प्रारूपों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नए प्रारूपों की सिफारिश आईपीए ने सीएजी के परामर्श से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को मंजूरी के लिए की है।</td></tr>
</table>

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
4(ii)	iii) हमारी राय में, मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 44(1) के तहत आवश्यक उचित लेखा बहियाँ और अन्य प्रासंगिक अभिलेख नहीं रखें गए हैं, जैसा कि ऐसी बहियों की हमारी जांच से पता चलता है।	विस्तृत स्पष्टीकरण ऊपर 4(ii) में दिया गया है।
ए.	**तुलन पत्र** **निधियों का उपयोग**	
ए.1	**नियत संपत्ति/पूंजीगत संपत्ति: कार्य प्रगति पर - ₹1096.36 करोड़**	
	चल रहें पूंजी कार्यों के संबंध मैं परियोजनाओं के विवरण, प्रारंभ की तिथि, उनकी भौतिक प्रगति आदि के अभाव में, लेखापरीक्षा चल रहें कार्यों के तहत दर्ज की गई राशि की सत्यता पर कोई राय नहीं बना सकी। इसलिए, लेखापरीक्षा इनसे पत्तन की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने की स्थिति में भी नहीं है। इस मुद्दे को 2022-23 के दौरान भी उठाया गया था, लेकिन प्रबंधन द्वारा न तो सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और न ही समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया है।	यह बताया गया है कि, फिको (FICO) प्रणाली से उत्पन्न विस्तृत जानकारी इस कार्यालय द्वारा दि. 05 जुलाई 2024 को ईमेल द्वारा लेखापरीक्षा को पहले ही भेज दी गई थी। रिपोर्ट सीधे ईबीएस में भी तैयार की जा सकती है। संयोग से, दो लेखापरीक्षा अधिकारियों को ईबीएस सिस्टम तक पहुंच अनुमति भी प्रदान की गई है, टेक महिंद्रा के विशेषज्ञों ने लेखापरीक्षकों को सिस्टम को समझने और सिस्टम से रिपोर्ट की समीक्षा करने में सहायता की। अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यक्तिगत स्तर पर लेखापरीक्षकों को प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्यों का ऑडिट करने के बारे में समझाया। इसके अलावा, यदि आवश्यक हुआ तो मुं.प.प्रा. टेक महिंद्रा के परामर्श से लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए एक अनुकूलित रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। उपरोक्त के अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि लीगेसी से ईबीएस में परिवर्तन (माइग्रेशन) के कारण, प्रोजेक्ट बनाते समय सिस्टम में बहुत सारी जानकारी फीड करने की आवश्यकता होती है। इसमें सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग जैसे कई विभाग शामिल हैं। हालाँकि, कठोर प्रयासों से यह गतिविधि 2025 के मध्य तक पूरी होने की संभावना है।

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट</th><th>की गई कार्रवाई की टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td>ए.2</td><td>वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम
विविध देनदार- ₹2132.19 करोड़ (अनुसूची IV)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>लेखापरीक्षा में पाया गया कि खातों में दर्शाए गए देनदारों और संबंधित विभागों द्वारा दर्शाए गए देनदारों में अंतर है, जैसा कि नीचे दिया गया है: -
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>अनु. क्रमांक</th><th>विभाग का नाम</th><th>विभाग द्वारा लेखा परीक्षा को ऑडिट के दौरान सूचित किए गए देनदार</th><th>खातों के अनुसार देनदार</th><th>अंतर</th></tr>
<tr><td>i.</td><td>संपदा विभाग</td><td>1954.04</td><td>2636.69</td><td>682.65</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>सिविल अभियांत्रिकी विभाग</td><td>45.89</td><td>13.99</td><td>(31.90)</td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>यातायात विभाग</td><td>198.88</td><td>341.10</td><td>142.22</td></tr>
</table>
वित्त विभाग और उपर्युक्त संबंधित विभागों के विविध देनदारों के आंकड़ों के सामंजस्य के अभाव में, लेखापरीक्षा विविध देनदारों के तहत दर्ज आंकड़ों की शुद्धता पर कोई राय बनाने की स्थिति में नहीं है।</td><td>दि. 25/07/2024 को वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों को विभाग के अनुसार देनदारों के निम्नलिखित आंकड़े बताए गए:
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>अनु. क्रमांक</th><th>विभाग का नाम</th><th>विभाग द्वारा लेखा परीक्षा को ऑडिट के दौरान सूचित किए गए देनदार</th><th>खातों के अनुसार देनदार</th><th>अंतर</th></tr>
<tr><td>i.</td><td>संपदा विभाग</td><td>2786.25</td><td>2636.69</td><td>149.56</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>सिविल अभियांत्रिकी विभाग</td><td>10.13</td><td>13.99</td><td>-3.86</td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>यातायात विभाग</td><td>183.33</td><td>343.37</td><td>-160.04</td></tr>
</table>
हालाँकि, लेखापरीक्षा में अलग-अलग आंकड़ों पर विचार किया गया है।

उपरोक्त से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अंतर उतना अधिक नहीं है जितना लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। हालाँकि उपरोक्त अंतर प्राथमिकता के आधार पर समाधान पत्तन के अंतर्गत हैं।
फिर भी, समाधान एक सतत प्रक्रिया है और पत्तन ने आईपोर्टमैन और एसडी मॉड्यूल को लागू किया है, जहां सीई विभाग और यातायात विभाग से संबंधित मुद्दों का निकट भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। जहां तक संपदा विभाग का सवाल है, संपदा बिलिंग मॉड्यूल का परीक्षण चल रहा है और सहायक खाता बही और मुख्य खाता बही के बीच अंतर पर भी संबोधित ध्यान दिया जाएगा क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम के माध्यम से होगा।</td></tr>
<tr><td>ए.3</td><td>वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम
नकदी एवं बैंक शेष: ₹.404.15 करोड़ (अनुसूची-V)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>मुंबई पत्तन प्राधिकरण 23 बैंक खाते संचालित करता है। नीचे उल्लिखित सात बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण पत्तन द्वारा तैयार नहीं किए गए थे:
(₹. करोड़ में)
<table>
<tr><th>अनु. क्र.</th><th>बैंक</th><th>बही शेष</th><th>शेष राशि पुष्टि प्रमाण पत्र के अनुसार बही शेष</th><th>अंतर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 31790101 101 1787</td><td>300.94</td><td>₹18,450 केवल</td><td>(300.94)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>एसबीआई भविष्य निधि खाता 10996687335</td><td>145.78</td><td>₹5,000 केवल</td><td>(145.78)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>एसबीआई यातायात नीलामी बिक्री 10996683283</td><td>6.06</td><td>9.07</td><td>3.01</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां

4	आईडीबीआई जेम पूल 726102000012254	0.35	1.69	1.34
5	एसबीआई सीएमई 10005255202	0.09	0.76	0.67
6	एसबीआई एमएम फ्यूल 10005255553	9.64	2.05	(7.59)
7	एसबीआई सीएमई II (10005255053)	0.11	शेष राशि की पुष्टि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया	

उपरोक्त के मद्देनजर निम्नलिखित बातें देखी गईं:

ए) निम्नलिखित दो बैंक खातों में बैंक द्वारा बताए गए शेष और लेखा पुस्तकों में दर्ज शेष के बीच भारी विसंगतियां देखी गईं:

(i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: बही शेष राशि ₹300.94 करोड़ दिखाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में केवल ₹18,450 का शेष दर्शाया गया था।

(ii) एसबीआई भविष्य निधि खाता: बही शेष में ₹145.78 करोड़ की राशि दर्शाई गई, जबकि बैंक पुष्टिकरण प्रमाणपत्र में केवल ₹5,000 का शेष दर्शाया गया।

बी.) उपरोक्त के अतिरिक्त, चार बैंक खातों में बैंक मिलान विवरण को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है और बैंक शेष और बही शेष के बीच ₹(-)7.59 करोड़ से 3.01 करोड़ का अंतर था।

ए.i) लेखापरीक्षा को दि. 06.08.2024 को ईमेल द्वारा यूबीआई के बीआरएस के बारे में सूचित किया गया था और इसकी अद्यतन स्थिति जिसमें 90% खाते का मिलान किया गया था, मसौदा एसएआर के साथ साझा किया गया था। अंतर मुख्य रूप से क्षतिपूर्ति त्रुटि के कारण हुआ था।

ए.ii) ऑडिट को दिनांक 03.09.2024 को ईमेल द्वारा एसबीआई पीएफ खाते के बीआरएस के बारे में सूचित किया गया था। और इसकी अद्यतन स्थिति मसौदा (ड्राफ्ट) एसएआर के साथ साझा की गई थी।

बी.1) मसौदा एसएआर के उत्तर में लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि एसबीआई यातायात नीलामी बिक्री खाते का 100% मिलान कर लिया गया है और आवश्यक लेखा प्रविष्टियां और बीआरएस भी उत्तर के साथ संलग्न किए गए हैं।

बी.2) आईडीबीआई जीईएम पूल खाता क्र. 0726102000012254 अग्रदाय खाता है। इसका उपयोग जीईएम पोर्टल के माध्यम से किए गए व्ययों के लिए किया जाता है। जीईएम के माध्यम से किए गए सभी व्ययों का हमारी व्यय लेखा परीक्षा शाखाओं द्वारा लेखापरीक्षा कि जाती है और फिर उनकी भरपाई की जाती है। हालाँकि, लेखापरीक्षा के अवलोकन के आधार पर उनका मिलान किया जा रहा है।

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
	सी.) एक बैंक खाते (क्रम संख्या 7) के संबंध में न तो बैंक मिलान विवरण और न ही बैंक पुष्टि प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। बैंक मिलान विवरण रखने या नियमित रूप से मिलान करने में विफल रहने पर, खासकर जब बैंक शेष और परीक्षिती के खातों के बीच बड़ी विसंगतियां होती हैं, तो धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ सकता है, वित्तीय स्थिति का गलत विवरण, वित्तीय रिपोर्टिंग में त्रुटि, लेखापरीक्षा जोखिम में वृद्धि और संस्था की क्रेडिट योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, बैंक मिलान विवरण की अनुपस्थिति में, लेखा परीक्षा नकद और बैंक शेष शीर्ष के तहत दिखाई गई राशि की शुद्धता को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं था। नौ बैंक खातों के लिए बैंक मिलान विवरण प्रस्तुत न करने के संबंध में वर्ष 2022-23 में भी टिप्पणी की गई थी। किंतु, प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	बी.3) खाता क्र. 10005255202 अग्रदाय खाता है। इस खाते के माध्यम से किए गए व्यय का लेखा-परीक्षण हमारी व्यय लेखा परीक्षा शाखाओं द्वारा किया जाता है और स्वीकृत अग्रदाय सीमा के अनुसार खाते की प्रतिपूर्ति की जाती है। ये अग्रदाय खाते हैं, इसलिए किसी समाधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिपूर्ति से पहले प्रतिपूर्ति का लेखा-परीक्षण किया जाता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा के अवलोकन के आधार पर समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करने की संभावना पर विचार किया जाएगा। बी.4) खाता क्र. 100005255553 अग्रदाय खाता है। इस खाते के माध्यम से किए गए व्यय का लेखा-परीक्षण हमारी व्यय लेखा-परीक्षा शाखाओं द्वारा किया जाता है और स्वीकृत अग्रदाय सीमा के अनुसार खाते की प्रतिपूर्ति की जाती है। ये अग्रदाय खाते हैं, इसलिए किसी समाधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिपूर्ति से पहले प्रतिपूर्ति का लेखा-परीक्षण किया जाता है। हालाँकि, लेखापरीक्षा के अवलोकन के आधार पर समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करने की संभावना पर विचार किया जाएगा। सी) खाता क्र. 100005255053 जनवरी 2023 में बंद कर दिया गया था। खातों की पुस्तकों में आवश्यक लेखा प्रविष्टियाँ पारित की गईं और इसके सहायक दस्तावेज़ मसौदा एसएआर के उत्तर में संलग्न किए गए। चूंकि बैंक खाता जनवरी-2023 में बंद हो गया था, इसलिए बीआरएस या बैंक पुष्टि प्रमाणपत्र नहीं हो सकता है, जिसकी जानकारी ड्राफ्ट एसएआर के उत्तर में लेखा परीक्षा को भी दी गई थी। उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि विभिन्न मामलों में लेखापरीक्षा को आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराये गये थे तथा समाधान में भी प्रगति हुई है।
ए.4	**नियत/पूंजीगत परिसंपत्तियां- ₹2458.10 करोड़ (अनुसूची II)**	
	ए) उपरोक्त में ₹82.74 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो दूसरे केमिकल बर्थ तक पहुंच चैनल को गहरा और चौड़ा करने के लिए पूंजीगत निकर्षण कार्य और इसके लिए परामर्श शुल्क (₹0.14 करोड़) का मूल्य है (₹82.60 करोड़)। यह कार्य मार्च 2022 में पूरा हो गया था, हालाँकि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था।	पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही परिसंपत्तियों को लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किया जाता है। चूंकि इस व्यय का पूर्णता प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। चूंकि विभाग से पूर्णता प्रमाण पत्र अगस्त-2024 में प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे अब परिसंपत्ति

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
	लेखांकन मानक 10 स्पष्ट रूप से बताता है कि यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत को मान्यता दी जानी चाहिए । लेखांकन मानक यह भी निर्दिष्ट करता है कि किसी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब वह उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, यानि, जब वह प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में होती है। पूर्ण हो चुके कार्य का पूंजीकरण न होने के परिणामस्वरूप नियत परिसम्पत्तियों को ₹82.74 करोड़ बढ़ाकर, चल रहें पूंजीगत कार्यों को ₹82.74 करोड़ बढ़ाकर, पूर्व अवधि प्रभारों को ₹1.65 करोड़ कम करके , मूल्यह्रास ₹1.65 करोड़ कम करके तथा लाभ ₹3.30 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है।	कार्ड संख्या 11000031 के तहत पुस्तकों में पूंजीकृत किया गया है।
	बी.)उपरोक्त में एक 14 टन क्षमता की मोबाइल कोल क्रेन और दो इलेक्ट्रिक लेवी लफिंग पोर्टल व्हार्फ क्रेन का सकल खंड शामिल है, जिसकी कीमत ₹6.24 करोड़ है, जिनका मुंबई पोर्ट प्राधिकरण द्वारा ₹1 के नाममात्र मूल्य पर मूल्यह्रास करके निपटारा कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) को बढ़ाकर दिखाया गया और संचित मूल्यह्रास को ₹6.24 करोड़ से अधिक दिखाया गया।	आवश्यक लेखा प्रविष्टियाँ वित्त वर्ष 2024-25 में पारित की जाएँगी। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि लाभ और हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।
ए.5	**चालू देयताएं और प्रावधान: ₹4595.16 करोड़** **विविध लेनदार** **व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से अग्रिम राशि: ₹1644.21 करोड़**	
	इसमें ₹1131.90 करोड़ रुपए पट्टेदारों/किराएदारों से वसूले गए संपत्ति किराये शामिल हैं- (संपदा विभाग विविध अग्रिम खाता) जिसे अंतिम रूप से खाता शीर्ष 'देनदार' के विरुद्ध समायोजि त किया जाना चाहिए। यद्यपि शेष राशि की पहचान और समाधान करने के लिए वर्ष 2017 में तीन सीए फर्मों की एक टीम को लगाया गया था, लेकिन उनके कार्यकाल तक समाधान पूरा नहीं हुआ। शेष राशि की पहचान करने और उसका समाधान करने के लिए अक्टूबर 2023 में फिर से सीए फर्मों को लगाया गया। किंतु समाधान अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा इस खाता शीर्ष की सटीकता का पता नहीं लगाया जा सका। उपरोक्त टिप्पणियाँ लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2015-16 से की जा रही हैं। यद्यपि, समाधान प्रक्रिया वर्ष 2017 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है।	इस संबंध में बताया गया है कि अक्टूबर 2023 में एक सीए फर्म की नियुक्ति की गई है। फर्म ने नवंबर 2023 में काम शुरू कर दिया है। इन समायोजनों से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने में शामिल जटिलता के कारण, फर्म को प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं से खुद को परिचित करने में कुछ शुरुआती समय लगा। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था। इस तथ्य की जानकारी ड्राफ्ट एसएआर के जवाब में दी गई थी। इसका संज्ञान नहीं लिया गया है। यह भी विचारणीय है कि कई सीए फर्में बहुत अधिक मात्रा और इसमें शामिल जटिलताओं के कारण कार्य पूरा नहीं कर सकीं। इसे ध्यान में रखते हुए, पत्तन कार्य पद्धति को पुनः सज्जित करने पर विचार कर रहा है। इससे सुलह की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।
बी.	**लाभ - हानि खाता**	

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां

बी.1

प्रावधान: ₹.103.26 करोड़

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा ढांचे के अनुसार, यदि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता को ट्रस्ट के निर्माण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, तो वर्ष के लिए किए गए खर्च का पता बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा लगाया जाएगा। एमबीपीए ने पेंशन निधि , उपदान निधि और अवकाश नकदीकरण निधि के लिए देयता के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	दि. 31 मार्च 2024 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान की जाने वाली देयता	दि. 31 मार्च 2024 के अनुसार निधि में शेष राशि	31 मार्च 2024 तक प्रावधान	कमी
1	2	3	4	5 (2-3-4)
पेंशन निधि	11447.74	10320.41	400.00	727.33
उपदान निधि	404.13	56.02	0	348.11
अवकाश नकदीकरण निधि	230.28	0.31	0	229.97
कुल	**12082.15**	**10376.74**	**400.00**	**1305.41**

उपरोक्त अल्प प्रावधान (₹1305.41 करोड़) की राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राधिकरण के कर पश्चात लाभ (₹209.46 करोड़) के 623 प्रतिशत के बराबर है। यदि खातों में पूर्ण प्रावधान किया जाता है, तो प्राधिकरण की निवल संपत्ति ₹2432.96 करोड़ से घटकर ₹1127.55 करोड़ हो जाएगी और वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ ₹1095.95 करोड़ के घाटे/हानि में परिवर्तित हो जाएगा।

इस देयता के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को ₹1305.41 करोड़ कम दर्शाया गया है तथा उसी सीमा तक लाभ को भी अधिक दर्शाया गया है।

उपरोक्त कमियों को लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2012-13 से इंगित किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन ने पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है।

वार्षिक लेखा के अनुसार अधिवर्षिता निधि के निम्नलिखित आंकड़े बताए गए हैं। एसएआर में बताए गए आंकड़ों में विसंगति है।

वार्षिक लेखा के अनुसार तालिका नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	दि. 31 मार्च 2024 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान की जाने वाली देयता	दि. 31 मार्च 2024 के अनुसार निधि में शेष राशि	31 मार्च 2024 तक प्रावधान	कमी
1	2	3	4	5 (2-3-4)
पेंशन निधि	11447.74	10311.91	400.00	735.09
उपदान निधि	404.13	111.01	0	293.12
अवकाश नकदीकरण निधि	230.28	0.31	0	229.97
कुल	**12082.15**	**10423.23**	**400.00**	**1258.18**

इस संबंध में निधिवार उत्तर नीचे क्रमवार दिया गया है:

<u>1.पेंशन निधि-</u>

i) यह कहा गया है कि, वर्ष 2022-2023 को समाप्त होने तक, पहचान की गई कमी ₹2725.70 करोड़ थी। हालाँकि, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, और वर्ष 2023-2024 को समाप्त होने तक, कमी काफी कम होकर ₹1258.18 करोड़ हो गई है। यह सकारात्मक प्रवृत्ति बताती है कि कमी बहुत तेज़ी से कम हो रही है, निधि को पूरी तरह से पूरा भरने में शुरू में अनुमानित पाँच साल की सीमा से कम समय लग सकता है।यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि यह कमी दो वर्षों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

ii. इस मामले को तुरंत हल करना बंदरगाह प्रबंधन की अटूट प्रतिबद्धता है। यह प्रतिबद्धता दि. 04/05/2023 को बोर्ड द्वारा पारित एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से प्रदर्शित की गई, जो जल्द से जल्द कमी को पूरा करने के महत्व पर जोर देती है।

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
		iii. पत्तन की प्रतिबद्धता को और अधिक समर्थन देने के लिए, लेखा बहियों में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। **<u>2. उपदान निधि –</u>** i. चूंकि 31.03.2024 तक जीजीएफटी का निवेश ₹111.01 करोड़ है, इसलिए कमी को सही रूप से ₹293.12 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है। मुं.प.प्रा. ने आज तक अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के लिए अपनी सभी देनदारियों का विधिवत भुगतान किया है। उपदान निधि के अनुमान और निवेश के बीच अंतर को पाटने के प्रयास किए जा रहे हैं। **<u>3. अवकाश नकदीकरण निधि</u>**- कृपया ध्यान दें कि, अवकाश नगदिकरण निधि का निधि शेष राशि शून्य है। निवेश शेष राशि में ₹0.31 करोड़ का नाममात्र निवेश बचा हुआ है। चूंकि दि. 31.03.2024 तक अवकाश नगदिकरण निधि का निवेश ₹0.31 करोड़ है, इसलिए कमी को सही रूप से ₹229.97 करोड़ के रूप में दर्शाया गया है। दिसंबर 2024 तक सुपरएनुएशन फंड में कुल ₹ 1320 करोड़ का निवेश किया गया है।
बी.2	**प्रावधान: अन्य प्रावधान** **वसूल न किए गए संपदा किराये के लिए प्रावधान: ₹.1478.19 करोड़** उपरोक्त राशि पिछले कई वर्षों से प्राधिकरण द्वारा वसूल न किए गए पुराने संपदा किराये को दर्शाता है जिसके लिए प्रावधान किया गया था। हालाँकि, पार्टी-वार विवरण मुं.प.प्रा. के पास उपलब्ध नहीं थे। पार्टी-वार बकाया विवरणों के अभाव में लेखापरीक्षा ₹1478.19 करोड़ के वसूल न किए गए संपदा किराये के विरुद्ध बनाए गए प्रावधान की सटीकता पर्याप्तता पर कोई राय बनाने में असमर्थ है।	चूंकि यह एक विरासती मुद्दा और पुराना प्रावधान है, इसलिए पुराने आंकड़ों को पुनः प्राप्त करना पत्तन के लिए एक चुनौती है। हालाँकि, पत्तन इस मुद्दे को सुलझाने की प्रक्रिया में है। संपदा देनदार समाधान के लिए नियुक्त सीए फर्मों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे उन पक्षों की पहचान करें जिनके प्रति प्रावधान किया गया था तथा बकाया राशि प्राप्त हुई है, तथा बहियों में प्रावधान को कम करने के लिए आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां पारित करें।

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
सी.	**लेखों पर टिप्पणियां**	
	सी.1 मुंबई पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि के संबंध में प्रकटीकरण (नोट 8) संपदा विभाग से प्राप्त पुष्टि के अनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के पास 944 हेक्टेयर भूमि है। हालांकि, राज्य सरकार ने मुंबई पत्तन प्राधिकरण के कब्जे में 930.90 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित की है। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना (अप्रैल 2018) के माध्यम से मुंबई पत्तन प्राधिकरण के नाम पर 930.90 हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व को अधिसूचित किया है, जिसका खुलासा लेखों पर टिप्पणियां में किया गया है। शेष 13.10 हेक्टेयर भूमि (944 हेक्टेयर - 930.90 हेक्टेयर) की अवस्थिति, मूल्याँकन कए भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है।	सी.1 लेखा परीक्षा द्वारा संदर्भित अधिसूचना संख्या टीपीबी-4317/492/सीआर-289/2017/ यूडी-11 मुं.प.प्रा. को 966 हेक्टेयर भूमि के लिए विशेष नियोजन प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित और नियुक्त करती है, जिसमें से 930.90 हेक्टेयर भूमि मुंबई पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में है, जिस पर एसपीए शहर नियोजन गतिविधियों चलाएगा। यह तर्क कि राज्य सरकार ने 930.90 हेक्टेयर भूमि को मुंबई पत्तन के स्वामित्व में अधिसूचित किया है, उक्त अधिसूचना की भावना के अनुरूप नहीं है।
	सी.2 मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) को मांडा, टिटवाला में 15260 वर्ग मीटर भूमि हस्तांतरित की है और 30520 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र का हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) (मई 2023) प्राप्त किया है। चूंकि बाजार दरें उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी रेडी रेकनर दर ₹8600/वर्ग मीटर) (मई 2023) को ध्यान में रखते हुए टीडीआर का मूल्य ₹26.25 करोड़ आता है। न तो हस्तांतरित भूमि (₹1,248) के बही मूल्य को नियत परिसंपत्तियों से हटाया गया है, न ही वित्तीय विवरणों में टी.डी.आर. की प्राप्ति का लेखा-जोखा रखा गया है, और एम.बी.पी.ए. ने टी.डी.आर. को दर्ज करने के लिए कोई लेखांकन नीति भी स्थापित नहीं की है। इस तथ्य का वित्तीय विवरणों में उचित रूप से खुलासा किया जाना चाहिए था।	सी.2 मुंबई पत्तन प्राधिकरण को कल्याण डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) मंदा, टिटवाला में को 15260 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि देने के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) प्राप्त हुआ है। खातों की पुस्तकों में दर्ज भूमि का मूल्य ₹ 23,158 है। जब किसी परिसंपत्ति को किसी दूसरी परिसंपत्ति के लिए आदानप्रदान किया जाता है, तो लेखांकन उद्देश्य के लिए विचार किया जाने वाला मूल्य पुरानी परिसंपत्ति का बही मूल्य होता है। नतीजतन, बहियों में कोई मौद्रिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मामले में टिटवाला का परिसंपत्ति कार्ड ₹23,158 की ऐतिहासिक लागत दिखाता है और टीडीआर(TDR) को उसी मूल्य के लिए हिसाब में लिया जाएगा। इस प्रकार परिसंपत्ति की राशि में कोई बदलाव नहीं होगा। टीडीआर की बिक्री एक बाद की घटना है जिसमें टीडीआर की बिक्री आय की राशि को टीडीआर परिसंपत्ति के बही मूल्य को कम करने के बाद आय के रूप में माना जाएगा। भूमि के मुद्रांक शुल्क मूल्य को उस मामले के लिए परिसंपत्ति या आय के मूल्य के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि दि. 31.03.2024 तक टीडीआर से लाभ नहीं लिया गया है।

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
डी.	**लेखांकन नीतियां** वस्तुसूची - **₹6.78 करोड़** ए) खातों में बताई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (मद संख्या 4) के अनुसार बहियों में वस्तुसूची को लागत पर लिया जाता है। यह नीति सीएफएफआर से भिन्न है, जो निर्धारित करती है कि वस्तुसूची का मूल्यांकन भारित औसत लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, लेखापरीक्षा वस्तुसूची के मूल्य की सटीकता (₹6.78 करोड़) और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए लाभ पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।	ए) लेखापरीक्षा प्रश्न के संदर्भ में, उत्तर क्रमवार दिया गया है: मुं.प.प्रा. की मालसूची न तो मुं.प.प्रा. द्वारा सामान्य व्यवसाय के दौरान बिक्री के लिए रखी जाती है और न ही बिक्री के लिए उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग (इनपुट) के रूप में उपयोग की जाती है। भंडार आम तौर पर स्पेयर पार्ट्स या अन्य परिचालन सामग्री होती है जो स्वयं के उपभोग के लिए होती है। इसमें राजस्व/स्टॉक आइटम, गैर-स्टॉक आइटम जैसे दवाइयां, स्टेशनरी, टॉयलेटरीज़, ईंधन आदि की विभिन्न वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा, एएस-2 विशेष रूप से मशीनरी स्पेयर्स को छूट देता है जिसका उपयोग अचल संपत्तियों के संबंध में किया जाता है। इसलिए, मुं.प.प्रा. की खरीद को मालसूची नहीं कहा जा सकता है। मालसूची का मूल्य ₹6.78 करोड़ है, जो मुं.प.प्रा के व्यापार की मात्रा (टर्नओवर) का 0.30% है।
	बी) सीएफएफआर के अनुसार, वस्तुसूची की कम /उपयोग मैं न आने वाली वस्तुओं के मूल्यह्रास के लिए एक नीति तैयार की जानी चाहिए। किंतु, मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने वस्तुसूची की कम /उपयोग मैं न आने वाली वस्तुओं के मूल्यह्रास के लिए कोई नीति तैयार नहीं की है और न ही इसका खुलासा किया है, जिसके परिणामस्वरूप सीएफएफआर प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है। लेखापरीक्षा द्वारा यह टिप्पणी उठाए जाने के बावजूद 2017-18 से पत्तन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	बी) इस संबंध में यह कहा गया है कि, चूंकि मुं.प.प्रा. की मालसूची उपभोग्य वस्तुएं हैं और इन्हें मुख्य रूप से बिक्री/व्यापार के लिए नहीं रखा जाता है, इसलिए मालसूची के लिए मूल्यह्रास की अनुशंसा नहीं की जाती है, क्योंकि यह गैर पूंजीगत मद है। संयोग से, पत्तन, पोतपरिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सीएजी के परामर्श से महापत्तन अधिनियम, 2021 के अनुपालन में लेखांकन के लिए मानदंड जारी करेगा। प्रक्रिया पूरी होने के अंतिम चरण में है और निकट भविष्य में जारी होने की संभावना है।

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
इ.	**सहायता अनुदान** 31 मार्च 2024 तक मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति:	**तथ्यात्मक.**

(₹ करोड़ में)

विवरण		1 अप्रैल 2023 तक प्राप्त हुआ अनुदान	प्राप्ति		आज तक उपयोग किया गया	उपयोग न किया गया
			अनुदान प्राप्त हुआ	ब्याज अर्जित किया लेकिन वापस नहीं किया गया		
इंदिरा गोदी पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल का उन्नयन / आधुनिकीकरण	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	125.24	0.00	0.00	125.24	0.00
	पर्यटन मंत्रालय	34.34	8.16	0.00	42.50	0.00
तीसरे रासायनिक घाट के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ अनुदान।	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	40.25	93.13	0.00	133.38	0.00
केएएलएच पर पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए प्राप्त हुआ अनुदान	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00
मैलेट बंदर फिशिंग हार्बर, माज़गाँव के विकास के लिए प्राप्त हुआ अनुदान	मत्स्य मंत्रालय	24.00	0.00	1.14	0.64	24.50
स्काडा परियोजना	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	0.00	18.05	0.00	15.64	2.41
कुल		**227.67**	**119.34**	**1.14**	**321.24**	**26.91**

क्रमांक	पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट	की गई कार्रवाई की टिप्पणियां
एफ.	**प्रबंधन पत्र** जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है। v) टिप्पणी क्रमांक क.1, क.2, क.3, क.5 और ख.2 में उल्लेखित मामलों के महत्व के कारण, हम वर्ष 2023-24 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के वित्तीय विवरण पर कोई राय व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं। vi) अन्य मामले और खातों की समीक्षा, 31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम क्रमशः **अनुबंध- I और II** में दिए गए हैं। **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक** **(के लिए और उन की ओर से)** **(संदीप रॉय)** **महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई** **स्थान: मुंबई** **दिनांक: 04 दिसंबर 2024**	**हस्ता./-** **(श्रीमती माधुरी अ. वराडे)** **वित्तीय सलाहकार और** **मुख्य लेखा अधिकारी** **मुंबई पत्तन प्राधिकरण** **स्थान: मुंबई** **दिनांक: 13 दिसंबर 2024.**

अनुलग्नक।

क्र.	अलग ऑडिट रिपोर्ट	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**	
	वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए एमबीपीए का आंतरिक ऑडिट मार्च 2023 में मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स को सौंपा गया था। वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक ऑडिट प्रगति पर था और रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	मेसर्स एससीएम एसोसिएट्स को दि. 09.03.2023 को वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा की है और दि.26.07.2024 को यातायात प्रबंधक की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जीएडी, सीई और एमईईडी के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रगति पर हैं और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इसलिए, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त है।
2.	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** पत्तन के आंतरिक नियंत्रण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए सुधार की आवश्यकता है:	
ए.	**31 मार्च 2024 तक बैंक मिलान विवरण**	
	मुंबई पत्तन प्राधिकरण 23 बैंक खाते संचालित करता है। 5 बैंक खातों के लिए मिलान विवरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन बैंक खातों में बही शेष और बैंक शेष मेल खाते हैं। प्रबंधन द्वारा 10 बैंक खातों के लिए मिलान विवरण प्रस्तुत किए गए। . (ए) इन 10 बैंक खातों में से 3 बैंक खातों के मामले में खातों में दर्शाए गए बही शेष और प्रस्तुत मिलान विवरण में दर्शाए गए बही शेष में अंतर था। इसलिए बैंक शेष की सत्यता की पुष्टि लेखा परीक्षा द्वारा नहीं की जा सकती। (बी)एक बैंक खाते के संबंध में अर्थात बैंक खाता संख्या 10996687573 (एसबीआई पेंशन फंड) जिसका बही शेष 0.00 है, वह मुंबई पत्तन प्राधिकरण पीएफटी से संबंधित है जो एमबीपीए बही में गलत तरीके से प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन उससे बैंक शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। (सी) शेष 7 बैंक खातों के बैंक मिलान विवरण की जांच से निम्नलिखित कमियाँ सामने आईं: (i) बहियों में डेबिट किया गया लेकिन बैंकों में जमा होना बाकी है: अप्रैल 2006 से पत्तन की बहियों में 993 करोड़ रुपए बैंक में जमा दिखाए गए हैं, लेकिन बैंक विवरण में नहीं दिखाए गए हैं। (ii) बहियों में क्रेडिट किया गया लेकिन बैंकों से कटना बाकी है:	पत्तन तकनीकी सहायता सहित अधिक संसाधनों को तैनात करके इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। जहां तक समाधान का सवाल है, यह एक सतत प्रक्रिया है और पत्तन प्राथमिकता के आधार पर इस पर काम कर रहा है। कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी और आगे की भर्ती में प्रतिबंधों को देखते हुए निकट भविष्य में इस गतिविधि को आउटसोर्स करने पर भी विचार किया जा रहा है।

क्र.	अलग ऑडिट रिपोर्ट	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
	वित्तीय विवरण में दर्शाया गया बैंक शेष 31 मार्च 2024 को, ₹ 1132 करोड़ की कटौती की बाद, अप्रैल 2006 से जारी किए गए चेकों के संबंध में, जो 4 तक 3 महीने से अधिक पुराने थे घटाने के बाद है। इन्हें न ही रद्द किया गया है और न ही बट्टे में लिखा गया है। (iii) **मुं.प.प्रा. द्वारा बैंक डेबिट अलेखित:** बैंक द्वारा ₹1065 करोड़ रुपए डेबिट किए गए लेकिन मुं.प.प्रा. द्वारा कोई प्रविष्टि पारित नहीं की गयी। (iv) **मुं.प.प्रा. द्वारा बैंक क्रेडिट अलेखित:** बैंक द्वारा ₹947 करोड़ रुपए जमा किए गए लेकिन एमबीपीए द्वारा इसका लेखांकन नहीं किया गया।	
बी.	**नकदी और बैंक शेष - अनुसूची 5**	
	(i)उपर्युक्त में ₹53.31 करोड़ रुपए का क्रेडिट शेष (जीएल संख्या 23110250) शामिल है, जो एकत्रित राजस्व से संबंधित असंबद्ध और अज्ञात क्रेडिट को दर्शाता है, लेकिन संबंधित पक्षों को अभी तक आबंटित नहीं किया गया है। उपरोक्त ऋण शेष को चालू देयता के रूप में मानने के बजाय नकदी और बैंक शेष के विरुद्ध समायोजित करने के परिणामस्वरूप 'व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य से अग्रिम' (चालू देयताओं के अंतर्गत) को कम दर्शाया गया और इसके फलस्वरूप नकदी और बैंक शेष को कम दर्शाया गया। (ii)इसमें व्यापारियों, ठेकेदारों और अन्य लोगों की ओर से 1985 से 2022 के दौरान परिपक्व हुए सावधि जमा के संबंध में ₹32.73 करोड़ रुपये भी शामिल हैं, जिन्हें न तो पार्टियों को वापस किया गया और न ही भुनाया गया।	अनुपालन हेतु नोट किया गया। अनुपालन हेतु नोट किया गया।
सी.	विविध देनदारों से 31 मार्च 2024 तक बकाया शेष राशि की पुष्टि पत्तन द्वारा प्राप्त नहीं की गई है;	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया। इसके अलावा, पत्तन ने आईपोर्टमैन (IPORTMAN) में माइग्रेट करते समय पर्सनल डिपॉज़िट अकाउंट सिस्टम में बदलाव किया है। इस स्थिति में, शेष राशि पुष्टि की ज़रूरत नहीं होगी।

क्र.	अलग ऑडिट रिपोर्ट	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
डी.	यह भी पाया गया कि मुं.प.प्रा. के पास 217.28 हेक्टेयर (944 हेक्टेयर - 726.72 हेक्टेयर) की अपनी भूमि के लिए संपत्ति कार्ड नहीं है;	संपदा विभाग संपत्ति कार्ड के लिए जिलाधिकारी (कलेक्टर) कार्यालय से लगातार समन्वय कर रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय से जवाब का इंतजार है।
इ.	यह पाया गया कि सिविल इंजीनियरिंग विभाग और वित्त विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण परिसंपत्तियों का समय पर पूंजीकरण नहीं किया गया।	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
एफ.	यह भी पाया गया कि समन्वय की कमी के कारण वित्त विभाग और अन्य विभागों के साथ खाता शेष में अंतर था।	भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
3.	**अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
	ए) मुं.प.प्रा. के लेखा मैनुअल के अनुसार, अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन हर पांच साल में एक बार किया जाना चाहिए। पिछला भौतिक सत्यापन वित्त वर्ष 2017-18 में किया गया था। वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, लेखापरीक्षा खातों में दिखाए गए नियत परिसंपत्तियों के शेष को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं है। इससे गलत संपत्ति रिकॉर्ड रखे जाने और वित्तीय विवरण में संभावित गलत बयानी का जोखिम बढ़ जाता है।	अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रगति पर है।
	बी) यह भी पाया गया कि हालांकि वित्त विभाग के परिसंपत्ति रजिस्टर में भूमि का स्थान दर्शाया गया है, लेकिन प्रत्येक पहचाने गए भूमि के क्षेत्र के विरुद्ध संपत्ति रजिस्टर में भूमि का क्षेत्रफल नहीं दर्शाया गया है, जिसके कारण (क) आकार में हेराफेरी का जोखिम, (ख) सही भौतिक सत्यापन में कठिनाई और (ग) अतिक्रमण के कारण नुकसान की पहचान नही हो पाया है। इस प्रकार, संपत्ति रजिस्टर उस सीमा तक अपूर्ण है।	पत्तन में अवधिक पर निरीक्षण की व्यवस्था है। संपदा भूखंडों की जीआईएस मैपिंग भी है। इस प्रकार आधारसामुग्री (डेटा) में हेरफेर का जोखिम कम हो जाता है।
4.	**वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
	वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई है। इसलिए, लेखा परीक्षा खातों में दिखाए गए वस्तुसूची के शेष की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है।	वास्तविक

क्र.	अलग ऑडिट रिपोर्ट	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
5.	**वैधानिक बकाया**	
	पत्तनने निर्विवाद वैधानिक बकायों का भुगतान नियमित रूप से किया था।	वास्तविक
	उप निदेशक **स्थान: मुंबई** **दिनांक: 4 दिसंबर 2024**	**हस्ता./-** **(श्रीमती माधुरी अ. वराडे)** **वित्तीय सलाहकार और** **मुख्य लेखा अधिकारी** **मुंबई पत्तन प्राधिकरण** **स्थान: मुंबई** **दिनांक: 13 दिसंबर 2024.**

अनुलग्नक-II

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के खातों की समीक्षा

(खातों की समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों/टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार की गई है)

1. **वित्तीय स्थिति**

31 मार्च 2024 को समाप्त तीन वर्षों के लिए व्यापक शीर्षकों के अंतर्गत मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
देयताएं			
राजस्व रिज़र्व	1592.68	1671.67	1689.18
अन्य रिजर्व	1088.89	1008.88	1058.72
उधार लेना	375.86	481.91	1301.33
आस्थगित कर देयताएं	0	0	0
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	5312.05	4545.14	4595.16
कुल	**8369.48**	**7707.60**	**8644.39**
संपत्ति			
शुद्ध अचल संपत्ति	1032.53	958.04	967.00
निर्माणाधीन कार्य	871.33	1028.09	1096.36
निवेश	1407.08	1430.06	1808.72
वर्तमान परिसंपत्तियां और ऋण एवं अग्रिम	4268.22	3500.89	3666.01
आस्थगित कर परिसंपत्ति	432.52	323.73	783.32
अन्य परिसंपत्तियाँ विविध परिसंपत्तियाँ:			
शेड बीओटी संचालक को सौंपे गए	0.00	0.00	0.00
एसवीआरएस व्यय	0.00	0.00	0.00
विविध व्यय	6.88	6.54	8.04
संचित हानि	350.92	460.25	314.94
कुल	**8369.48**	**7707.60**	**8644.39**
कार्यशील पूंजी *	-1043.83	-1044.25	-929.15
निवल मूल्य **	2330.65	2220.30	2432.96
नियोजित पूंजी ***	-11.30	-86.21	37.85
विनियोग से पहले निवल अधिशेष	49.67	-82.55	253.83
नियोजित पूंजी पर रिटर्न **** (प्रतिशत)	-439.56	95.75	670.62
नियोजित पूंजी (कार्य-प्रगति पर सहित)	860.03	941.88	1134.21
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (कार्य-प्रगति पर सहित) (प्रतिशत)	5.78	-8.76	22.38

*कार्यशील पूंजी वर्तमान परिसंपत्तियों में से वर्तमान देनदारियों को घटाकर प्राप्त की जाती है;
** निवल मूल्य पूंजी भंडार और अन्य भंडारों के साथ-साथ अधिशेष/हानि को दर्शाता है;

तथ्यात्मक।

***नियोजित पूंजी शुद्ध अचल परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है;
****नियोजित पूंजी पर रिटर्न, नियोजित पूंजी पर शुद्ध अधिशेष (विनियोजन से पूर्व) का प्रतिशत दर्शाता है।

2. **कार्य परिणाम**

31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के कार्य परिणाम नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

(₹. करोड़ में)

विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2022-23**
आय			
परिचालन आय	1896.96	2121.16	2284.34
गैर परिचालन आय	82.41	173.84	273.18
कुल	**1979.37**	**2295.00**	**2557.52**
	1110.57	1087.80	1035.52
गैर परिचालन व्यय	926.57	1219.70	1772.13
कुल	**2037.14**	**2307.50**	**2807.65**
असाधारण वस्तुएं	0	0	0
पूर्व अवधि शुल्क	0	0	0
कर पूर्व निवल अधिशेष/ (घाटा)	**-57.77**	**-12.50**	**-250.13**
घटाएँ; कर के लिए प्रावधान या कर जोड़ने का प्रावधान वापस लिखा गया	41.00	0	
घटाएँ जोड़ें: आस्थगित कर देयता/संपत्ति	0	-108.79	459.59
जोड़ें; कल्याण निधि और इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व से वापस ले लिया गया	66.44	38.74	44.37
पुनर्मूल्यांकन से पहले शुद्ध सकल अधिशेष/(घाटा)	**49.67**	**-82.55**	**253.83**
कम:अनिवार्य विनियोजन, आरक्षित निधि में स्थानान्तरण, आदि।	78.36	68.59	108.53
अधिशेष/घाटा सामान्य को हस्तांतरित संरक्षित	-28.69	-151.14	145.30
शुद्ध लाभ / घाटा का प्रतिशत			
i परिचालन आय	2.62	-3.89	11.11
ii शुद्ध अचल संपत्ति	4.81	-8.62	26.25
iii कुल मूल्य	2.13	-3.72	10.43

तथ्यात्मक।

3. **अनुपात विश्लेषण (तरलता और शोधन क्षमता)**

मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण की तरलता और शोधन क्षमता तथा वित्तीय स्वास्थ्य पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं:

	विवरण	2021-22	2022-23	2023-24
ए	वर्तमान परिसंपत्तियों का वर्तमान से प्रतिशत प्रावधान सहित देयताएं	80.35	77.02	79.78
बी	चालू परिसंपत्तियों में त्वरित परिसंपत्तियों का प्रतिशत देयताएं	99.32	58.00	57.90
सी	परिचालन में विविध देनदारों का प्रतिशत आय	174.57	92.73	93.34
डी	पूंजी रिजर्व में ऋण का प्रतिशत सामान्य रिजर्व	23.00	28.83	77.04
ई	कर पूर्व लाभ का प्रतिशत:			
	ए) निवल मूल्य	-2.48	-0.56	-10.28
	बी) नियोजित पूंजी	511.24	14.50	-66.85
	सी) परिचालन आय	-3.05	-0.59	-10.95

तथ्यात्मक।

उप निदेशक
स्थान: मुंबई
दिनांक: 4 दिसंबर 2024

हस्ता./-
(श्रीमती माधुरी अ. वराडे)
वित्तीय सलाहकार और
मुख्य लेखा अधिकारी
मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण
स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 दिसंबर 2024

Action Taken Notes on the comments on Accounts raised in Separate Audit Report of Mumbai Port Authority for the year ended 31.03.2024.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
1	We have audited the attached Balance Sheet of the Mumbai Port Authority (MbPA) as at 31 March 2024 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Services) Act 1971, read with Section 44 (2) of Major Port Authority Act, 2021. These financial statements are the responsibility of the Port's Management. Our responsibility Is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	No comments
2	This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., If any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.	No comments
3	We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted In India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.	No Comments
4(i)	Based on our audit, we report that: (i) We have not been furnished all the information and explanations which were necessary for the purpose of our audit as mentioned In Comment No.A.1, A.2, A.3, A.5 and B- 2 *(Basis of Disc/aimer of opinion);*	The information pertaining the **A(1)** i.e. Capital WIP was already forwarded by email dated 05th July 2024 Basically, the issue is related to migration from the legacy system to the EBS. Due to the migration, while creating projects lots of information needs to be fed in the system by several departments like Civil Engineering and Mechanical Engineering. The activity is likely to be completed by the mid-2025. The detailed response to A1 is also made in the subsequent submission below. Apart from the above, the entire view access to the EBS was provided to the audit

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
		(two users). Since, the entire data is available in the EBS, it cannot be concluded that the information was not provided. As regards **A2**, the Sundry Debtors balance as communicated by the Departments and the one mentioned in the SAR is different. Nevertheless, the reconciliation is a continuous process and the port has implemented the IPORTMAN and the SD module where the issues related to the CE department and the Traffic Department will be taken care of in the near future. As far as the Estate Department is concerned the Estate Billing module is under testing and difference between the subsidiary ledger and the main ledger would also be addressed as the data transmission would be through the system. . The detailed response to A2 is also made in the subsequent submission below. Para **A3** is pertaining to bank reconciliation of various banks. The information / bank reconciliation statement has been provided. The details are as follows:-

Sr. No	Bank Account Number	BRS sent on
1.	317901011011787	6th August 2024 followed by updated status in the response to the Draft SAR.
2.	SBI PF Account – 10996687335	3th September 2024 followed by updated stated in the response to the Draft SAR.
3.	SBI Traffic Auction Sales – 10996683283	This account was fully reconciled and informed to the audit in response to the Draft SAR. The same has not been taken cognisance of.
4.	IDBI GEM Pool Account – 726102000012254	Basically this account is a imprest account. The operational mechanism

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes			
				involves a lien on the purchases made. The payment is released only after the acceptance of the goods. Therefore, there will always be difference in the balance, the lien amount and the book balance. This aspect is required to be considered by the Audit.	
		5.	SBI CME – I 10005255202	This is an imprest bank account wherein the recoupment is done periodically. This aspect needs to be taken cognizance of.	
		6.	SBI MM Fuel – 10005255553	This is an imprest bank account wherein the recoupment is done periodically. This aspect needs to be taken cognizance of. However, the port is planning to close this account since the mechanism of procurement and modalities of payments	

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Separate Audit Report</th><th>Action Taken Notes</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>have changes. We anticipate that the issue will not arise in the future.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>SBI CME II - 1000525053</td><td>This account was closed in the month of January 2023 thus there was no question of giving the Balance confirmation by the bank. This fact was highlighted in the response to the draft SAR.</td></tr>
</table>
The detailed response to A3 is also made in the subsequent submission below.

As regards A5 and B2 i.e. with respect to Estate activities, it is stated that these are legacy issues. The port had planned to clear the issue with the help of external assistance by appointment of a CA firm. The port is in the process of resolving the issue. This fact was informed in the response to the draft SAR. Cognisance of the same has not been taken of the same.
As a conclusion, it can be seen that the port had provided the information from time to time, as also full access to the EBS was available to the audit.
</td></tr>
<tr><td>4(ii)</td><td>(ii) The Balance Sheet and Profit & Loss Account dealt with by this report have been drawn up In the format approved by the Board of Trustees under Section 44(1) of the Major Port Authority Act, 2021;</td><td>The port is presently following the legacy formats. The new formats are yet to be finalised in terms of section 44(1) of the MPA Act 2021. The new formats have been recommended by the IPA to the MoPS&W for approval in consultation with the CAG.</td></tr>
<tr><td>4(iii)</td><td>(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have not been maintained by the Mumbai Port Authority required under Section 44(1) of the Major Port Authority Act,2021 In so far as It appears from our examination of such books.</td><td>The detailed explanation has been provided 4(ii) above.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Separate Audit Report</th><th>Action Taken Notes</th></tr>
<tr><td>A.</td><td>Balance Sheet
Application of Funds</td><td></td></tr>
<tr><td>A.1</td><td>Fixed Assets/Capital Assets:
Work in Progress - ₹1096.36 crore</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>In the absence of details of projects, date of commencement, their physical progress, etc. which are included in the Capital Work in Progress (CWIP), Audit could not form an opinion on the correctness of the amount accounted under CWIP. Hence, Audit is also not in position to comment on the impact on the financials of the Port. The issue was also highlighted during 2022-23, however, neither corrective action has been taken by Management nor were complete details furnished to audit for review.</td><td>It is stated that, the detailed information generated from FICO system was already forwarded to Audit by this office on 05th July 2024 by email.
The reports can also be generated in the EBS directly. Incidentally, access to the EBS system has also been provided to two Audit officers, Further experts from TECHM assisted the Auditors in understanding the systems and reviewing reports from system. Officers and staff on individual levels explained the auditors to audit capital work in progress.
Further MbPA will provide a customised report for audit purpose, in consultation of the TECHM, if required.
Apart from the above, It may also be noted that due to the migration from legacy to EBS, while creating projects lots of information needs to be fed in the system by several departments like Civil Engineering and Mechanical Engineering Department. However, with rigorous efforts this activity is likely to be completed by the mid-2025.</td></tr>
<tr><td>A.2</td><td>Current Assets, Loans and Advances
Sundry Debtors- ₹2132.19 crore (Schedule IV)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Audit observed that there is a difference in respect of the Debtors shown in the Accounts and that shown by the concerned departments as given below: -
(₹ In crore)
<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Name of the Department</th><th>Debtors as per the Department</th><th>Debtors as per the Accounts</th><th>Difference</th></tr>
<tr><td>i.</td><td>Estate Department</td><td>1954.04</td><td>2636.69</td><td>682.65</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>Civil Engg Department</td><td>45.89</td><td>13.99</td><td>(31.90)</td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>Traffic Department</td><td>198.88</td><td>341.10</td><td>142.22</td></tr>
</table>
In the absence of reconciliation of the Sundry Debtors' figures of the Finance department and the above-mentioned concerned departments, audit is not in a position to form an</td><td>Following figures of Debtors as per department were informed to auditors during the audit of Annual Accounts on 25/07/2024
In crore
<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Name of the Department</th><th>Debtors as per the Department informed during Audit</th><th>Debtors as per the Accounts</th><th>Difference</th></tr>
<tr><td>i.</td><td>Estate Department</td><td>2786.25</td><td>2636.69</td><td>149.56</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>Civil Engg. Department</td><td>10.13</td><td>13.99</td><td>-3.86</td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>Traffic Department</td><td>183.33</td><td>343.37</td><td>-160.04</td></tr>
</table>
However, the audit has considered different figures.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Separate Audit Report</th><th>Action Taken Notes</th></tr>
<tr><td></td><td>opinion on the correctness of the figures booked under Sundry Debtors.</td><td>It can be inferred from the above that the differences are not as high as detailed by the Audit. The above differences are however under reconciliation port on priority.
Nevertheless, the reconciliation is a continuous process and the port has implemented the IPORTMAN and the SD module where the issues related to the CE department and the Traffic Department will be taken care of in the near future. As far as the Estate Department is concerned the Estate Billing module is under testing and difference between the subsidiary ledger and the main ledger would also be addressed as the data transmission would be through the system. .</td></tr>
<tr><td>A.3</td><td>Current Assets, Loans and Advances
Cash & Bank Balances: ₹.404.15 Crore (Schedule-V)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>MbPA operated 23 Bank accounts. Bank reconciliation statements of the following seven bank accounts as mentioned below were not prepared by the Port.
(₹. In Crore)
<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Bank</th><th>Book Balance</th><th>Bank Balance as per balance confirmation certificate</th><th>Difference</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Union Bank of India (317901011011787)</td><td>300.94</td><td>₹18,450 only</td><td>(300.94)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SBI Provident Fund Account (10996687335)</td><td>145.78</td><td>₹5,000 only</td><td>(145.78)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SBI Traffic Auction Sales (10996683283)</td><td>6.06</td><td>9.07</td><td>3.01</td></tr>
<tr><td>4</td><td>IDBI GEM Pool (726102000012254)</td><td>0.35</td><td>1.69</td><td>1.34</td></tr>
<tr><td>5</td><td>SBI CME I (10005255202)</td><td>0.09</td><td>0.76</td><td>0.67</td></tr>
<tr><td>6</td><td>SBI MM Fuel (10005255553)</td><td>9.64</td><td>2.05</td><td>(7.59)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>SBI CME II (10005255053)</td><td>0.11</td><td>Balance confirmation certificate not furnished</td><td></td></tr>
</table>
In view of the above the following were observed:
a) Huge discrepancies between the bank balances reported by the bank and those recorded in the Books of Accounts were observed in the following two bank accounts:
(i) Union Bank of India: The book balance showed an amount of ₹300.94 crore, whereas the bank confirmation</td><td>a.(i) The Audit was informed BRS of UBI by email dated 06.08.2024 and an updated status of the same wherein 90% of the account was reconciled was shared with the Draft SAR. The</td></tr>
</table>

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	certificate indicated a balance of only ₹18,450.	difference had largely occurred due to compensating error.
	(ii) SBI Provident Fund Account: The book balance showed an amount of ₹145.78 crore, whereas the bank confirmation certificate indicated a balance of only ₹.5,000.	**a.(ii)** The audit was informed of the BRS of SBI PF Account by email dated 03.09.2024. And the updated status of the same was shared with the DSAR.
	b) In addition to the above, in four bank accounts BRS has not been furnished to audit and the difference between bank balance and book balance was ranging between ₹ (-)7.59 crore to ₹3.01 crore.	**b.1)** It was informed to the Audit in the reply to the Draft SAR that the SBI Traffic Auction Sales account has been 100% reconciled and the necessary accounting entries and the BRS were also enclosed to the reply. **b.2)** IDBI GEM Pool account no. 0726102000012254 is Imprest account. It is used for making expenses incurred through GEM Portal. All the expenses incurred through GEM are audited by our expense audit branches and then the same is recouped. However, the same are being reconciled on the basis of Audit's observation. **b.3)** Account no. 10005255202 is Imprest account. Expenses incurred through this account is audited by our expense audit branches and the account is recouped as per the sanctioned Imprest limits. These are imprest account, hence no reconciliation is required since the recoupment are audited before reimbursement. However, the possibility of evolving a mechanism for reconciliation would be looked into. on the basis of Audit's observation. **b.4)** Account no. 100005255553 is Imprest account. Expenses incurred through this account is audited by our expense audit branches and the account is recouped as per the sanctioned Imprest limits. These are imprest account, hence no reconciliation is required since the recoupment are audited before reimbursement. However, the possibility of evolving a mechanism for reconciliation would be looked into. on the basis of Audit's observation.
	c) In respect of one bank account (Srl No.7) neither the BRS nor bank confirmation certificate has been provided.	**c)** Account no. 100005255053 was closed in January 2023. Necessary accounting entries were passed in books of accounts and supporting documents of the same were

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	Failing to maintain or regularly reconcile Bank Reconciliation Statements, especially when there are significant discrepancies between the bank balance and the Auditee's accounts, may result in increased fraud risk, misstatement of financial position, error in financial reporting, increased audit risk and adverse impact on credit worthiness of the entity. Thus, in the absence of Bank Reconciliation Statements, Audit was not in a position to verify the correctness of the amount shown under the head Cash and Bank Balance. The comment regarding non-production of BRS in respect of nine bank accounts was also raised in the year 2022-23. However, corrective action has not been taken by the Management.	attached to the reply to Draft SAR. As the bank account was closed in Jan-2023, there cannot be a BRS or Bank confirmation Certificate, which was informed to the Audit in the reply to DSAR as well. From the above, it can be seen that the necessary data was provided to the Audit on various instances and also there has been progress in the reconciliation.
A.4	**Fixed/ Capital Assets- ₹2458.10 crore (Schedule II)**	
	a) The above does not include an amount of ₹82.74 crore being the value of Capital Dredging work for Deepening and Widening of Approach Channel to Second Chemical Berth (₹82.60 crore) and consultancy charges (₹0.14 crore) for the same. The work was completed in March 2022, however, the same was not capitalized. Accounting Standard 10 categorically states that the cost of an item of property, plant and equipment should be recognized if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the enterprise and the cost of the item can be measured reliably. The Accounting Standard also specifies that Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e., when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Non-capitalization of completed work has resulted in understatement of Gross Fixed Assets by ₹82.74 crore, overstatement of Capital Work in Progress by ₹82.74 crore, understatement of prior period charges by ₹1.65 crore, understatement of depreciation by ₹1.65 crore, and overstatement of Profit by ₹3.30 crore.	**a)** The assets are capitalised in books of accounts only after receipt of completion certificate. Since the completion certificate of this expense was not received in FY 2023-24, the same was not capitalised. As the completion certificate was received from the department in August-2024, the same has now been capitalised in the books under Asset card No. 11000031.
	b) The above includes a Gross Block of one Mobile Cole Cranes 14 Ton Capacity and two Electric Levey Luffing Portal Wharf Cranes amounting to ₹6.24 crore, which were disposed off by MbPA and depreciated to a nominal value of ₹1.	**b)** The necessary accounting entries will be passed in FY 2024-25. However, it may be noted that there is no significant impact on the profits and loss account as such.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	This has resulted in overstatement of fixed assets (Gross Block) and overstatement of Accumulated Depreciation by ₹6.24 crore.	
A.5	**Current Liabilities and Provisions: ₹4595.16 crore** **Sundry Creditors** **Advances from Merchants, Contractors and Others: ₹1644.21 crore**	
	This includes ₹.1131.90 crore being estate rentals recovered from the lessees/tenants-(Estate Departments Miscellaneous Advance Account) which needs to be finally adjusted against the head of account 'Debtors'. Though a team of three CA firms have been engaged in the year 2017 to identify and reconcile the balances, the reconciliation was not completed till their term. Further, CA firms were again engaged in October 2023 to identify and reconcile the balances. However, the reconciliation has still not been completed. Hence, the accuracy of this head of account could not be ascertained by audit. The above observations is being raised by audit since 2015-16. Though, the reconciliation process had started long back in the year 2017, the same is yet to be completed.	In this regard, it is stated that, a CA firm has been appointed in October, 2023. The firm has commenced work in November, 2023. Due to the complexity involved in understanding the processes related to these adjustments, the firm took some initial time to familiarize themselves with the procedures and requirements. This was necessary to ensure accuracy. This fact was informed in the response to the draft SAR. Cognisance of the same has not been taken of the same. It is also for consideration that several CA firms could not complete the task due to huge volume and the complexities involved. Considering this, the port is contemplating to re-orient the methodology of the working. This may hasten the process of reconciliation.
B.	**Profit and Loss Account**	
B.1	**Provisions: ₹.103.26 crore** As per the Common Framework for Financial Reporting, if the liability for retirement benefits was funded through creation of a Trust, the cost incurred for the year shall be ascertained by actuarial valuation. MbPA has not made adequate provisions towards liability to the Pension Fund, Gratuity Fund and Leave Encashment Fund as given below: (₹ in crore)	Following figures of Superannuation funds are reported as per Annual Accounts. There is discrepancy in the figures as stated in SAR. The table as per annual accounts is reproduced under: (₹ in crore)

Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31 Mar 2024	Balance in the Fund as on 31 Mar 2024	Provision as on 31 Mar 2024	Shortfall
1	2	3	4	5 (2-3-4)
Pension Fund	11447.74	10320.41	400.00	727.33
Gratuity Fund	404.13	56.02	o	348.11
Leave Encashment Fund	230.28	0.31	o	229.97
Total	**12082.15**	**10376.74**	**400.00**	**1305.41**

Name of the Fund	Liability to be provided as per Actuarial Valuation Report as on 31 Mar 2024	Balance in the Fund as on 31 Mar 2024	Provision as on 31 Mar 2024	Shortfall
1	2	3	4	5 (2-3-4)
Pension Fund	11447.74	10311.91	400.00	735.09
Gratuity Fund	404.13	111.01	o	293.12
Leave Encashment Fund	230.28	0.31	o	229.97
Total	**12082.15**	**10423.23**	**400.00**	**1258.18**

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
	The above short provision amounting to ₹1305.41 crore is equal to 623 per cent of the Profit after tax (₹209.46 crore) of MbPA for Financial Year 2023-24. In case the full provision is made in accounts, the net worth of MbPA would decreased from ₹2432.96 crore to ₹1127.55 crore and profit after tax for the year would be converted into deficit/loss to ₹1095.95 crore. Non-provision for this liability has resulted in understatement of Current Liabilities by ₹1305.41 crore and corresponding overstatement of Profit to the same extent. The above deficiencies are being pointed out by Audit since 2012-13 but the management has not made adequate provision.	In this regard, fund-wise reply is given below ad-seriatim: **1.Pension Fund-** i. It is stated that, as on year ended 2022-2023, the identified shortfall was amounted to ₹2725.70 crores. However, significant progress has been made, and for the year ended 2023-2024, the shortfall has significantly reduced to ₹1258.18 crores. This positive trend suggests that the shortfall is diminishing very fast, it may take less than the initially projected five-year horizon to fully replenish the funds. It is anticipated that the shortfall will be replenished within a span of two years. ii. It is an unwavering commitment of the port management to address this matter promptly. This commitment was demonstrated through the passing of a resolution by the Board on 04/05/2023, which emphasizes the importance of replenishing the shortfall as early as possible. iii. To further support Port's commitment, a provision of ₹200 crores has been made in the books of accounts. **2.Gratuity Fund-** i. As the investment of GGFT stands at ₹111.01 Crs. as on 31.03.2024, the shortfall is correctly depicted as ₹293.12 Crs. MbPA has duly paid all its liabilities towards Gratuity of its employees till date. Efforts are being taken to bridge the gap between the estimate and investments of the Gratuity fund. **3.Leave Encashment Fund-** It may please be noted that, the fund balance of LE Fund is Nil. A nominal investment of ₹0.31 Crs. is remained in the investment balance. As the investment of LE Fund stands at ₹0.31 Crs. as on 31.03.2024, the shortfall is correctly depicted as ₹229.97 Crs. A total Rs. 1320 crores have been invested in Superannuation funds till December 2024.

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes
B.2	**Provisions: Other Provisions** **Provisions for unrecovered Estate Rentals: ₹.1478.19 crore** The above represents old estate rentals not recovered by MbPA for the past many years for which provision was made. However, the party-wise details were not available with MbPA. In absence of party-wise outstanding details Audit is unable to form an opinion on the correctness, adequacy of provision created against unrecovered Estate Rentals of ₹1478.19 crore.	Since this is a legacy issues and old provision, retrieval of old data is a challenge to the port. However, the port is in the process of sorting this issue. The CA firms appointed for Estate debtor reconciliations are being instructed to identify the parties against which provision was made and dues have been received to be identified and to further pass necessary accounting entries to reduce the provision in books.
C.	**Notes to Accounts** **C.1 Disclosure regarding Land owned by MbPA (Note 8)** As per the confirmation received from Estate Department, MPBA has 944 hectares of land in its ownership. However, the State Government has notified 930.90 hectares of land in possession of MbPA. The Government of Maharashtra vide its Gazette Notification (April 2018) notified ownership of 930.90 hectares of land in name of MBPA which has been disclosed in Notes to Accounts. The material fact of the details of location, valuation of the remaining 13.10 hectares of land (944 hectares - 930.90 hectares) has not been disclosed. **C.2** MbPA has transferred land measuring 15260 sq. mtr at Manda, Titwala to Kalyan Dombivili Municipal Corporation (KDMC) and received Transferable Development Right (TDR) (May 2023) of 30520 sqm buildup area. Since Market rates were not available, considering Stamp Duty Ready Reckoner Rate ₹8600/sq mtr) (May 2023) value of TDR comes to ₹26.25 crore. Neither the book value of the land transferred (₹1,248) has been removed from fixed assets, nor has the receipt of TDR been accounted for in the Financial Statements, and MbPA has also not established any accounting policy for the treatment of TDRs. The fact should have been appropriately disclosed in the financial statements.	**C.1** The notification referred to by the audit is No. TPB-4317/492/CR-289/2017/UD-11 notifies and appoints MbPA as Special Planning Authority for 966 Hectares of land out of which 930.90 hectares is owned by Mumbai Port Authority on which SPA will carry out town planning activities. The contention that State Government has notified 930.90 hectares of land to be owned by Mumbai Port is not in the spirit of the said notification. **C.2** Mumbai Port Authority has received Transferable development rights (TDR) for giving up land measuring 15260 sq. mtr at Manda, Titwala to Kalyan Dombivili Municipal Corporation (KDMC). The value of the land accounted in books of accounts is Rs. 23,158. When an asset is exchanged for another asset, the value to be considered for accounting purpose is the book value of the old asset. As a result there is no monetary impact in the books. In this case the asset card of Titwala shows historical cost of Rs.23,158 and the TDRs will be accounted for same value. Thus there will be no change in the amount of Assets. Sale of TDR is a subsequent event wherein the amount of sale proceeds of TDR will be treated as income after reducing the book value of TDR asset. The stamp duty value of land cannot be treated as value of asset or income for that matter as the benefits from TDR is not availed as on 31.03.2024.

<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Separate Audit Report</th><th>Action Taken Notes</th></tr>
<tr><td>D</td><td>

Accounting Policies

Inventories - ₹6.78 Crore

a) As per the Significant Accounting Policy disclosed in the Accounts (item no.4) the inventory is taken at cost in the books. This policy is in variance with CFFR, which stipulates that inventories should be valued at lower of weighted average cost or net realizable value. As such, Audit is unable to comment on the correctness of value of Inventories ₹6.78 crore) and consequent impact on the profit shown in the Profit and Loss Account.

b) As per CFFR, a policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory needs to be formulated. However, MbPA has not framed and disclosed any policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory resulting in the noncompliance with CFFR provisions. Despite this observation being raised by Audit since 2017-18 corrective action is yet to be taken by the Port.

</td><td>

a) With reference to the Audit query, the reply is given ad- seriatim:

Inventory of MbPA is neither held by MbPA for sale in ordinary course of business nor used in as input in process of production for sale. The stores are generally spare parts or other running material meant for own consumption. This includes varied items of revenue / stock items, non-stock items like medicines, stationery, toiletries, fuel etc. Further, AS-2 specifically exempts machinery spares which is used in connection with fixed assets from inventories. Therefore, procurement of MbPA cannot be termed as inventories.

The value of the inventory is ₹6.78 Cr., which is 0.30% of MbPA's turnover.

2) In this regard it is stated that, since inventories of MbPA are consumables and not kept for sale/trade majorly, depreciation for inventory is not recommended as this being non capital item.

Incidentally, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in consultation with the CAG would be issue norms for accounting in compliance with the MPA Act 2021. The process is in the final stages of completion and likely to be issued in the near future.

</td></tr>
<tr><td>E.</td><td>

Grant in Aid

Position of Grant in Aid received by MbPA as on 31 March 2024:

(₹ in crore)

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Particulars</th><th rowspan="2">Grant Received till 1 April 2023</th><th colspan="2">Receipt</th><th rowspan="2">Utilised till date</th><th rowspan="2">Unspent</th></tr>
<tr><th>Grant received</th><th>Interest earned but not returned</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Upgradation/ Modernisation of International Cruise Terminal at Indira Docks</td><td>Ministry of Ports, Shipping and waterways</td><td>125.24</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>125.24</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>Ministry of Tourism</td><td>34.34</td><td>8.16</td><td>0.00</td><td>42.50</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>Grant received for construction of Third Chemical Berth</td><td>Ministry of Ports, Shipping and waterways</td><td>40.25</td><td>93.13</td><td>0.00</td><td>133.38</td><td>0.00</td></tr>
</table>

</td><td>

Factual.

</td></tr>
</table>

Sr. No.	Separate Audit Report	Action Taken Notes

	Grant received for Development of Tourism infra alongside KALH	Ministry of Ports, Shipping and waterways	3.84	0.00	0.00	3.84	0.00
	Grant received for Development of Mallet Bunder Fishing Harbour, Mazgaon	Ministry of Fisheries	24.00	0.00	1.14	0.64	24.50
	SCADA Project	Ministry of ports, Shipping and Waterways	0.00	18.05	0.00	15.64	2.41
	Total		**227.67**	**119.34**	**1.14**	**321.24**	**26.91**

F. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Authority through a Management Letter issued separately for remedial/ corrective action.

v) Because of the significance of the matters discussed in the comment No. Al, A2, A3, A5 and B-2, we are not able to express an opinion on the financial statement of Mumbai Port Authority for the year 2023-24.

vi) Other matters and a review of Accounts, showing the summarized financial results of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2024, are given in **Annexure-I and II** *respectively*.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Sandip Roy)
Director General of Audit (Shipping),

Mumbai
Place: Mumbai
Date: 04 December 2024

(Smt. Madhuri A. Varade)
Financial Advisor and
Chief Accounts Officer
Mumbai Port Authority
Place: Mumbai
Date: _____December 2024.

Annexure I

Sr. No	Separate Audit Report	Action Taken Report
1.	**Adequacy of internal audit system**	
	Internal Audit of MbPA for the years 2022-23 to 2024-25 was entrusted to M/S. SCM Associates in March 2023. Internal Audit for the year 2023-24 was in progress and the report has not been finalized so far.	M/s. SCM Associates has been appointed as Internal Auditor on 09.03.2023 for the year 2022-23 till 2024-25. Internal Auditors have carried out internal audit for FY 2023-24 and have submitted internal audit report of Traffic Manager on 26.07.2024 and internal audit reports for GAD, CE and MEED are in progress and reports awaited. Hence, the internal audit system adequate.
2.	**Adequacy of Internal Control System** Internal control of the Port needs to be improved considering the following:	
A.	**Bank Reconciliation Statement as on 31 March 2024**	
	Mumbai Port Authority operates 23 Bank Accounts. BRS for 5 Bank Accounts is not required as Book Balances and Bank Balances are matching in these bank accounts. BRS for 10 Bank Accounts were furnished by Management (a) Out of these 10 Bank accounts, in the case of 3 Bank Accounts the Book Balance appearing in the Accounts and Book Balance as shown in the BRS furnished was different. Hence the correctness of the Bank balances cannot be confirmed by audit. (b) In respect of one Bank account i.e., Bank A/c.No.10996687573 (SBI Pension Fund) with book balance of ₹0.00 pertains to MbPA PFT wrongly appearing in the MbPA books but not affecting Bank Balance. (c) Scrutiny of the Bank Reconciliation Statement of the remaining 7 bank accounts revealed the following deficiencies: (i) **Debited in books but credit awaited in banks** : ₹.993 crore shown as deposited in the bank in the books of the Port since April 2006 but not appearing in the Bank statement. (ii) **Credited in Books but debit awaited in Banks**: The bank balance reflecting in Financial Statements is after deducting ₹.1132 Crore in respect	The port is looking into this issues by deploying more resources including technical support. As regards reconciliation, it is continuous process and port is working on priority basis. It is also contemplated to outsource the activity in the near future considering the heavy reduction in the staff strength and restrictions in further recruitment.

	of Cheques which were issued from April 2006 and were more than 3 months old as on 31 March 2024. The same have not been cancelled and written back. (iii) **Bank Debit not accounted by MbPA** : ₹.1065 crore debited by Bank but no entries were passed by MbPA. (iv) **Bank Credit not accounted by MbPA** : ₹947 crore credited by Bank but not accounted by MbPA.	
B.	**Cash and Bank Balances — Schedule 5**	
	(i) The above includes a credit balance of ₹.53.31 crore (GL No. 23110250) representing the unallocated and unidentified credits relating to revenue collected but not yet allocated to the parties concerned. Setting off of the above credit balances against cash and bank balances instead of treating it as current liability resulted in understatement of 'Advances from Merchants, Contractors and Others" (Under current liabilities) and consequent understatement of Cash and Bank balances. (ii) This also includes ₹.32.73 crore in respect of FDs on behalf of Merchants, contractors and others which has matured during 1985 to 2022 which were neither returned back to the parties nor encashed.	Noted for compliance. Noted for compliance.
C.	Confirmation of balances outstanding as on 31 March 2024 from sundry debtors have not been obtained by the Port;	Noted for future compliance. Further, the port while migrating to IPORTMAN has shifted to Personal Deposit Account System. In this scenario, the need for balance confirmation may not be required.
D.	It was also noticed that MbPA does not have Property Cards for their own land of 217.28 Hectares (944 ha. less 726.72 ha.);	Estate division has been co-ordinating constantly with collector office for property cards. The response from collector office is awaited.
E.	It was noticed that Assets were not capitalized on time due to lack of co-ordination between the Civil Engineering department and Finance Department.	Noted for future compliance.
F.	It was also noticed that there were differences in ledger balances	Noted for future compliance.

	with Finance departments and other departments due to lack of co-ordination.	
3.	**System of physical verification of Fixed Assets**	
	a) As per Accounts Manual of MbPA, Physical Verification of fixed assets needs to be done once in every five years. The last Physical Verification was done in FY 2017-a18. In absence of Physical Verification of Fixed Assets during the year, Audit is not in the position to vouch safe the balance of Fixed Assets shown in the Accounts. It increases the risk of inaccurate asset records and potential misstatement in the financial statement. b) It was further observed that though the Asset Register of Finance Department shows location of land, the area of land has not been mentioned in the Asset Register against each identified piece of land, leading to (a) risk of manipulation in size, (b) difficulty in correct physical verification and (c) non-identification of loss due to encroachments. Thus, the Assets Register is deficient to that extent.	Physical verification of fixed assets is in progress. The port has a mechanism of periodic inspection. The estate plots has a GIS mapping as well. Thus the risk of manipulation is minimal.
4.	**System of physical verification of Inventory**	
	The report on Physical Verification of Inventory has not been furnished to Audit. Hence, Audit is not in a position to vouch safe the balance of inventory shown in the Accounts.	Factual
5.	**Statutory Dues**	
	The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.	Factual
	Deputy Director Place: Mumbai Date: 4 December 2024	(Smt. Madhuri A. Varade) Financial Advisor and Chief Accounts Officer Mumbai Port Authority Place: Mumbai Date: 13 December 2024.

ANNEXURE-II

Review of accounts of Mumbai Port Authority for three years ended 31 March 2024 by the Comptroller and Auditor General of India

(The Review of Accounts has been prepared without taking into account the audit observations/comments contained in the Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India)

1. **Financial Position**

The Financial Position of Mumbai Port Authority under the broad headings for three years ended 31 March 2024 is given below:

(₹ in crore)

Particulars	2021-22	2022-23	2023-24
LIABILITIES			
Capital Reserves	1592.68	1671.67	1689.18
Other Reserves	1088.89	1008.88	1058.72
Borrowings	375.86	481.91	1301.33
Deferred Tax Labilities	0.00	0.00	0.00
Current Liabilities & Provisions	5312.05	4545.14	4595.16
Total	**8369.48**	**7707.60**	**8644.39**
ASSETS			
Net Fixed Assets	1032.53	958.04	967.00
Works-in-Progress	871.33	1028.09	1096.36
Investments	1407.08	1430.06	1808.72
Current Assets and Loans and Advances	4268.22	3500.89	3666.01
Deferred Tax Asset	432.52	323.73	783.32
Other Assets/Misc. Expenditure:			
Sheds handed over to BOT operator	0.00	0.00	0.00
SVRS Expenditure	0.00	0.00	0.00
Misc. Expenditure	6.88	6.54	8.04
Accumulated Loss	350.92	460.25	314.94
Total	**8369.48**	**7707.60**	**8644.39**
Working Capital *	-1043.83	-1044.25	-929.15
Net Worth**	2330.65	2220.30	2432.96
Capital Employed***	-11.30	-86.21	37.85
Net Surplus (before appropriation)	49.67	-82.55	253.83
Return on Capital Employed **** (percentage)	-439.56	95.75	670.62
Capital Employed (including Work-in-Progress)	860.03	941.88	1134.21
Return on Capital Employed (including Work - in- Progress) (Percentage)	5.78	-8.76	22.38

*Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities;
**Net worth represents Capital Reserves and other reserves plus surplus/loss;
***Capital Employed represents Net Fixed Assets plus Working Capital;
****Return on Capital Employed represents percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed.

Factual

2.	**Working Results** The working results of the Mumbai Port Authority for the last three years ending 31 March 2024 are summarized below: (₹. in crore)	Factual.

Particulars	2021-22	2022-23	2022-23
Revenue			
Operating Income	1896.96	2121.16	2284.34
Non operating income	82.41	173.84	273.18
Total	**1979.37**	**2295.00**	**2557.52**
Expenditure			
Operating expenditure	1110.57	1087.80	1035.52
Non operating expenditure	926.57	1219.70	1772.13
Total	**2037.14**	**2307.50**	**2807.65**
Extra ordinary items	0	0	0
Prior period charges	0	0	0
Net surplus/(deficit) before tax	**-57.77**	**-12.50**	**-250.13**
Less: Provision for Tax or Add tax write back	41.00	0	
Add/Less: Deferred tax liability/assets	0	-108.79	459.59
Add: Withdrawn from Welfare Fund and infrastructure reserve	66.44	38.74	44.37
Net surplus/ (deficit) before appropriation	**49.67**	**-82.55**	**253.83**
Less: Mandatory Appropriations, Transfers to reserve fund / etc.	78.36	68.59	108.53
Surplus/Deficit transferred to General Reserve	-28.69	-151.14	145.30
Percentage of net surplus /deficit to			
(i) Operating Income	2.62	-3.89	11.11
(ii) Net Fixed Assets	4.81	-8.62	26.25
(iii) Net Worth	2.13	-3.72	10.43

3. **Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)**

Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Mumbai Port Authority are shown below:

	Particulars	2021-22	2022-23	2023-24
a.	Percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	80.35	77.02	79.78
b.	Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	99.32	58.00	57.90
c.	Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	174.57	92.73	93.34
d.	Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	23.00	28.83	77.04
e.	Percentage of profit before tax to:			
	a) Net Worth	-2.48	-0.56	-10.28
	b)Capital Employed	511.24	14.50	-66.85
	c)Operating Income	-3.05	-0.59	-10.95

Factual.

Deputy Director
Place: Mumbai
Date: 4 December 2024

(Smt. Madhuri A. Varade)
Financial Advisor and
Chief Accounts Officer
Mumbai Port Authority
Place: Mumbai
Date: 13 December 2024.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

परित्याग

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों, उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विहित लेखा परीक्षा आपत्तियों / टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां केवल जानकारी के लिए अंग्रेजी मूल का अनुवाद है. किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी मूल प्रभावी होगा

MUMBAI PORT AUTHORITY

D I S C L A I M E R

The Hindi version of the Annual Accounts for Financial Year 2023-24, Audit report thereon together with Action Taken Notes on Audit Objections/Observation contained in Audit Report Financial Year 2023-24 is a translation of the original in English for information purpose only. In case of the discrepancy, the English original will prevail.